हैं । आज सिंचाई के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है, उद्योगों के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है, घर के कामकाज के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है । इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए जब कि हमको उत्पादन बढ़ाना है और छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना है, उनके लिए बिजली जरूरी है और हमारे यहां 1991-92 में 7656 मैघावाट विद्युत की क्षमता रही है जिसमें से 5898 मैघावाट राज्य के अंतर्गत है और 1758 मैघावाट केंद्रीय हिस्सों की रही हैं किन्तु यह बहुत ही कम है । मांग बढ़ती जा रही है और हमारे उत्तर प्रदेश में जो बिजली की प्रति व्यक्ति उपयोग है वह 159 किलोवाट है जब कि आल इंडिया में यह 236 किलोवाट है और आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखा गया है, एक लाख 12,566 गांवों में से 90.5 प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण करने की योजना है । सिंचाई के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाना है लेकिन जब तक ये परियोजनायें स्वीकृत नहीं होती हैं तब तक बिजली की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती है ।

जहां तक पिछली सरकार का सवाल था, प्रदेश में जो बिजली पैदा हो रही थी, उस तरफ भी ध्यान नहीं था जिसके कारण उत्पादन क्षमता धीरे-धीरे गिरती चली गई क्योंकि उनको तो बिजली से कोई मतलब नहीं था बल्कि उनका ध्यान दूसरी तरफ था, कहीं पर राम मंदिर बनाने की तरफ या कहीं पर रैली करने की तरफ ।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि सरकार जल्दी से जल्दी इस दिशा में ध्यान दे ताकि मैंने जो ये आठ विद्युत परियोजनाओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, चार जलीय और चार तापीय, इनकी स्वीकृति जल्दी से जल्दी सरकार दे ताकि प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए, किसानों और दूसरे लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए ये योजनायें लागू की जा सकें और विद्युत का उत्पादन आज की आवश्यकता के अनुसार बढ़ सके । आज विद्युत विकास का मूल आधार बन चुकी है । इसलिए हमें विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान देंगे और ध्यान देकर उस कार्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे, प्रयास ही नहीं करेंगे बल्कि पूरा कर देंगे ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : महोदया, मैं अपने को इससे सम्बद्ध करता हूं । खास तौर से टिहरी योजना को भी जल्दी से जल्दी स्वीकृति दी जानी चाहिए ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अब सदन की बैठक बाद दोपहर ढाई बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

The House then adjourned for lunch at thirty-four minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-four minutes past two of the clock, **The Vice-Chairman (Shri Shankar Dayal Singh)** in the Chair.

I. The Uttar Pradesh State Legislature (Delegation of Power) Bill, 1993,

II. The Madhya Pradesh State Legislature (Delegation of Powers) Bill, 1993.

III. The Rajasthan State Legislature (Delegation of Powers) Bill, 1993,

IV. The Himachal Pradesh State Legislature (Delegation of Power) ... 1993).

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): Sir,

I beg to move :

"That the Bill to confer on the President the Power of the Legislature of the State of Uttar Pradesh to make laws, be taken into consideration."

I beg to move :

"That the Bill to confer on the President the Power of the Legislature of the State of Madhya Pradesh to make laws, be taken into consideration."

I beg to move :

"That the Bill to confer on the President the Power of the Legislature of the State of Rajasthan to make laws, be taken into consideration."

I beg to move :

"That the Bill to confer on the President the Power of the Legislature of the State of Himachal Pradesh to make laws, be taken into consideration."

As the House is aware, the President issued a proclamation on the 6th of December, 1992 under article 356 of the Constitution in relation to the State of Uttar Pradesh. Similar proclamations were issued by the President on the 15th of December, 1992 under article 356 of the Constitution in relation to the States of Madhya Pradesh, Himachal Pradesh and Rajasthan. The Legislative Assemblies of all the four States have been dissolved.

The said proclamations imposing President's rule in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh and Rajasthan were approved by the Rajya Sabha on 21-12-1992 and the Lok Sabha on 23-12-1992.

Subsequent to the promulgation of the President's rule in the above-mentioned four States, the President had promulgated four Ordinances in respect of Uttar Pradesh, two in respect of Himachal Pradesh, three in respect of Madhya Pradesh and one in respect of Rajasthan. All these Ordinances shall cease to remain in force after six weeks from the commencement of the session of Parliament and, therefore, are required to be replaced by Acts of Parliament before they cease to remain in force. By virtue of the proclamations issued by the President in December 1992 under article 356 of the Constitution, the powers of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh and Rajasthan State Legislatures are now exerciseable by and under the authority of Parliament. Under article 357(a) of the Constitution, Parliament may confer on the President the power of the Legislature of the State to make laws, and to authorise him to delegate, subject to such conditions as he may think fit to impose, the power so conferred to any other authority specified by him in that behalf. Such conferment of powers on the President was done in the past in relation to several other States.

In view of the otherwise busy schedule of business of the two Houses of Parliament, it may not be possible for Parliament to deal with various legislative measures that may be necessary in respect of the four States. The Bill, therefore, seeks to confer on the President the powers of the State Legislature to make laws in respect of the States of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh and Rajasthan.

It has been the normal practice to undertake such legislation in relation to the State under President's rule and the present Bills are on the usual lines.

Provision has been made in the Bill for constitution of Consultative Committees consisting of Members from both Houses of Parliament. Provision has also been made to enable Parliament to direct modifications in the laws made by the President, if considered necessary.

I request the hon. House to approve the legislative proposals before it. Thank you.

The questions were proposed.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, मेरा संशोधन भी है । पहले संशोधन रख दूं और उसके बाद बोल दूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : माथुर जी, जब क्लाज बाई क्लाज विचार हो तब आप अपने संशोधन रख दीजिएगा। अभी आप बोल दीजिए ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : श्रीमन्, अभी गृह मंत्री महोदय ने चारों बिल प्रस्तुत करते हुए अंत में एक बात कही है–

It is usual for Parliament to confer on the President such legislative powers and, therefore, this delegation is of a normal character.

मैं इन चारों राज्यों के संबंध में इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं । अनुच्छेद 356 का एक इतिहास है । 356, 357, और 358 लगभग एक ही श्रृंखला में हैं। 356 का प्रावधान इस लिए किया गया था कि यदि कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि कंस्टीट्यूशन ब्रेकडाउन हो, संवैधानिक व्यवस्थायें न रह सकें तब गवर्नर का राज वहां लागू किया जाए । यदि आवश्यक हो तो केवल गवर्नर का न करके राष्ट्रपति का राज लागू किया जाए । हम जानते हैं कि ऐसी व्यवस्था में काम चलाने के लिए गवर्नर के राज में हर प्रदेश के गवर्नर को यह अधिकार है कि वह आर्डिनेंस जारी करे । इसी में यदि सरकार चाहे कि गवर्नर की शक्ति राष्ट्रपति ले ले तो राष्ट्रपति भी आदेश जारी कर सकते हैं । यह भी इतिहास बता रहा है कि 356 अनुच्छेद जिस निमित्त शामिल किया गया था उसका उपयोग न हो करके दुरुपयोग बराबर होता रहा है और उसी प्रकार का दुरुपयोग करके केंद्र सरकार ने इन राज्यों की सरकारों को भी बर्खास्त किया था । इसलिए अगर इस पृष्ठभूमि पर विश्वास करेंगे इसके पीछे कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, थोडा कठिन लगता है । कौन नहीं जानता कि किस प्रकार की स्थिति में जिसमें कहा जा सकता है कि कांस्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन हो गया था राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, और यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी नहीं था । उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री ने तो स्वयं ही इस्तीफा दे दिया था और राजनैतिक कारणों से उनका इस्तीफा न मान करके गवर्नमेंट ने उनको भी बर्खास्त कर दिया । इस पृष्ठभूमि में हमें यह संदेह है कि यद्यपि यह लगता है कि 357 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय को अधिकार देना शायद उपयुक्त होगा, परन्तु जो पृष्ठभूमि है उससे लगता नहीं है क्योंकि इसकी दो भूमिकायें हैं । पहले अनुच्छेद 357 में यह प्रावधान था, इमरजेन्स से पहले यह प्रावधान था कि राष्ट्रपति महोदय किसी नियम को बनायें और उसको बदल दें तो वह केवल प्रोक्लेमेशन समाप्त होने के एक साल तक लागू हो सकता है । लेकिन 47वें एमेन्डमेंट के बाद जबकि इमरजेंसी थी, इसको बदला गया । यदि कोई नियम बदला जाय, यदि कोई संशोधन किया जाय तो वे प्रोक्लेमेशन के पश्चात् ही नहीं अनंत काल तक चलता रहेगा । इसका अर्थ क्या है ? इसका अर्थ यह है कि अधिकार इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति को अर्थात् केंद्र सरकार को परम्परा के अनुसार राष्ट्रपति केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना भी कुछ भी कर सकता है । लेकिन संशोधन करके इमरजेंसी के भीतर यह किया गया, उसके लिए अनिवार्य कर दिया गया । इन दो बातों को मिलकर पृष्ठभूमि में आप देखें तो लगता है कि 357 में संशोधन 1976 में और उसके बाद की घोषणायें कि राष्ट्रपति अनिवार्यतः ही केंद्रीय सरकार की बात को स्वीकार करेंगे, यह संशोधन कर दिया गया। उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी और आज भी कांग्रेस की सरकार है । इसलिए उनके दिल में कोई ईमानदारी नहीं है। बीच में जनता सरकार आई। आप पूछ सकते हैं कि जनता सरकार ने उस संशोधन को रद्द क्यों नहीं किया । यदि उस संशोधन को स्वीकार करके राष्ट्रपति की अनिवार्यता को स्वीकार कर लेते तो हमसे कहा जा सकता था कि राष्ट्रपति को स्वतंत्र विचार करने का निर्णय दिया है। इसलिए हमने नहीं किया ।

अब दूसरा संदेह यह होता है कि 357 में गृह मंत्री ने कहा कि शायद कोई आर्डिनेन्स है और यदि कुछ ऐसे आर्डिनेन्स हैं जो लेप्स हो रहे हैं तो चारों प्रदेशों के अंदर तो क्या गवर्नर को अधिकार नहीं है कि उन आर्डिनेन्सेज को दुबारा से जारी कर दें ? क्या राष्ट्रपति को ही यह अधिकार है कि आर्डिनेन्स जारी करे ? आर्डिनेन्सेज को दुबारा जारी किया जा सकता है । इसके हमारे पास उदाहरण हैं । बिहार में तो वंश-अनुवंश से आर्डिनेन्स जारी होते रहें हैं । इसलिए मैं इसका स्पष्टीकरण चाहूंगा । आखिरकार इसका उद्देश्य क्या है ? दूसरा आब्जेक्शन मेरा यह है जो मैं संशोधन के वक्त बोलूंगा । इसमें अधिकार दिया गया है कि 30 दिन में जो कि लोक सभा और राज्य सभा के दो सत्रों में हो सकता है, इतना लम्बा समय क्यों रखा गया है ? आज की पृष्ठभूमि को आप देखें तो कांग्रेस ने निश्चित रूप से चार राज्य सरकारों को बर्खास्त किया, लेकिन आप चुनाव नहीं करा रहे हैं । अगर छः महीने के अंदर चुनाव हो जायें, जून तक चुनाव आप करा दें, इस स्थिति की जरूरत नहीं है । लेकिन कांग्रेस सरकार से मैं यह आश्वासन चाहूंगा कि जून तक आप चुनाव करा दें । इन चार-पांच महीनों में कोई विपत्ति आने वाली नहीं है जिसके लिए आप ये अधिकार लेना चाहते हैं । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नं० 1 आप समय बढ़ाना चाहते हैं।

दूसरे मुझे भय है कि केवल ऐसे अध्यादेश जो लेप्स हो रहे हैं उनको ही एक्सटेंड करने का उद्देश्य नहीं है, ऐसे बहुत से कानून, ऐसे बहुत से कायदे, ऐसे बहुत से नियम हैं जो लोकतंत्रीय तरीके से चुनी हुई सरकारों ने स्वीकार किए थे। उनको भी संशोधित किया जा सकता है। क्या हम यह माने कि चुनी हुई सरकारों ने जो कानून बनाए थे, उनके लिए केवल केंद्रीय सरकार को क्या अधिकार देना चाहिए कि जो चाहे वह संशोधन कर दे। मान लीजिए कि एक पंचायत बिल है । मेरे पास उदारहण है । पंजाब में पंचायत चुनावों का बिल लागू किया गया था, आपने रद्द कर दिया । विशेष स्थिति थी पंजाब की या कश्मीर की ।

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह महाराष्ट्र): मुझे थोड़ा इजाजत देंगे ? थोड़ा

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : अगर ऐसी विशेष आपत्ति आ रही है तो कहें ।

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : मुझे विशेष आपत्ति है। आपने पंचायत राज बिल के बारे में कहा और कहा कि कुछ कानून आप लोगों ने बनाए हैं । आपको यह भय है कि केंद्रीय सरकार उन राज्यों में जहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है वहां पर शायद यह कुछ संशोधन लायेंगी जिससे जो लोगों के रिप्रेजन्टेटिब्स हैं उन पर असर पड़ेगा । मैं आपको बताना चाहूंगा पकि उत्तर प्रदेश, जहां पर स्थानीय निकायों के चुनाव हो चुके थे, जहां पर लोकल बाडीज, म्युनिस्पेलिटीज के चुनाव हो चुके थे , वहां पर उन लोगों को हटाया गया, बी.जे.पी. सरकार ने उनको हटाया और वहां पर अपने लोगों को नामीनेट किया । . . . **(व्यवधान)** . . . मैं जो कह रहा हूं . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : माननीय सदस्य से मैं यह कहना चाहूंगा . . **(व्यवधान)** ठहरिए . . **(व्यवधान)** . .

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि . .

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : आप बैठिये ।

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : : मैं बैठ रहा हूं लेकिन बैठने से पहले . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । . . . **(व्यवधान)** . . . गृह मंत्री महोदय जब जवाब देंगे तो जो प्वाइंट वे रेज करेंगे वे उनका उत्तर देंगे ।

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि ...

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : आप को संयम से काम लेना चाहिए ।

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : इनके जो काले कारनामें हैं उनको तो कम से कम इनको बताया जाय ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : श्रीमन, मेरे मित्र ने मेरी बात की पुष्टि कर दी । पंजाब में जब यह किया गया, कश्मीर में जब अनुच्छेद 357 का उपयोग किया गया । उस समय स्थिति कुछ अलग थी और आज की स्थिति अलग है । क्योंकि वहां पर चुनाव की स्थिति नहीं है इसलिए आज जम्मू-कश्मीर में यह 357 लगायी गयी है । वहां पर तो बात समझ में आती है लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में लागू करने का कोई कारण नहीं। एक्सटेंड कराने का कारण शायद ये ढूंढ लेंगे लेकिन मैं गृह मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि जो नियम, जो कानून निर्वाचित सरकार ने बनाए हैं उनको आप डिक्टेटोरियली स्वयं समाप्त कर के बदल लें ? ये इस सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो मैं कहता हूं कि आप अवश्य कर लें । लेकिन यदि ये जानते हैं कि नियमों के अनुसार या कम से कम लोकतंत्रीय पद्धति के अनुसार जो चुनी हुई सरकार द्वारा बनाए कानून हैं उनको कोई भी केंद्रीय सरकार अधिकार प्राप्त करके नहीं करेगी, मेरा आब्जेक्शन यही है । मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री खड़े होकर यह आश्वासन दें प्रथम यह कि वह चुनाव समय के भीतर करायेंगे । दूसरा, कौन सी ऐसी विशेष स्थिति है जिन चीजों को बदलना चाहते हैं । मेरे सहयोगी ने कहा कि आपने पंचायतें डिस-मिस कर दीं । वे यह तो समझते हैं कि यह सरकार के आदेश द्वारा किया जा सकता है और उन्होंने बिल्कुल ठीक किया था । शायद उनकी नजर इस प्रकार की चीजों पर है कि जो वर्तमान एक्ट है, जो कानून है उनको इस प्रकार से परिवर्तित किया जाय ताकि केंद्र सरकार उनको हटा करके कांग्रेस के लोगों को बिठा दे । यही मेरा संदेह है और आपने मेरे संदेह की पुष्टि की है ।

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : आपने चुने हुए लोगों को हटाया और अपने आदमियों को नामीनेट किया । यह आपने किया । ...(**व्यवधान**)...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : यही मैं कह रहा हूं कि हमने हटाया होगा, आपने भी मध्य प्रदेश में हटाया । ...(**व्यवधान**)...

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : आपने हटाया...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा) : ज्यादा ऊंचा बोलने पर क्या ज्यादा... (**व्यवधान**) ...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : चुने हुए आदमी को हटाना गलत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं लेकिन चुने हुए कानून को बदलना लोकतंत्र विरोधी और गलत है । समझ में आया ?

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : माथुर साहब, आप कहिये ।

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : माथुर साहब आपकी समझ में तब आएगी जब आपके बेंच के पीछे जो बैठे हैं वह आपको समझाएंगे । उस दिन आपको समझ आएगी, आज आपको समझ नहीं आएगी। (**व्यवधान**)

श्रीमती सुषमा स्वराज : आपको तो तब भी समझ नहीं आएगी ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : देखिये बीच में जो टोका-टोकी है, इसको, बंद करें । इससे समय बरबाद होता है । संयम रखिये, जब आपकी बारी आएगी तब आप निश्चित रूप से कहें (**व्यवधान**)

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : मेरी बारी नहीं आएगी । मैं इस पर नहीं बोल रहा हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : आपकी बारी नहीं आएगी तो आप बीच में इस तरह से अपनी बारी मत लाएं (**व्यवधान**) माथुर साहब, आप बोलिए ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : श्रीमन, मैंने उदाहरण दिया है कि पंजाब में पिछली बार जब चुनाव हो गये थे और विधान सभा अस्तित्व में थी उसको केवल निलम्बित कर दिया गया था ।

इसी कांग्रेस सरकार ने पंचायतों के चुनाव रोक कर लगभग रद्द कर दिये थे। ऐसे उदाहरण हैं। दूसरा आपने 30 दिन का समय क्यों मांगा है? अनुच्छेद 357 ने संसद को यह अधिकार दिया है कि वह जो चाहे कंडीशन लगा सकती है। यह कंडीशन आपने क्यों लगाई है कि 30 दिन मांगे जाएं। आपको याद है कि केरल के संबंध में आपने जब 357 लागू किया था तो केवल सात दिन मांगे थे। आप कहेंगे सात दिन मांगे थे, कम थे, अब तो 30 दिन मांग रहे हैं जिसमें आप संशोधन दे सकते हैं। लेकिन मेरा सिद्धान्ततः कहना यह है कि यह एक प्रकार की राष्ट्रपति राज की असामान्य स्थिति है उस असामान्य स्थिति को जितना शीघ्र हो समाप्त किया जाना चाहिये। इसलिए मेरा आग्रह है कि यदि आप करना चाहते हैं तो 30 दिन की जगह सात दिन करिये जैसे पहले किया गया, जिससे असामान्य स्थिति समाप्त हो। मैं गृह मंत्री जी से तीन स्पष्टीकरण चाहता हूं, गृह मंत्री जी सुनने की कृपा करें। वह तो बात करते रहेंगे अफजल साहब हैं, फजुल की बात भी करते हैं। कृपया मेरी बात सुन लें। यह स्पष्टीकरण चाहूंगा कि कौन सी ऐसी विशेष स्थिति है कि अगले तीन मास में उन्हें कुछ कानूनों का संशोधन करना अनिवार्य है, कौन सी ऐसी स्थिति है कि 6 महीने के पश्चात भी आप राज्यों में चुनाव टालना चाहते हैं? दूसरा यह कि क्या आप इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं या नहीं करते कि लोकतंत्र में निर्वाचित सरकारों के द्वारा बनाए गए कानूनों को बदलने की शक्ति का उपयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा होना चाहिए? यदि आप इस सिद्धांत को मानते हैं तो मुझे यह आश्वासन दें कि उन चीजों को छोड़ कर जहां किसी आर्डिनेंसेज की अवधि को बढ़ाने की आवश्यकता है उनके इलावा किसी प्रकार किसी कानून को बदला नहीं जाएगा। यदि यह आश्वासन देते हैं तो मुझे इन अधिकारों को देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अब संशोधन पर आता हूं। मैंने पहले ही कहा कि सात दिन समय कर दिया जाए दूसरा 357 में भी लिया है कि जो कानून बनाए जाएंगे, वह यहां पर ले किये जाएंगे।

श्री एस०बी० चव्हाण : यह 30 के बजाय 7 दिन की क्या बात है?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : 30 की जगह 7। **(व्यवधान)**

SHRI VISHVJIT P. SINGH: He is referring to those Governments, Sir, which had published books for children, with advertisements for alcohol on the cover.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Sir, I am afraid I can't deal with such howling. Please protect me, Sir.

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : ठीक है, आप अपनी बात कहिये माथुर साहब। आप बीच में न टोकें।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैंने इसलिये सात दिन निवेदन किया है कि जितना कम से कम पीरियड हो अच्छा है जो परिस्थिति मैंने बताई है जिस प्रकार से सरकारें बर्खास्त की गई उस पृष्ठ भूमि में मुझे विश्वास नहीं होता कि आप ईमानदारी से काम करेंगे। मैंने दूसरा संशोधन दिया है कि जो कानून आप बनायेंगे वह पेपर्ज से किये जाएंगे जैसे दूसरी गवर्नमेंट आर्डर्ज किए जाते हैं। उन पर संशोधन देने का हमको अधिकार है लेकिन शायद ही कोई संशोधन देता है। एक-आध बार पिछली बार मैंने कुछ दिये थे लेकिन उसको कोई स्वीकार नहीं करता तो मैं इसको अनिवार्य करना चाहता हूं कि केवल संशोधन ले न किये जाएं जैसे कोई आर्डिनेंस है यह सदन में आएं और जब दोनों सदन इसको स्वीकृत करें तब उसको कानून माना जाए। जैसे मैंने कहा कि सन् 1976 में 42वें संविधान संशोधन के पश्चात आपने यह परिवर्तन कर लिया था। अब प्रोक्लेमेशन की वापसी के पश्चात् भी स्थायी रूप से संशोधित कानून लागू होगा बजाय कि जैसा 1976 से पहले था कि केवल एक साल तक लागू होता था।

तो इसलिए मेरे संदेह का यदि आप निवारण कर दें और लोकतंत्र की पद्धति की आवश्यकता को पूर्ण कर दें, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। परन्तु संदेह हो रहा है सारी पृष्ठ भूमि को देख कर आपकी नीयत में कुछ काला है। इस दाल में काले को मिटा दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री एस०एस० अहलुवालिया (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री द्वारा पारित किया विधेयक उत्तर प्रदेश, राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1993, मध्य प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1993

[श्री एस०एस० अहलुवालिया]

राजस्थान राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन), विधेयक, 1993 और हिमाचल प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1993 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपसभाध्यक्ष जी, शायद सदन को इस चीज की जरूरत न पड़ती कि ऐसे विधेयक इस सदन में लाये जाएं। हमारे सामने छोटी मजबूरी नहीं, बहुत बड़ी अड़चन आ गई थी, जिसके कारण मजबूर होकर ऐसे निर्णय लेने पड़े और उन निर्णयों को एक सत्यारूप देने के लिए आज ऐसे विधेयक यहां पर चर्चा का विषय बने हुए हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, जब जनता किसी सरकार को चुनती है और जो हमारा आज तक राज्य और केन्द्र सरकार का जो सरोकार है, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का जो संबंध है, उसमें तब तक विच्छेद नहीं आता जब तक राज्य सरकार कोई ऐसे कार्य-कलाप या ऐसे क्रिया-कलाप में लिप्त न हो जाए जो संविधान के विरुद्ध हो या संविधान के अनुरूप नहीं होकर उसके उलटे चलता हो और ऐसा देखने में आए कि इस सदन में कई बार संसद सदस्यों ने अपने-अपने राज्यों की—खास करके राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की और हिमाचल प्रदेश की बातें उठाई गई कि वहां से जनता द्वारा निर्वाचित सरकार तो आई, पर उस सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय लेने शुरु किये, जो निर्णय हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे आचरण के एकदम विरुद्ध जाते थे।

उपसभाध्यक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज पीठासीन हुईं

कुछ ऐसे निर्णय थोपने की कोशिश जनता के ऊपर डालने लगी और जिसकी शुरुआत सब से पहले दो-चार राज्यों में राज्य सरकारों ने सब से पहले शुरुआत की कि वहां की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को ही बदल डाला और कई जगह तो देखने में आया कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का जो हमारी प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में जिनका इतिहास पढ़ाया जाता था, उनके इतिहास को भी तोड़-मरोड़ कर पेश करने की शुरुआत की गई। उसके साथ-साथ कुछ ऐसे इतिहास को भी पढ़ाने की कोशिश की गई, जिस इतिहास पर आज तक भारतीय इतिहास एक संदेह का चिन्ह लेकर घूमता था।

महोदय, बात वहां आकर समाप्त हो जाती तो शायद शांति हो जाती पर, बात कुछ और आगे बढ़ने लगी और राज्य सरकारें लिप्त हो गई ऐसी संस्थाओं के साथ जिन संस्थाओं ने सरेआम संविधान का उल्लंघन करना शुरु किया और उल्लंघन कोई छोटा-मोटा होता, तो माना जाता, पर उल्लंघन इतना कठिन और ऐसा समवेदनशील उल्लंघन करना शुरु किया जिसको लेकर आदमी और आगे नहीं बढ़ सकता था, या भारतीय जनता, भारत देश के नागरिक इसके बारे में बहुत बड़ा संदेह लाने लगे कि ऐसी अवस्था में अगर राज्य सरकारें संविधान का उल्लंघन करेंगी, तो पूरे देश में क्या संदेश भेज रहे हैं। क्या 3.00 p.m साधारण जनता फिर संविधान को मानेगी? क्या संविधान की इज्जत करेगी या कोर्टों, कचहरियों के फैसलों की इज्जत करेगी? जब एक सरकार खुद सरकारी अवस्था में बैठने के बावजूद बड़े-बड़े न्यायालयों के फैसलों को न मानने के लिए दृढ़-प्रतिज्ञा हो कर चल रही है और न्यायालयों के फैसले के विरुद्ध काम कर रही है और न्यायालयों में दिए हुए अपने एफीडेविट के खिलाफ काम कर रही है। ऐसे हालात पैदा हो गए। महोदया, इस सदन में पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, मैं आपके सामने उदाहरणस्वरूप यह बात रखना चाहता हूं कि 6 दिसम्बर की घटना के पहले बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारे विचार इस सदन में रखे गए। हर बार गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को निर्देश जारी किए और उसके विपरीत उन्होंने दूसरे निर्देश जारी किए। अंततः तो एक ऐसा हाल हुआ हम लोगों ने इसी सदन में अपने गृह मंत्री से मांग की कि वह अपना बयान दें कि वह 6 दिसम्बर के बारे में क्या करने जा रहे हैं या फौजें वहां पर क्यों नहीं भेज रहे हैं।... **(व्यवधान)**

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्या अहलुवालिया जी मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल के बारे में कुछ कहेंगे कि ऐसे कौन से आदेश दिए?

श्री एस० एस० अहलुवालिया : आता हूं, मैं अभी इस बात पर आता हूं। अभी तो मैंने शुरु किया है। अभी तो इब्तदा है। उपसभाध्यक्ष महोदया, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने तो सर्वोच्च न्यायालय के सामने जो एफीडेविट दिए, जो कुछ कहा, वह बार-बार अगर पढ कर मैं यहां रेकार्ड में साबित करूं और जो

उसके खिलाफ उन्होंने किया तो क्या प्रमाण होता है और मेरे ख्याल से माथुर साहब, हमारे विपक्ष के पार्टी के नेता हैं और वह खुद स्वीकार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो किया और दूसरों ने क्या किया वह बता दें। दूसरों ने यह किया कि मध्य प्रदेश सरकार के बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के इंजीनियर गए। इंजीनियरों ने वहां जाकर बाकायदा उस बिल्डिंग की रेनफ़ोर्समेंट को देखा कि उस रेनफोर्समेंट को कैसे वीक किया जा सकता है और बाकायदा वहां से जाकर उन्होंने उनकी रेनफोर्समेंट को देख कर कि कैसे उस बिल्डिंग के पूरे ढांचे को वीक किया जा सकता है कि एक धक्के से गिर सके। वैसे उसको इन्होंने वीक किया है और पूरे औजार ले कर गए और पिछले 15 दिन से वहां पर काम करते रहे और कहते रहे कि हम आर्केलोजीकल डिपार्टमेंट से आए हैं। हम खोद कर देख रहे हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट या किसी न्यायालय ने यह निर्देश दिया है और राज्य सरकार के संरक्षण में वे वहां खुदाई करते रहे।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : कहां पर ?

श्री एस०एस० अहलुवालिया : अयोध्या में, मस्जिद में। मध्य प्रदेश बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के लोग, वहां के इंजीनियर, जो वहां पर भेजे गए। वहां उन्होंने बकायादा बैठ कर उसकी जो भीत है, उसकी जो फाउंडेशन है, उसको वीक किया कि कैसे यह बिल्डिंग गिराई जा सकती है। आप किसी भी इंजीनियर से बात करिए, किसी भी बिल्डिंग को गिराने के लिए वह नक्शा बना सकता है कि इस बिल्डिंग को कैसे वीक किया जा सकता है। कैसे कम धक्के से इसको गिराया जा सकता है। वह काम मध्य प्रदेश सरकार के बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के लोगों ने जाकर किया और उसकी रिपोर्ट बाकायदा कल्याण सिंह को सबमिट की गई। वह जो लोग वहां पर आम लोगों ने आई विटनेस में और न्यूज ट्रैक में देखा है कि वहां लोग किस तरह से एक पर्टिकुलर बैंड जिन लोगों ने बांधा हुआ था सिर पर पीले रंग की या सेफरन पट्टी बांधी हुई थी, उन्हीं को उस इलाके में घुसने दिया जा रहा था बाकी को धक्के मार कर निकाल दिया जा रहा था। उन्हीं को घुसने दिया जा रहा है जिनके पास एक अलग किस्म का आइडेंटिटी कार्ड था जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के इलाकों से दिया गया था। वही उस इलाके में घुस सकते थे। दूसरा कोई नहीं घुस सकता था और उसको चैकिंग करने के लिए वहां पर वालंटीयर खड़े किए गए थे। और वह लोग कौन थे ? वह लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के लोग थे। सब ट्रेंड लोग थे। उनको मालूम था कि वहां कहां चोट करने से कैसा नतीजा हो सकता है और यह सारा काम बखूबी पूरी तैयारी से किया गया। उसमें ये राज्य सरकारें मदद करती रहीं। श्री भैरोंसिंह शेखावत स्टेशन पर लोगों को चढ़ाने आए। उन्होंने फूल-मालाएं पहना-कर लोगों को रिजर्वेशन किए हुए डिब्बों में बिठाया। श्री सुन्दर लाल पटवा ने भोपाल स्टेशन पर लोगों को हार और फूल-मालाएं पहना कर विदाई दी। उसी तरह हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने भी लोगों को हार पहना-कर भेजा। उन्होंने तो यहां तक कहा कि अगर आप आर०एस०एस० को बैन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले मुख्य मंत्री को गिरफ्तार करना होगा। तो मैं अपनी ही गिरफ्तारी का वारंट कैसे लिख सकता हूं ? अब और क्या प्रूफ चाहिए था ? ऐसा लगता था कि ये राज्य सरकारें जो कि संविधान के बनाए हुए कानूनों को तोड़कर धत्, धूसरित कर के एक नया रास्ता अपना रही थी और इन चारों राज्यों में हिन्दू राष्ट्र की घोषणा होने जा रही थी और ये चारों राज्य शायद भारतीय संविधान के तत्वाधान में काम नहीं करते हैं और ये शायद एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर के एक नया ध्वज चढ़ाने जा रहे थे और इसी कल्पना की आपने शुरुआत की थी, कभी राम पादुका के नाम पर जिसमें कि पूरे हिंदुस्तान में 35 हजार पादुकाएं दशहरे पर बांटी गयी थीं। अब इनसे कोई पूछे कि राम भगवान की पादुकाएं कहां थीं और क्या आपने उस भरत को भी ढूंढने की कोशिश की है जिस भरत ने उन पादुकाओं को रखकर राज किया था ? क्या आपने रामायण के उस भाग को भी पढ़ा है जबकि 14 वर्ष का वनवास काटकर राम भगवान वापिस आए थे और सीता जी को एक धोबी के कहने पर अपनी मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए त्याग दिया था और उसके बाद राम ने क्या किया था ? राम ने राज्य किया या नहीं किया ? उस के बारे में आपने इतिहास पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो उसे पढ़ लें क्योंकि मैं बिहार के उस उत्तर भाग से आता हूं जहां कि सीता की पूजा होती है और हमने सीता जी को कभी राम से वंचित नहीं किया। हमने सीता मंदिर में भी राम की मूर्ति लगायी हुई है। पर आप किस राम को मानते

[श्री एस० एस० अहलुवालिया]

हैं, हमें पता नहीं? . . (**व्यवधान**) . . यह तो इनका व्यक्तिगत जीवन है और इनके जीवन में तो सीता आ नहीं सकती । इनके जीवन में कैसे आ सकती हैं, ये तो क्वांरे रह गए हैं ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : इसलिए राम-चन्द्र जी के विवाह के पहले जो हुआ होगा, उसको मानेंगे ।

श्री एस०एस० अहलुवालिया : भगवान राम ने शादी की थी, वह आप की तरह क्वांरे नहीं रह गए थे । वह आपकी तरह पलायनवादी नहीं थे । वह आपकी तरह पलायनवाद में विश्वास नहीं करते थे । उन्होंने बाकायादा स्वयंवर में जाकर शादी की थी । आपने शादी नहीं की, आप तो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं।

महोदया, मैं बिहार के उस हिस्से से आता हूं जहां कि सीता को पूजा जाता है। मैं उस धर्म को मानता हूं जहां कि गुरू गोविन्द सिंह ने अपनी जन्म-कथा में बताया है कि किस तरह लव ने लाहौर और कुश ने कसूर बसाया ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैडम, ये बता दें कि अनुच्छेद-357 से क्या संबंध है सीताजी का और राम जी का ?

श्री एस०एस० अहलुवालिया : संबंध है, अनुच्छेद 357 का भी संबंध है। सबका संबंध हो जाता है, लेकिन कोई माने तो संविधान को । जब कचहरी में खड़े होकर एक एफीडेविट नहीं, दो नहीं तीन-तीन एफीटडविट देकर एक जनता, द्वारा निर्वाचित मुख्य मंत्री उससे विमुख हो जाता है तो ऐसे लोगों पर ऐसा ही अनुच्छेद लागू होता है और हमारे पूर्व पुरुषों ने यह जो संविधान में प्रावधान किए हैं, वह ऐसे लोगों के लिए ही किए थे जिनका कि आज उपयोग किया जा रहा है । शायद हमारे संविधान बनाने वालों ने, हमारे पूर्व पुरुषों ने इन चीजों को ध्यान में रखा होगा कि कभी कोई ऐसा भी कर सकता है । अ.र, वह किया गया । आज यह अधिकार हम लेने जा रहे हैं या अधिकार देने जा रहे हैं,इस अधिकार को हम क्यों देने जा रहे हैं, यह भी सोचने की बात है ।

अभी तो बहुत सारी बातें हैं, महोदया । इन चार राज्यों के अपने जितने कारपोरेशन हैं, जितनी सरकारी संस्थाएं हैं उनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और भी दूसरे बहुत सारे पदा-धिकारी ऐसे लोगो को बनाया गया है, जो ऐसी संस्थाओं के सदस्य हैं, जिन संस्थाओं को बैन कर दिया गया है । अभी तक उनको वहां से हटाया नहीं गया है । अभी तक वे लोग सरकारी गाड़ी में घूमते हैं, सरकारी गाड़ी, सरकारी टेलीफोन और सरकारी घर का दुरुपयोग कर रहे हैं । मेरी आपके माध्यम से इस सरकार से मांग होगी कि ऐसे सब पदा-धिकारीगण, जिनको नियुक्त किया गया था, उनको अविलंब हटाया जाए और उसकी पूरी इन्क्वारी की जाए कि आखिर किसके अनुमोदन पर या किसकी रिकमण्डेशन पर उनको वहां बैठाया गया था और उन्होंने क्या-क्या किया है ।

महोदया, उसके बाद मैं चाहूंगा कि जो प्राथमिक शिक्षा में परिवर्तन लाया गया है इन राज्यों में, जहां शिक्षा को उल्ट कर देश के भविष्य या देश के कर्णधारों को गलत इतिहास पढ़ाने की कोशिश की गई है, उसमें भी फिर से परिवर्तन लाने की चेष्टा की जाय और उसको सही बनाया जाये ।

उपसभाध्यक्ष महोदया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोगों को जमीन की एलोटमेंट की गई है । कई-कई एकड़ जमीन की एलोटमेंट की गई है संस्थाओं के नाम पर और ऐसी संस्थाओं के नाम पर, जो कि बैन हो चुकी है । इन राज्यों में इनके समय में जितनी जमीन की एलोटमेंट हुई है सरकारी तौर पर, वह सारी कैंसिल की जाये । इससे पहले भी मैंने इस सदन में एक मसला उठाया था, महोदया, कि जो साध्वी ऋतुम्भरा है उनको मथुरा में जमीन दी गई थी एक रुपये में, पन्द्रह करोड़ की जमीन एक रुपये में दी गई थी . . . (**व्यवधान**)

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : सीतापुर जिले में जो मंत्री महोदय वहां के थे उन्होंने अपने नाम पर ज़मीन ली और वहां पर इंडस्ट्री लगा दी गई ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : प्लीज, आप बीच में न बोलिये । विश्व-जित सिंह जी, अगर आपने कोई तथ्य देने हैं तो लिखकर के चिट दे दीजिये ।

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : मैंने कोई नाम नहीं लिया है ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : उनके पास सारे तथ्य हैं। (व्यवधान) मैं नाम की बात नहीं कर रही हूं। (व्यवधान)

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : आप कह रही हैं कि लिखकर दीजिये। लिखकर मुझे सदन को तभी बताना है (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : मैंने सदन की बात नहीं कही। (व्यवधान) आप सुन रहे हैं। पहले देखिये, मैं खड़ी हूं, आप बैठिये। मैंने कभी नहीं कहा कि सदन को, मैंने कहा कि अगर आप को कोई तथ्य ही इनको देना है तो इनको लिखकर चिट भेज दीजिए। बीच में व्यवधान मत डालिये।

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : मैं इनको बता रहा हूं। (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : आप बीच में न बोलिये। वह बोल रहे हैं। उनके पास सारे तथ्य हैं। आपसे ज्यादा वेल इफोर्मरड है। आप बीच में न बोलें। चलिये, अहलुवालिया जी, अब आप समाप्त करें।

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : मैं तो पक्षपात नहीं करता हूं। मैंने उनको भी टोका, इनको भी टोक रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : आपको टोकने का परम्परागत अधिकार नहीं है और यह अधिकार आपके पास नहीं है।

श्री विश्वजित पृथ्वीजित सिंह : यह केवल आपही के पास, है मैडम। यह मैं मानता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : हां, चेयर पर बैठकर तो मेरे पास है। चेयर पर बैठकर मेरे पास निश्चित ही है। बोलिये अहलुवालिया जी।.. ..(व्यवधान)..

श्री एस०एस० अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं बात कर रहा था शिक्षा प्रणाली की, जो पिछले वर्षों में इन चार राज्यों में प्राथमिक शिक्षा बदली गई हैं, उस पर फिर से गौर फरमाया जाय और उसको सीधा किया जाए कि के साथ-साथ इन चार राज्यों में जो माइनोरिटि इंस्टीट्यूस थे, वहसब करीब-करीब बन्द कर डाले गये जबरदस्ती। क्रिश्चियन माइनोरिटि के इंस्टीट्यशन जो हैं, उसको जो भी सरकार से मदद मिलती थी, जो भी बजट प्रावधान था, आज से नहीं शुरू से चला आ रहा था, वह सब विदड्रा कर लिये गये हैं। तो मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि वह प्रावधान फिर से लागू किये जायें और उनकी इन्क्वायरी करना भी जरूरी है कि किन कारणों से माइनोरिटि के अधिकार छीन लिये गये थे? इसके साथ ही साथ मंत्रियों ने जो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जो वहां पर अपने नाम पर या अपने परिवार के नाम पर, जब राष्ट्रपति शासन लागू होने वाला था, 6 दिसम्बर से पहले, 15 दिन के अन्दर बहुत सारी अलाटमेंट्स हुई हैं, उस 15 दिन की अलाटमेंट्स की पूरी लिस्ट कम से कम सदन को बतायें, इनको बेनकाब करें और सदन को बतायें कि किस तरह से धोखाधड़ी करके, सर्वोच्च न्यायालय से संविधान की आड़ लेकर, किस तरह से देश के नागरिकों के साथ इन्होंने धोखा किया है, यह सामने लाने की जरूरत है। ऐसी सब चीजों पर सरकार को एक निर्णय लेने की जरूरत है औ मैं समझता हूं कि जब तक यह भूल, जो काम किये गये हैं, इन चार राज्यों में, उनमें सुधार नहीं आएगा, तब तक वहां की जनता को और इस देश की जनता को राहत नहीं मिल सकती, क्योंकि जहर बनाने की मशीनें इन चार राज्यों में लगाई गईं, पर उसका जहर पूरे भारत में फैला, जहर बेचा गया इन चार राज्यों में, लोग मारे गये, बाहर के राज्यों में और यह जो जहर है, इसे उगलवाने के लिये जो लोग जिम्मेदार हैं, उन पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। महोदया, कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, इसलिये कि आइंदा फिर से संविधान की आड़ लेकर फिर अपना चोला बदलकर—ये चोला बदलने में बड़े माहिर हैं, इन्होंने अपनी पार्टी का नाम कई बार बदला है और कई बार फिर बदल डालेंगे और फिर नया चोला पहनकर जनता के सामने आयेंगे, संविधान

[श्री एस० एस० अहलुवालिया]

की शपथ खायेंगे और फिर धोखा देंगे। तो इस धोखे से इस देश की जनता को बचाने के लिये अगर इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हुई और हम उसी तरह से फाइल पर डिट्टो लिखते रहे, तो हम अंधेरे में ही रहेंगे और हम देश को अंधेरे में रखेंगे।

मैं ईश्यूज पर नहीं जाता, हमारे बहुत सारे सदस्य राज्यों की बात उठायेंगे, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो आपने वाइट पेपर दिया है, आपने वाइट पेपर में बहुत कुछ लिखा है, यू०पी० के बारे में, किंतु आपने अभी तक उसको साबित करने के लिये कुछ नहीं किया है। कल्याण सिंह अभी भी, संविधान का उल्लंघन करते हुए भी फारमर चीफ मिनिस्टर को जो अधिकार मिलने चाहियें, फारमर चीफ मिनिस्टर को जो सुविधा मिलनी चाहिये, उन सुविधाओं का पूरा भोग कर रहा है। तो ऐसी सुविधाओं का भोग न कर सकें, समाज में फारमर चीफ मिनिस्टर के नाम पर उनको मान्यता प्राप्त न हो, संविधान के उल्लंघनकर्ता के नाम पर मान्यता प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है, अन्यथा संविधान का उल्लंघन करके भी अगर देश में राज करने का और सुविधा का भोग करने का अवसर दिया गया, तो आने वाली पुश्तें भी संविधान का इसी तरह से उल्लंघन करती रहेंगी और सुविधाओं का भोग करती रहेंगी। मैं समझता हूं कि इसके लिये कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिये आपको उचित कदम उठाने चाहियें। धन्यवाद।

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) : उपभाध्यक्षा जी, इन चार राज्यों में -- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल और राजस्थान -- पिछले दिनों राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। उस राष्ट्रपति शासन के लिये राज्य विधान मंडल की शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदत्त करने हेतु इस विधेयक पर हम विचार कर रहे हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आखिर क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई ? ऐसी स्थिति पैदा हुई, इसकी जवाब देही कांग्रेस को सीधे अपने पर लेनी चाहिये। इसमें न तो कोई शरमाने की बात है, न झुंझलाने की बात है। इन चारों राज्यों में से अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थीं और अगर कांग्रेस ने ठीक से वहां शासन किया होता, जनता का दिल जीता होता, तो कांग्रेस की सरकार वहां समाप्त नहीं होती और उसके बाद नौबत नहीं आती कि देश में और दुनियां में इस तरह का जलजला पैदा हो .... (**व्यवधान**) ...

श्री एस० एस० अहलूवालिया : अगर आपने बैसाखी न दी होती इनको तो शायद 1989 में भी वह न आते, दो के दो ही रहते।

श्री शंकर दयाल सिंह : महोदया, यह टोका-टोकी का समय मेरा नहीं गिना जाना चाहिये।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : मैं टोका टोकी होने ही नहीं दूंगी, आप बोलिए।

श्री शंकर दयाल सिंह : महोदया, इसलिए मैंने बहुत दुख और गंभीरता से यह बातें कहीं। अब जिन चार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा है, तो यह चार राज्य लगभग भारत की आधी सीमा रेखा के बराबर होते हैं। मैं लगभग कह रहा हूं। लगभग इसलिए कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश इन चारों राज्यों की सीमा रेखाओं को जब आप देखें तो आपको पता चलेगा कि भारत का कितना बड़ा भूभाग इन चार राज्यों के अधीन है। जनसंख्या को देखें तो उससे पता चलेगा, लोक प्रतिनिधित्व से पता चलेगा और वहां विधान सभा के सदस्यों की संख्या से पता चलेगा कि लगभग आधे देश में यह स्थिति आज पैदा हो गई है। यह चार राज्य जिन पर आज हम विचार कर रहे हैं, यह चारों राज्य हिन्दी भाषा-भाषी राज्य हैं और इन हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों में आखिर भाजपा की सरकार बनी, क्यों ? दूसरी जगह क्यों नहीं बन गई

यह सवाल मैं जानना चाहता हूं? इसलिए भी मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की उपेक्षा नीति इन राज्यों के प्रति रही है, इस बात को आप मानें। गरीबी की सीमा रेखा के नीचे इन राज्यों के लोग सबसे अधिक हैं। अत्याचार बलात्कार और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति इन राज्यों में सबसे ज्यादा खराब होती है। इन राज्यों में जब आप देखेंगे, चूंकि हिन्दी भाषा-भाषी कम पढ़े-लिखे लोग वहां पर हैं। साक्षर और निरक्षर की जो प्रतिशत है वह दूसरी जगहों से यहां निरक्षर की संख्या अधिक है। इसलिए असली बात वह नहीं समझ पाते। तो कांग्रेस को इसकी जवाबदेही लेनी होगी।

अब आपको एक मौका मिला है चाहे जिस कारण से मिला हो। चाहे हमारा सिर झुका हो, देश के माथे पर कलंक का टीका लगा हो, साम्प्रदायिकता के जवान के कारण यह घटना हो गई हो, जो एक सौहार्द का वातावरण चल रहा था उसमें दरार पड़ गई हो, संविधान की खिल्ली किसी राज्य ने उड़ा दी इसके कारण जो भी हो, न्यायालय की अवमानना किसी राज्य ने की इसके कारण जो हों या किसी मुख्य मंत्री ने अपना नाम भले ही कल्याण रखा हो लेकिन अकल्याणकारी कार्य कर दिया हो उसके कारण। किसी कारण राष्ट्रपति शासन इन चारों राज्यों में लागू हुए। अभी भी मैं बहुत जवाबदेही के साथ उठ कर कह रहा हूं कि राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत थी तो एक राज्य--उत्तर प्रदेश में, लेकिन अन्य तीन भी उस चपेट में आ गए और इसलिए आ गए कि सब एक ही चट्टे-बट्टे के थे। जो संविधान की बातें आदरणीय माथुर जी ने अपने भाषण में शुरू में कही, आर्टिकल 356 की बात, 357 की बात और 358 की बात कही। एक बार भी माथुर साहब ने 355 की बात नहीं उठाई। जरा होशियारी देखिए। अगर माथुर साहब, 355 में झांककर देखते कि 356 की स्थिति क्यों आती है। 355 की स्थिति इसलिए आती है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य होता है। आपने इस आंतरिक संरक्षा को इस तरह से झुंठला दिया कि केन्द्र के सामने कोई चारा नहीं रहा। फिर भी मैं खुद कहता हूं कि हम तो चाहते थे कि एक राज्य में राष्ट्रपति शासन हो परन्तु अब चारों में हो गया। किन्तु हम जानते हैं और जिस दल की ओर से मैं खड़ा हूं कि उसकी नीति क्या है? हम चाहते हैं कि सद्भाव रहे, हिन्दू-मुस्लिम एकता रहे, इस देश में किसी तरह की दरार न पड़े, दोनों भाई-भाई की तरह रहें और इसीलिए जब ऐसी स्थिति आई तो उस समय हम इसका बहुत विरोध नहीं कर सके और जब हम विरोध नहीं कर सके तो निश्चय ही हम यह कहना चाहते हैं और बार-बार मुझको अपने ऊपर यह शेर याद आता रहा है कि :

"मैं हूं गुनहगार मंजूर, मगर मेरे खुदा,
तू भी तो शामिल था हर खता में गुनहगार के साथ।"

लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं गृह मंत्री महोदय से कि आज नहीं तो कल, वहां चुनाव होंगे। कितने दिन हम टालेंगे--6 महीना, साल भर। कोई पंजाब और कश्मीर वाली स्थिति तो है नहीं जो कि आप बढ़ाते चले जाएं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, केन्द्र के ऊपर निर्भर करता है कि जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन है, आप किस तरह से उनका संचालन करते हैं। अगर आप फेल हुए उसके बाद की स्थिति क्या होगी, आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। उस पर मैं प्रकाश डालना नहीं चाहता लेकिन मैं बड़े ही अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हम न तो राजनीतिक जामा पहनाएं, न तो धार्मिक मुलम्मा दें। धर्म को राजनीति में कभी भी घसीटना नहीं चाहिए। भगवान राम के नाम पर यह सब हुआ लेकिन मैं अपने भाजपा के साथियों से यह कहना चाहता हूं कि राम का नाम आपने जिस रूप में लिया है, लोकतंत्र के लिए

[श्री शंकर दयाल सिंह]

तो आपने "राम नाम सत्य" कर दिया है यानी उसकी अर्थी उठा दी । जब अर्थी उठती है तो हम लोग कहते हैं कि "राम नाम सत्य" है क्योंकि मृत्यु से बढ़कर कोई सत्य नहीं होता । तो आज लोकतंत्र के सामने जो प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया है, उसके जवाबदेह आप ह । ऐसा नहीं है कि आप नहीं हैं । तो उसकी जवाबदेही भगवान राम के नाम पर डालकर "राम नाम सत्य" जनतंत्र का हो रहा है, गला घुट रहा है ।

इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि सरकार ने जब राष्ट्रपति शासन उन राज्यों में कायम किया है तो पहले वहां की आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थित पर ध्यान दें क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी जवाबदेही हो गई है । कल आप यह नहीं कह सकते हैं कि हम इससे वाकिफ नहीं थे । अब जो दिल्ली दरबार से वहां कार्य का संचालन होगा, उससे कल जनता निर्णय करेगी कि किस सक्षमता के साथ आपने वहां शासन किया, उनको क्या सहूलियतें दीं, उनके लिए क्या काम किया । अगर आपने भी कुछ काम नहीं किया तो मैं कहना चाहता हूं चव्हाण साहब, लोकतंत्र के लिए फिर बुरे दिन आ जाएंगे, आपने इन राज्यों में राष्ट्रपति शासन किया । जो भाजपा शासित राज्यों की स्थिति थी, मैं निश्चित रूप से आपको कह रहा हूं कि वहां अगर चुनाव होते तो शायद भाजपा नहीं आती । इसलिए नहीं आती क्यों कि दिन-प्रतिदिन उनकी स्थिति गिरती चली जा रही थी । मैं देख रहा था । लेकिन इनको एक बहाना मिल गया । जब आदमी शहीद होता है तो लहू का टीका अपने माथे पर लगाकर जनता के पास जाता है, शहादत का परिचय देता है । जनता में सहानुभूति आ जाती है इन्होंने तो कुछ सहानुभूति बटोरी लेकिन संचालन आप कर रहे हैं, जवाबदेही आपकी आती है । अब इन राज्यों में जो स्थिति है, उसके बारे में मैं विशेष रूप से कुछ कहना नहीं चाहता पर कई दलों को आपने गैर-कानूनी करार दे दिया है । क्या उन राज्यों में ऐसे संगठन नाम लेकर नहीं बल्कि बेनाम होकर वहां संचालन नहीं कर रहे हैं? आप जाकर देख आएं । मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हिमाचल में सब तो हैं तो आपका कितना असर वहां पड़ रहा है? तो असर पड़ने के लिए मैं चाहता हूं कि शुरू में आपने जो दो-एक बातें अपनी टिप्पणी में कही हैं, उनके आधार पर और जो माथुर साहब ने कहा और जो अहलुवालिया जी ने कहा है, उनके आधार पर एक रास्ता आपको निकालना चाहिए जिससे कि यह मामला केवल राजनीति और धर्म का न रहे बल्कि सही मायने में यह मामला हल हो सके ।

महोदया, इसके लिए मैं तीन-चार बातें आप के माध्यम से कहना चाहता हूं अभी आप क्या करें जिससे कि आपकी साख भी रहे और संविधान की मर्यादा भी रहे । एक तो यह है कि संसद सदस्यों की सलाहकार परिषद का गठन आपको करना चाहिए । पहले मुझे याद है, हम लोग लोकसभा के सदस्य हुआ करते थे, तो जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन दुर्भाग्यवश लागू किया जाता था, वहां तुरन्त सलाहकार परिषद का गठन होता था । जिसमें पार्लियामेंट के मेंबर्स दोनों सदनों के रहते थे इसलिए कि जनता से सीधे संपर्क हमारा हो सके । आज जो हम रो रहे हैं कि कश्मीर में राजनीतिक संबंध टूट गया, पंजाब में बहुत दिनों तक यह स्थिति पैदा हुई थी । पंजाब में जब चुनी हुई सरकार बैठ गई तो वहां की स्थिति देखिए कि जनता का सीधा अपने प्रतिनिधियों के साथ संबंध हो गया । कहीं जब जनता का सीधा संबंध प्रतिनिधियों से टूट जाए और केवल अधिकारियों के साथ रह जाएगा तो यह बहुत बुरा होगा, लोकतंत्र के लिए भी और आगे आने वाले दिनों के लिए भी । उसमें पहला काम आप यह करें कि संसद सदस्यों की सलाहकार परिषद का गठन करें ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि गृह मंत्रालय में इन सभी राज्यों के लिए अलग-अलग सैल का गठन कर दें जहां से हम पार्लियामेंट के

मैंबर्स अगर कोई सूचना लेना चाहें तो उन राज्यों के बारे में वह सूचना हमें तुरन्त मिल सके और हमको यह जानकारी रहे कि कौन अधिकारी, कौन पदाधिकारी उसको देख रहे हैं।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे अयोध्या के ऊपर आपने श्वेतपत्र जारी किया है, इन चारों राज्यों के ऊपर भी आप एक श्वेतपत्र जारी करें। हम यह नहीं चाहते कि अखबारों में जो बातें आती हैं केवल उनके आधार पर हम निर्णय लें या वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात हो जाए। आप बताइए कि क्या इन राज्यों की स्थिति थी और है और किस प्रकार से आप इनको आगे ले जाना चाहते हैं। तीनों बातें रहनी चाहिएं। एक जमाना था महोदया, जब हम कोई बात कहते थे तो वह अखबारों का समाचार बनती थीं। आज यह दुःखद स्थिति हुई है कि जब अखबारों में कोई समाचार आ जाता है तो उसको लेकर हम संसद में अपनी बात उठाते है। तो हमारी बात गौण हो गई है। हम चाहते हैं कि आप बताइए प्रधान रूप से कि ये क्या है। ये श्वेतपत्र आपको जारी करना चाहिए।

चौथी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप चुनाव टालिए नहीं, आप चुनाव की तिथि का निर्धारण कीजिए, जब भी आपको करवाना हो। हमारे दल के लोगों ने भी इसकी मांग की है। जार्ज साहब वगैरह ने, मुलायम सिंह वगैरह ने, कई लोगों ने इसकी मांग की है। तो लोकतंत्र जो है। वह भयावह तरीके से टाल करके नहीं चलता है। लोकतंत्र में, मैं इस बात को मानता हूं जैसे हमारे बिहार का मुख्यमंत्री किसी भी समस्या को टालकर नहीं बल्कि जा करके, बैठ करके, खड़ा हो करके उस समस्या को हल करते हैं। लालू यादव। हमको इस बात की खुशी है। मैं चाहता हूं कि जनता के पास जाइए। जनता हमारी है। आप क्या समझते हैं कि अगर आज चुनाव हो जाएगा तो नतीजा कुछ और होगा और कल चुनाव होगा तो नतीजा कुछ और होगा? नहीं। लोग हमारे समझदार हैं, मतदाता हमारे समझदार हैं। हम जो दिल्ली में इस गुंबद के नीचे बैठकर जो बात कहते हैं वही केवल समझदारी की बात नहीं है बल्कि जिसको आप "काला अक्षर भैंस बराबर" समझते हैं, उसकी अक्ल हम से बड़ी है। हम यहां घड़ी देखकर समय बताते हैं, वह सूरज की रोशनी देखकर समय बताता है। तो हम उन भारतीय मतदाताओं में विश्वास क्यों न करें। आपको लोकतंत्र की बहाली करनी ही पड़ेगी नहीं तो आपकी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। देखिए, महाराष्ट्र में क्या हो गया है, उसकी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं। त्रिपुरा में क्या हो रहा है। उससे आप जूझ रहे है। और भी अनेक समस्याएं हैं। कितनी समस्याओं को लेकर आप बैठेंगे? एक बेचारे हमारे गृह मंत्री जो हमारे सदन के नेता भी हैं, चव्हाण साहब भले आदमी भी हैं... (**व्यवधान**)

श्री जगेश देसाई (महाराष्ट्र) : मेहरबानी करके इनको बेचारा मत कहिए।..

श्री शंकर दयाल सिंह : बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूं कि शंकर राव चव्हाण इनका और शंकर दयाल मेरा नाम है, नाम में भी समानता रखते हैं। तो कितना बोझ सिर पर लेकर चलेंगे? इसलिए आप जल्दी चुनाव की तिथि का निर्धारण करें, घोषणा करें। ...

श्री हेच० हनुमनतप्पा (कर्णाटक) : अगर वोट के लिए डरें तो आप शंकर क्यों हो? ...(**व्यवधान**) सांप को लपेटे रहते हो और वोट के लिए डर रहे हो ...(**व्यवधान**)

श्री चतुरानन मिश्र : तीसरे शंकर को पावर देने के लिए आप जा रहे हैं, शंकर दयाल शर्मा... (**व्यवधान**)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : ये जो शंकर हैं ये कांग्रेस रूपी सांप गले में लपेटे हुए हैं। ...(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : माथुर जी, मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगी

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

कि हम बहस को निर्बाध गति से चलने दें तो ज्यादा अच्छा होगा बजाए इस व्यवधान के। ... (व्यवधान)

श्री शंकर दयाल सिंह : महोदया कुछ देर पहले इस सदन में एक बहस चल गई थी जब माथुर साहब बोल रहे थे, बहस की शुरूआत कर रहे थे तो श्री विश्वजीत पृथ्वीजित सिंह जी जो अभी अनुपस्थित हो गए हैं, उन्होंने इनके ऊपर और इन्होंने उन के ऊपर इल्जाम लगाया। इन्होंने कहा कि आप ने चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाया। उन्होंने कहा कि आप ने जो ग्राम पंचायतों में चुन कर के प्रतिनिधि आते हैं, उन को हटाया। हम जो बीच में हैं, दोनों की बात मान लेते हैं कि दोनों ने हटाया। लेकिन हम जरूर चाहते हैं कि अगर दोनों आप लोग इस तरह से हटाते रहेंगे तो कुछ हो या न हो जनतंत्र हट जायेगा। हम लोग तैयार हैं इसके लिए। हम लोग इस लिए तैयार हैं, आप अच्छी तरह जानती हैं कि जब कभी भी देश के सामने ऐसी समस्याएं आई हैं, सरकार के सामने ऐसी समस्याएं आई हैं, सदन के सामने भी ऐसी समस्याएं आई हैं तो राष्ट्रीय मोर्चा जो हमारा है वह और वामपंथी मोर्चा है वह, हम दोनों लोगों ने मिलकर देश के हित में बराबर सोचा है, समझा है और रचनात्मक और क्रियात्मक रूप से सरकार को भी सहयोग दिया है। ऐसी बात नहीं है कि हम केवल चाहते हैं कि भाषणबाजी से हमारा काम चले। हम चाहते हैं कि कोई भी सरकार हो उसके पांव जब तक स्थिर नहीं होंगे तब तक हमारा लोकतंत्र नहीं चलेगा। इसलिए महोदया, मैं बड़ी ही दृढ़ विनम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं कि उपयोग और दुरुपयोग की यहां बहुत चर्चा हुई थी कि 356 का उपयोग हुआ कि 356 का दुरुपयोग हुआ। यह बड़े बहस का मुद्दा है। मैं उस संवैधानिक बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि 356 का उपयोग हो, दुरुपयोग हो छोड़िये, उसका सदुपयोग कीजिए। इसलिए सदुपयोग का आपको मौका मिल गया और इसी पर कल का हमारा भारत खड़ा होगा। राजनीतिक भविष्य इस के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए मैंने पांच बातें गृह मंत्री जी से कही हैं। मैं समझता हूं उनको अच्छी तरह से अमल में लायेंगे। मैं विशेष बहस आगे न बढ़ाते हुए अंत में केवल यह कहना चाहता हूं जो बहुत दिनों से मेरे दिल में थी वह केवल चार राज्यों के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं। ये सभी हिन्दी भाषा-भाषी राज्य हैं। केन्द्र के साथ और निकटता का संबंध स्थापित करने के लिए यह भी चाहता हूं कि भाषा के आधार पर भी आप उनकी बातों को कुछ समझें, कुछ सुनें। एक बात आप अभी कर लें यह आपके हाथ में है। इन चार राज्यों के साथ आपका जो पत्राचार या बातचीत हो कम से कम इन राज्यों के साथ राजभाषा हिन्दी में हो। इसलिए कि वे "क" क्षेत्र के राज्य हैं और "क" क्षेत्र के राज्यों में हिन्दी है। सभी की राजभाषा हिन्दी है। बार-बार इस सदन में यह कहा गया है और प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी और प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी यह आश्वासन दिया था कि एक भी राज्य जब तक विरोध करेगा तब तक हिन्दी राजभाषा पूर्ण रूप से नहीं होगी, अंग्रेजी चलेगी। कृपया स्वराष्ट्र मंत्री जी, स्वराष्ट्र मंत्री कह रहा हूं गृह मंत्री नहीं कह रहा हूं, सरदार वल्लभभाई पटेल जी को स्वराष्ट्र मंत्री कहा जाता था वही कह रहा हूं। आप उसी प्रांत से आते हैं, उसी धरती से आते हैं। स्वराष्ट्र मंत्री जी आप उस को एक बार उलट कर देखें। प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू जी का यह आश्वासन था कि देश का कोई भी राज्य अगर अंग्रेजी में पत्राचार करना चाहेगा केन्द्र के साथ तो उसको इस बात की छूट रहेगी। तो जो राज्य हिन्दी में आपके साथ पत्राचार या जो कुछ भी करना चाहें उनको आपकी ओर से भी छुट होनी चाहिए। वे जिस भाषा में भी आप से बात करना चाहते हों आप भी उनसे उसी भाषा में करें। इसीलिए केन्द्र की बातें वहां तक नहीं पहुंचती हैं। इसलिए कांग्रेस की बातें ठीक से इन हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों में नहीं

पहुंच सकी। इसलिए आप जनता से दूर हो गये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मैंने जो आवश्यक बातें आपके सामने रखी हैं राजनीति से ऊपर उठकर आप उन पर ख्याल करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदया, मैं उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल की शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान करने, मध्य प्रदेश राज्य विधान मंडल की शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान करने, राजस्थान विधान मंडल की शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान करने और हिमाचल प्रदेश विधान मंडल की शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान करने हेतु जो विधेयक आया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदया, संविधान के अनुच्छेद 356 का जिस तरह से उपयोग किया गया है मैं समझता हूं वह बिल्कुल ही उपयुक्त, उचित और न्याय संगत रहा है। उस पर मोहर राज्य सभा और लोक सभा दोनों में लगा भी दी गई है। उसकी पुष्टि भी हो गई। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब राष्ट्रपति को कुछ अधिकार देने की बात की संविधान के अन्तर्गत तो उस सिलसिले में कभी-कभी ऐसे प्रश्न लोकतंत्र में आते हैं कि संविधान की मान्यताओं के आधार पर कठोर कदम उस सूरत में अवश्यभावी हो जाते हैं जब कि किसी प्रदेश की सरकार, हमारे संविधान का ढांचा संगठनात्मक है, उस ढांचे के अन्तर्गत अगर प्रदेश सरकार संविधान का उल्लंघन करती है, जो लोकतंत्र की वेल्यूज और मान्यतायें हैं उनका उल्लंघन करती है और न्यायपालिका की अवमानना करने पर तुली होती है और धर्म को राजनीति से जोड़ कर सत्ता की लालसा और लालच में एक प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में साम्प्रदायिकता को भड़काती है तो ऐसी सूरत में केन्द्रीय सरकार के सामने कठोर कदम उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता है। संविधान की रक्षा करने के लिए और मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है। इस संबंध में एक बात और भी है, धारा 356 में जो स्थिति उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में जहां पर बी०जे०पी० की सरकारें थीं वहां शायद ये लोग सत्ता में नहीं आते अगर हमारे उधर के कुछ साथियों ने ऐसा कुछ नहीं किया होता जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में सत्ता में आई। कांग्रेस तो सिद्धान्तों पर चलने वाली पार्टी है, उसका आधार धर्मनिरपेक्षता रहा है और उसका एक गोरवशाली इतिहास है। आज भी अनवरत रूप से वह अपने सिद्धान्तों पर चल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि कुर्सी के लिए इन लोगों ने गैर-कांग्रेसवाद चलाया जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में सत्ता में आई। इन्हीं लोगों के तालमेल से और बैसाखी के बल पर ये लोग चार राज्य में सत्ता में आये। अगर इन लोग ने बी०जे०पी० का साथ नहीं दिया होता तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। कांग्रेस तो सिद्धान्तों पर चलने वाली पार्टी है और आगे भी चलती रहेगी। जिस तरह से ये लोग आपस में लड़ते रहे हैं उससे कितने ही विभाजन इनके हो गये हैं। 11 महीने तक भी ये अपनी सरकार को नहीं चला सके। 11 महीने में इनकी पार्टी टूट गई। आज ये लोग कितने ही धड़ों में विभक्त हो गये हैं। इन लोगों ने जिस प्रकार से लोकतंत्र की अवमानना की है उसको लोग कभी भूलने वाले नहीं हैं।

दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाने के बाद संविधान की शपथ लेने के बाद सत्ता में आने के बाद अयोध्या में जाकर राम लला के दर्शन किये और दर्शन करने के बाद ये यह दोहराते रहे कि हमें तो मंदिर बनाने का जनादेश मिला है और जिस प्रकार से इन्होंने संविधान की अवहेलना की, लोकतंत्र की मर्यादा की हत्या की और केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, चारों हिन्दी भाषी राज्यों में और पूरे देश में हिंसा को भड़काया, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा किया उस स्थिति में इन राज्यों

[श्री राम नरेश यादव]

में राष्ट्रपति का शासन लागू करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में भी आश्वासन दिया गया और शपथ पत्र भी दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिये कि आदेश का पालन किया जाय और ये लोग कहते रहे कि कार सेवा का मतलब कीर्तन-भजन है और विवादित ढांचे को कोई नुक्सान नहीं पहुंचाया जाएगा, ऐसे आश्वासन देने के बाद भी जो किया गया उससे संविधान की रक्षा करने के लिए 356 का सहारा लिया गया और राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट भेजनी पड़ी। तो केंद्रीय सरकार को उस रिपोर्ट के आधार पर उसका पालन करना आवश्यक हो गया था। इसीलिये 356 के तहत इन चारों राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि जब वहां पर चुनी हुई सरकारें नहीं हैं तो काम तो होना ही है। सत्ता राष्ट्रपति के हाथ में है। तो इस सूरत में राष्ट्रपति को अधिकार देने के लिये यह जो विधेयक आया है यह अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। लेकिन साथ ही साथ कई प्रश्न खड़े होते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश का सवाल है, राजस्थान और सारी जगहों का सवाल है, सत्ता में आने के बाद जिस तरह से घिनौने रूप से राजनीति को धर्म के साथ जोड़कर इन्होंने काम किया, स्थान-स्थान पर शिशु मंदिर खोले जाने लग, शाखायें लगने लगी तो इनके आधार पर हुआ क्या? हमारे देश का एक और समाज, अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम, जो हमारे देश का एक राष्ट्रीय अंग है, जिसका देश की एकता, राष्ट्रीयता और अखंडता की रक्षा करने में बहुत बड़ा हाथ रहा है, उसके ऊपर इन्होंने हाथ उठाना शुरू कर दिया। उनके दिलों को तोड़ने का इन्होंने काम करना शुरू कर दिया और हिंसा को फैलाकर लोगों को लड़ाने का काम शुरू कर दिया। इसी आधार पर जोशी जी ने एक यात्रा की थी। वे कश्मीर भी जाना चाहते थे लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि कश्मीर में अपने आप

[श्री राम नरेश यादव]

अकेले जायें। हमारी सरकार को वहां भी उनको सुरक्षा देनी पड़ी। सरकार ने वहां भी उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी ली।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : जोशी जी को कश्मीर में जाने के लिये आपकी सरकार ने क्यों मदद की? आप तो अभी आरोप लगा रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : यादव जी, उनको बोलने दीजिये।

श्री राम नरेश यादव : मैं समझता हूं कि इस देश के किसी भी नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर एक दल के नेता इतनी हिम्मत नहीं करता है कि अपने दल के कार्यकर्ताओं को लेकर जाय तो क्या कहें। वह केवल देश के लोगों के सामने यह दिखाना चाहते थे कि वह वहां झंडा फहरायेंगे। क्योंकि इससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता था इसलिये केंद्रीय सरकार ने जब उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की तो मैं समझता हूं कि यह सरकार का न्यायोचित कदम था और सरकार ने, जो सरकार का दायित्व था, उसका पालन किया। इसलिये इसमें कहीं पर भी सरकार की तरफ से कोई ढील दिखायी नहीं दी। अगर उनकी जगह पर कोई और जाना चाहता तो उसके लिये भी सरकार यही करती। इसलिये हमारा कहना है कि इन्होंने जिस तरह से इन सारी चीजों को करने की कोशिश की, जिस तरह से प्रदेश को जलाने की कोशिश की, मैं बताना चाहता हूं कि राम का नाम लेकर जिस तरह से इन्होंने यह सारा षडयंत्र पूरे सूबे के पैमाने पर किया, वह मैं समझता हूं कि....

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : आपका ही नाम ले रहे थे।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज) : ये राम के भी नरेश हैं, राम नहीं हैं।

श्री राम नरेश यादव : एक बात जरूर है कि एक तरफ तो वे उनका

नाम ले रहे थे लेकिन उनके जो गुण हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहकर जो हम राम को पुकारते हैं, उनके विरुद्ध सारा काम किया और देश को सांप्रदायिकता की भट्टी में झोंकने का इन्होंने काम किया। राम ने एकता का प्रदर्शन किया था। उन्होंने लोगों को मिलाने का काम किया था भील, कोल सब को मिलाकर पूरा उत्तर और दक्षिण को उन्होंने मिलाने का काम किया था लेकिन यहां पर इन्होंने हिन्दू-मुसलमान की आग फैलाकर सारे देश के टुकड़े करने की साजिश की। यह साजिश बहुत खतरनाक थी। फिर राम ने गद्दी त्याग दी थी। चाहे बाली वध का मामला रहा हो, चाहे रावण का मामला हो, वे कुर्सी के पीछे नहीं भागे। लेकिन जिस राम ने कुर्सी त्यागी, कुर्सी पर जिसका ध्यान कभी नहीं गया, उसका नाम लेकर कुर्सी पर बैठने के लिये वे सारे काम किये जो संविधान के खिलाफ थे। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने पूरे देश की छवि सारे संसार में बदनाम करने की कोशिश की है। यह बहुत खतरनाक काम था। इसलिये इस आधार पर सरकार के सामने, जैसे कि हमारे दूसरे सदस्य ने कहा और कोई चारा नहीं था। उनकी यह बात सही है। सरकार ने सही समय पर सही कदम उठाकर राष्ट्रपति शासन को इन राज्यों में लागू करके अपने अधिकारों का उपयोग किया है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : देर आयद दुरुस्त आयद।

श्री राम नरेश यादव : मैं साफ बात यह कहना चाहता हूं कि आखिर संविधान है और संविधान में आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति को अधिकार है। इसी अधिकार के आधार पर राज्यपाल ने सिफारिश की और उसके बाद सरकार ने उस अधिकार का इस्तेमाल किया। उसमें कहीं विलम्ब करने की बात मैं समझता हूं कि इस आधार पर नहीं आती है। इसलिए सही समय पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा हुई और जब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो अब सवाल यह है कि अनुच्छेद 356, 357(1)(ए) के आधार पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो या कहीं की भी सरकार हो, इस बीच में इनकी सरकारों के समय में विकास के काम जो पहले हो रहे थे, सब रोक दिये गये थे। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मैं बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि एक भी जो विकास का काम होना चाहिये था, जो काम भी हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस को रोक दिया। इसलिए रोक दिया कि उन्हें फुर्सत ही नहीं थी, उनका सारा ध्यान तो राम लला के दर्शन करने, रैलियां करने और रथ यात्रा कराने में जा रहा था। इसलिए उत्तर प्रदेश पिछड़ा है, जहां पर गरीब लोग रहते हैं। अभी बम्बई में जो घटना घट गई। महोदया, यह बहुत साफ बात है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लोग, बिहार के लोग बाहर जा कर, बम्बई जा कर बम्बई में यदि गाढ़ी कमाई नहीं करते तो अपनी जिन्दगी बसर नहीं कर सकते थे। वहां से अपने सूबे में अपने परिवार के सदस्यों के पास भेजते थे। उनके लिए यही आमदनी का एक ज़रिया था। यह भी समस्या इन लोगों ने खड़ी की है। बम्बई जला, अहमदाबाद जला और जगह जलीं और वहां से लोग भागे। यह भी एक खतरनाक स्थिति हो गई। यह चीज हो गई इसलिए मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। विशेष ध्यान इसलिए देना पड़ेगा कि विकास के काम ठप्प हो गये हैं। मैं माननीय मंत्री से यह कहना चाहूंगा कि जो विकास के काम ठप्प हुए हैं इन सब का आप सर्वे कराएं, जांच कराएं और जांच कराने के बाद उनकी एक सूची तैयार करवाएं। इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा।

[उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) पीठासीन हुए]

[श्री राम नरेश यादव]

उपसभाध्यक्ष महोदय, चुनाव तो आएगा, ठीक है, चुनाव 6 महीने के बाद भी हो सकता है लेकिन विशेष रूप से जरूरत इस बात की है कि कैसे साम्प्रदायिक सदभाव रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की गरीबी और दूसरे राज्यों की गरीबी को ध्यान में रखते हुए कैसे विकास के काम चलें जो ठप्प हैं, जिनमें राजनीति लाने का काम किया गया था, राजनीति घुसेड़ने का काम पहले की सरकार ने किया, उन सारे ठप्प हुए कामों को चालू करवाने का काम करें। इस बात की ओर ध्यान जाना बहुत आवश्यक है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं जैसे कि अहलुवालिया जी ने कहा कि म्युनिसिपल बोर्डों और कोआप्रेटिव सोसाइटीज में जो चुनी हुई संस्थाएं थीं हिन्दू राष्ट्र के नाम पर इस प्रदेश और देश के जनमानस को जो उनसे संबंधित थे उन लोगों को भेज कर खराब और विकृत करने का काम किया गया है। यह बहुत खतरनाक और घृणित काम हुआ है। शाखाओं के जरिये जमीन दी गई, शिशु मन्दिर खोलने के लिए पैसे दिये गये। आप इसकी जांच कराइये और जांच करावा कर जिस किसी भी तरह से इनको जमीन दी गई है, पैसे दिये गये हैं, उनका हिसाब-किताब आप ले लें और ऐसी सारी संस्थाओं को आप खत्म करें। जब आपने एक तरफ आर.एस.एस. के लोगों पर आपने पाबंदी लगाई है तो इस तरह से शिशु मन्दिरों को चलाने का अधिकार भी नहीं मिलना चाहिये। इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिये। साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी न्यायपालिका है, उसकी मर्यादा है। इनके सामने तो न्यायपालिका की मर्यादा कुछ है ही नहीं क्योंकि न्यायपालिका को जिस तरह से शपथ पत्र देने के बाद उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, अवमानना करते हैं। जब इनके ध्यान में संविधान नहीं है, सैकुलरिज्म नहीं है, लोकतंत्र नहीं है तो एक बात जो हमारे प्रदेश में और दूसरे राज्यों में हुई है, न्यायपालिका में भी भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिकरण करने का काम किया है। सारे आर.एस.एस. के लोगों को सरकारी वकील बना कर इस बात को देखने का काम किया है कि दूसरा कोई रखा ही नहीं गया। लिस्टें बनवाई गई आर.एस.एस. के लोगों की जो इनके प्रचारक थे और दूसरे लोग थे उनको सरकारी वकील बनाने का काम इन्होंने किया है। डिस्ट्रिक्ट जज से ले कर हाई कोर्ट तक जिस तरह से वकीलों को रखा है, हमारा गृह मंत्री जी से निवेदन है कि इससे बढ़िया समय आपको नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कि वकील न्यायपालिका का एक अंग होता है जो वहां जा कर अपना पक्ष प्रस्तुत करता है, सरकार का पक्ष प्रस्तुत करता है लेकिन अगर वहां पर इस तरह से राजनीति लाने का काम होगा तो निश्चित रूप से प्रदेश का वातावरण खराब होगा। इसी आधार पर वातावरण को खराब करने का काम इन्होंने किया है। किताबों और शिक्षा के क्षेत्र में जो सारी चीजों में गड़बड़ी पैदा की है वह भी बहुत चिंता की बात है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन सारी बातों पर विशेष ध्यान दें कर आप समीक्षा करें और समीक्षा कर के जितने भी इस तरह के काम हुए हैं सब को समाप्त करने का काम करें। क्योंकि लोकतंत्र के नाम पर अगर राम मन्दिर बनाने का, निर्माण का दावा करके कोई सरकार आये और लोकतांत्रिक पद्धति, परम्परा और इस देश के संविधान का उल्लंघन करें या इस तरह की बात करती है तो लोकतंत्र के नाम पर इस तरह की सहायता करने का अधिकार उस सरकार को नहीं है। इसलिए आप उनके सारे कामों क इस आधार पर समीक्षा करके खत्म करने की दिशा में भी कदम उठायें। जहां तक चुनाव का सवाल है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि चुनाव तो होगा ही। लोकतंत्र का एक अंग है।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : कब होगा, अप्रैल में या मई में। यह भी तो बताएं कि कब होगा... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जब देश आपके पाप से मुक्त होगा।

श्री संघ प्रिय गौतम : उन्होंने खुद कहा है।

श्री राम नरेश यादव : मैं कह रहा हूं कि चुनाव तो लोकतंत्र का अंग है ही। उसी पर तो देश टिका है और यहां पर लोकसभा और संसद बैठी है। लेकिन एक बात जरूर है कि उस लोकतंत्र की बहाली के लिए, जो देश में प्रदेश में विशेष रूप से जो उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक सदभाव बिगड़ा है उसको भी ठीक करने के लिए कदम उठाना जरूरी है जब तक यह स्थिति नहीं आती है तब तक चुनाव करने का पक्षधर मैं नहीं हूं। मैं चाहता भी हूं कि सरकार इतनी जल्दी इस मामले में न करे। जल्दी से भी कोई बनने वाला नहीं है। इसलिए इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि सरकार बहुत गम्भीरता से इस ओर ध्यान दे और जो विधेयक आया है वह विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया जाए। उधर आपको कहना चाहता हूं, बी.जे.पी. से कहना चाहता हूं कि धर्म के नाम पर देश को टुकड़े करने की साजिश मत कराइये। समय है। मैं जानता हूं कि आप नहीं सुन सकते हैं लेकिन फिर भी देश की जनता को बताना होगा आपने जिस तरह से देश को राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने का काम किया, तोड़ने की साजिश की है, जिस तरह से पिछले दिनों कुछ लोगों ने देश की जनता को गुमराह किया था और आपने उनका साथ दिया था। आने वाले दिनों में जब भी चुनाव होंगे निश्चित रूप से चाहे हमारे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हों, चाहे मध्य प्रदेश में हों, राजस्थान में हों या हिमाचल प्रदेश में, यही जनता, वहां का नागरिक खड़ा होगा, मतदाता खड़ा होगा और वहां कहेगा कि हमें इस इस सरकार की जरूरत है। हमें ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है जो धर्म के नाम पर राजनीति को जोड़कर सत्ता में आने का काम करे या हमें ऐसी सरकार की भी जरूरत नहीं है जो सरकार सत्ता में आने के बाद ग्यारह महीनों तक भी अपनी सरकार को नहीं चला सके और अपने दल को तोड़ने का काम करे। इसलिए ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है। चुनाव होगा तो कांग्रेस की जीत होगी, सिद्धांतों की जीत होगी, सोशलिज्म की जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ महोदय, यह जो विधेयक आया है मैं इसका समर्थन करता हूं और उधर के लोगों से कहता हूं कि जरा विचार करिये, अपने हृदय पर हाथ रखकर टटोलिए। उन शहीदों को याद करें जिन्होंने स्वाधीनता संघर्ष के दौरान कुछ मूल्यों की रक्षा करने के लिए सारा संघर्ष किया था। उनको याद करते हुए आप देश की रक्षा करें और देश को बचाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, चार राज्यों के विधान मंडल की राष्ट्रपति के हाथ पावर डेलीगेशन का सवाल है। यह विधेयक या ऐसा विधेयक लोकतंत्र के हित के लिए सही नहीं है। न तो राष्ट्रपति राज्य के कानून बनायें न तो संसद, हम यह चाहते हैं कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो विधान मंडल में चुने जाते हैं उनको यह अधिकार हो। लेकिन एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा की गयी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमांचल में। वहां की जनता के साथ धोखा किया गया। जनता ने तो राम, रोटी और इन्साफ के नाम पर तथाकथित रामभक्तों को चुन लिया। राम के नाम पर सरकार बनाने वालों ने पहले ही जो छोटे छोटे मन्दिर थे राम भक्तों के उनको तोड़ डाला। जब रामकोला के गन्ना किसान

[श्री मोहम्मद सलीम]

अपनी रोटी के लिए मिल मालिकों के पास 248 करोड़ रुपये मांगने गये तो रोटी के लिए भूखे उन किसानों को गोली से मारा गया। इन्साफ का सवाल तो पूछिए मत। अब भी इस देश में लाखों करोड़ों इन्सान यह सोच रहे हैं कि हम किस दिशा की ओर जा रहे

00 P.M. हैं, चूंकि इन चारों राज्यों में सरकार चलाने वाले लोगों ने कानून, संविधान, विधान मंडल, संसद इन सब की धज्जियां उड़ा दी हैं। कहें कि हम भावना से प्रेरित होकर सरकार चलायेंगे, देश चलायेंगे, और लोगों को भड़काओ, और भटकाओ कि वह भावना यह कहने लगे इतना ऊंचा पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट के मीनार से भी ऊपर और पार्लियामेंट के मीनार से भी ऊपर—अब हम भावना के अलावा दूसरी कोई बात नहीं करेंगे। संसद में भी इसके बारे में चर्चा नहीं करने देंगे और वह स्थिति आप अभी भी जानते हैं। बम्बई में आज जो हुआ, कारण जो कुछ भी हो, संगठन या उनके पीछे हाथ जिनका भी हो, लेकिन ऐसे लोगों को मौका मिला। हमारे देश में जोकि कानून का बंदोबस्त है, उसे कुछ लोग धमाके के साथ तोड़ डालना चाहते हैं और इस स्थिति में यह चार सरकारें जो पांच साल के लिए चुनी गई थीं, इन्हें जाना पड़ा, या यह खुद—मेरा मानना है कि अपने जाने के लिए रास्ता इस तरह से तैयार किया कि और ज्यादा दिनों तक विद्यार्थियों के ऊपर, किसानों के ऊपर और मजदूरों के ऊपर यह गोलियां चला कर, सरकार चला नहीं पा रहे थे। इसलिए एक बिंदु पर आकर खड़े हो गये, पूरे देश में ऐसा माहौल पैदा किया जो विश्व का कोई भी देश दिसम्बर, जनवरी या 12 मार्च का जो वाक्या है, इसे अपने इतिहास से जल्दी से भुलना चाहेगा।

मान्यवर, यह विधेयक जो पेश किया गया, तो इसमें कारण दिखाते हैं, संसद को समय नहीं मिलेगा। आखिर संसद है किसलिए। अगर समय निकालने की जरूरत है, तो इसे बढ़ाइये, प्रतिनिधियों को बैठना चाहिए। यह चार हमारे बहुत मुख्य राज्य हैं और जिस स्थिति में सरकार द्वारा यहां के विधान मंडल को भंग किया गया, वहां की जनता के साथ भी इन्साफ होना चाहिए था। हम आपस में विचार-विमर्श करके जो स्थिति वहां बिगाड़ी गई, उसे सुधारने की कोशिश करते। हम अगर कहते हैं कि नहीं सांसदों की कमेटी बना करके मश्विरा लिया जाएगा, तो हम जानते हैं कि दरअसल यह जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वही राष्ट्रपति के नाम पर कानून आएगा, लेकिन जो होम मिनिस्ट्री 6 दिसम्बर के आगे और 6 दिसम्बर के बाद पूरे देश को दिखा गया कि वह कितने काबिल हैं, उनके हाथ में हम अख्तियार दे रहे हैं कि उसमें राष्ट्रपतिजी को मुहर लगा करके वहां के लोगों का भाग्य ठीक करेगा।

हमारी यह समझ है और मेरी पार्टी की यह समझ है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की जो गलतियां हुई, उसे सुधारने के लिए जन-प्रतिनिधियों को, जनता को अच्छे ढंग से जोड़ना चाहिए था और उसके बाद संसद में ही अगर हम समय निकाल कर इस बारे में चर्चा करते, तो सही रहता। हम तो ऐसे हैं, हमारी पार्टी 356 की धारा लगा करके सरकार खारिज करने या विधान मंडल तोड़ने के पक्ष में नहीं, लेकिन आप इसी से गंभीरता समझ सकते हैं कि किस स्थिति में इन लोगों ने देश को पहुंचाया था और उन राज्यों को और इस देश की जनता को कि हम छह दिसम्बर से पहले ही स्थिति का जायजा लेकर सरकार से यह कह रहे थे कि जो सरकार संविधान नहीं मानती, जिसने संविधान को ऐसे संकट की स्थिति में डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक बात कहते हैं और करते और हैं, उसे चलने नहीं देना चाहिए था। लेकिन हमारे यहां पर गृह मंत्री बैठे हुए हैं इनकी हालत तो वही वकील की तरह हुई।

जब मैं स्कूल-कालेज में पढ़ता था, तो यह लतीफा मुझे मालूम था। एक वकील साहब के घर में चोर दाखिल हुआ। उनकी बीबी कहते हैं—अजी उठो घर में चोर आया है।

वह कहने लगे, कैसे चोर कहती हो, इसने तो अभी तक चोरी की ही नहीं। सिर्फ एक ट्रेसपासर घर के अन्दर आया है। पहले एक्ट आफ थेफ्ट, यह कमिटेड हो, तब ना कुछ करेंगे। यहां सीरीज आफ बयान देते गये कि कल्याण सिंह ने जो कहा है, उससे उसे चोर साबित नहीं किया जा सकता।

बाद में वह बोली कि उसने अलमारी खोल दी है। इस पर वह बोले कि अलमारी खोलने से भी वह कानून इतना तगड़ा नहीं है कि उसको पकड़ा जा सकता है।

फिर वह कहती है, अजी, उठो--वह सामान निकाल कर बांध रहा है। वह बोले कि जब तक वह घर से बाहर नहीं निकलता, तो कानून में हम लोग यह साबित नहीं कर सकते कि वह चोर है।

जब वह घर से सामान लेकर निकलने को चला, तो कहने लगे कि हमारे दिमाग में अच्छा आइडिया आया है--तीन दिसम्बर, को जो उन्होंने यहां बयान दिया था--कि अगर चोरी करके भाग जाए और घर चला जाए, हम पुलिस लेकर पहुंचते हैं, तो माल भी बरामद होगा और कानून जब तक उसको खींचेगा नहीं कोर्ट में उसको एकदम साबित कर देंगे। मैं धारा, उपधारा में नहीं जाता। वह चोर तमाचा मार कर सामान लेकर चला गया और चलो भैया चोरी भी किए और ऐसे अगर आप वकील वकालत करेंगे, हमें चार-पांच दिन 6 दिन होम मिनिस्ट्री लग गया...(व्यवधान) उस तमाचे का असर ढूंढने के लिए, सामान भी गया, चोरी भी हुई, इज्जत भी गंवाई। .....(व्यवधान) हमारी होम मिनिस्ट्री की स्थिति वह हुई थी। अब देखिए यह भी सैयद मानकर तलाक-तलाक करने लगे। ...(व्यवधान) तो मैं जो बात कह रहा था, मान्यवर, वह यह है कि स्थिति को अगर सुधारना चाहते हैं तो जो गलतियां ये किए हैं पहाड़ समान उसे सुधारना पड़ेगा। चाहे वह राजस्थान में हो, उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो या हिमाचल प्रदेश में हो। मैं अपने उन साथियों से कह रहा हूं कि जो लोग हर खेत में पानी और हर हाथ में काम का नारा देकर आए थे, वह आ करके जो काम किए, मध्य प्रदेश में क्या हुआ? पहले ही कितने रुपने का हिसाब देना चाहिए किसके पीछे खेला गया, मास ट्रांसफर, एक्सटेंशन आफ सर्विस, वह लेकर आपस में लड़ना शुरू कर दिए। जो पार्टी अपने को सब से ज्यादा डिसिपलिंड पार्टी कहती है, शिक्षा के बारे में प्राथमिक शिक्षा को खत्म किया गया बहुत योजनाबद्ध तरीके से और सांप्रदायिक संगठन आज जिसमें आप प्रतिबंध लगाए हैं, उनसे स्वीकृत परीक्षा, उसको सरकार अनुमति दी। लाटरी, मैं उन दिनों भोपाल बार-बार गया। क्योंकि नौजवानों के सामने यह बड़ी समस्या थी, यह तो दो करोड़ 6 करोड़ के लिए कांट्रेक्ट दे दिए, सट्टा वालों को लाटरी के खेल में लगा दिए। स्टेट गवर्नमेंट दिन में चार लाटरी, नौजवान उसके पीछे भाग रहे हैं। जो लोग प्रगति की बात करते हैं, समाज सुधारने की बात करते हैं, गौरव की बात करते हैं, वहां स्यूसाइड का जो रेट है वह बढ़ गया। तलाक जो कह रहे थे जैन साहब, वह बहुत बढ़ गया। इसका अगर सोशियोलोजीकल इक्वीकेशंस आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में यह सरकार दिन में 4-6 लाटरी जिसमें रोजाना अखबार खोलने से पूरा पेज भा.ज.पा. के नेतागण और पटवा जी का वह तस्वीर दे करके, देश कितना प्रगति में चला है, राज्य कितना प्रगति में चला है, दिन में 6-6 लाटरी हो रहा है, दिन में 6-6 लखपति बनेंगे। उसके साथ ही आप देखेंगे नौजवान लाटरी खेलते-खेलते फकीर हो गया। डाइवोर्स हुआ, घर छोड़ना शुरू कर दिया और इसलिए वह तलाक-तलाक यहां कह रहे हैं। जमीन के बारे में कहें। यह तो सभी राज्यों में कॉमन था। बिना पैसे में दान देना शुरू कर दिए। जो बगैर जमीन वाले किसान थे, जो खेत मजदूर थे, जिसे हम भूमि

[श्री मोहम्मद सलीम]

सुधार करके उसे जमीन देना चाहते हैं, राजस्थान में इनकी सरकार, मैंने इस संसद में इस सदन में भी उठाया, वहां वह जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के जो लोग थे, उनको जमीन से उजाड़ करके दोबारा जमींदारों के हाथ में जमीन वापस देने की कोशिश की गई। शहर की जो अच्छी-अच्छी जमीन थी उनको वह अपने खास लोग, ये लोग माहिर हैं, रोजाना दो-चार संगठन के नाम पर झंडा और साईन बोर्ड लगाते रहते हैं.... (व्यवधान) साईन बोर्ड बना करके, मीणा साहब राजस्थान के हैं उन्हें मालूम है, लेकिन हमारा अफसोस यह है कि जब उन चार राज्यों में लोग कांग्रेस को छोड़ करके बी.जे.पी को सरकार चलाने दिए थे, मैं भी उस राज्य से आता हूं जहां कि गैर कांग्रेसी सरकार चलती है, तो लोगों को इतनी उम्मीद रहती है कि नया कुछ होगा। लेकिन वह सब किया जो आप गलती किए थे। उसको थोड़ा डिग्री बढ़ा दिए, स्पीड बढ़ा दिए। आपकी गलतियां वह वही तेजी से और ज्यादा लागू करने लग गए। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं, मैं उनकी चार्जशीट नहीं बना रहा हूं कि वह सरकार क्या किए, राष्ट्रपति शासन के समय आप होम मिनिस्ट्री से यहां जो सरकार चला रहे हैं इन राज्यों में तो उनकी गलती को सुधारें या आप फिर वही करेंगे जो यह किए या जो आप करते आए थे। चार राज्यों में सरकार हटाने के बाद आपने जो प्रतिबंध लगाए हैं सांप्रदायिक संगठनों के ऊपर उसे लेकर मजाक हो रहा है। चाहे वह मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो जो अब तक वह पोलिटिकल एप्वायंटमेंट दिए थे, जिन लोगों को आप अभी उन्हें छुए भी नहीं उत्तर प्रदेश में, वह कैसे लागू करेंगे प्रतिबंध, बैन आर्डर? तो सवाल यह पैदा होता है कि आप उसमें उत्साहित हैं, जो सांप्रदायीकरण किया गया वहां के समाज को उसे आप दोबारा जनता के अंदर एकता कायम करके वह भावना पैदा करना, जहां लोग पहले भी मिल-जुल कर रहे थे, अब भी मिल-जुल कर रहेंगे। लेकिन राष्ट्रपति शासन होने के बाद आप तो दौड़ रहे हैं कि किस को कहां अफसरी मिल जाय, किस को कहां कमेटी मिल जाय, किसको चैयरमेनशिप मिल जाय, जिसके पास लाल बत्ती पहुंच गयी है तो दूसरा चाहता है कि उसके पास भी पहुंच जाय? इसमें इन चार राज्यों की स्थिति सुधारने का जो सवाल था, वह न जाने कहां खो गया है?

महोदय, तेंदू पत्ते के बारे में यहां सदन में चर्चा हुई थी कि मध्यप्रदेश में आदिवासियों को लूटने के लिए किस तरह से बंदोबस्त किया गया? आपकी एक पार्टी के लोग एक गुट के लोग थे, लेकिन दूसरे गुट के लोगों ने इस बारे में विरोध किया। भिलाई में मजदूरों का जो "मास अकर" हुआ। राष्ट्रपति शासन के पूर्व कांग्रेस बेंच से यह कहा जाता था कि शंकर नियोगी के हत्यारों को ढूंढ निकाला जाये। ये नहीं निकालेंगे क्योंकि इनका बिजनेस मेन के साथ गठजोड़ था। महोदय, अफसोस की बात है कि जब ये विरोधी पक्ष में रहते हैं तो दूसरी तरह से बात करते हैं और अब जबकि आपके हाथ में बागडोर आई है तो आपको वह ठीक करना चाहिए। हम उम्मीद करेंगे कि उनकी जो गलतियां हैं उन्हें आप ढूंढकर निकालें और उन्हें सुधारें।

महोदय, ये जनतंत्र की बात करते हैं और 25 फरवरी के सवाल को यहां काफी जोर से उठाने की कोशिश की गयी है, लेकिन जब बस्तर जिले में वह जंगल को ठेकेदार के हाथों में बेच रहे थे तब कौनसा जनतंत्र था? वे इस देश के गौरव की बात करते हैं, यहां के पेड़, यहां के जंगल को ठेकेदार के हाथों में बेच रहे थे और जब बी.डी. शर्मा ने बस्तर के आदिवासियों के लिए आवाज़ उठायी थी तो उनके ऊपर हमला किया गया। तो ये वही आर.एस.एस. के लोग थे, वही भा.ज.पा. के लोग थे। तो अफसोस इसी बात का है। अब होम मिनिस्टर जी, आपको अधिकार मिला है कि आप राज्यपाल के उन अफसरों को यह

कहिए कि उन्हें ढूंढकर निकालें क्योंकि इस देश का जंगल आदिवासियों का रहेगा, इस देश का जंगल इस देश में रहेगा। इसे ठेकेदार के गोदाम में जमा नहीं किया जा सकता। इन सवालों को उठाने के लिए जिनके ऊपर मार पड़ी थी, वह कौनसे काले हाथ थे ? .... (व्यवधान) मैं तो अभी मध्यप्रदेश पर ही आया हूं, उत्तर प्रदेश पर तो अभी आया ही नहीं हूं।

महोदया, वह देश के विद्यार्थियों से जुड़ा सवाल था। टैक्स्ट बुक्स की कीमत बढ़ायी गयी। गोंडा में गोली चलायी गयी। विद्यार्थियों को टैक्स्ट बुक्स नहीं मिलती थीं। मैं खुद गया था उन विद्यार्थियों को लेकर। वह मंदिर के लिए इतने व्यस्त थे कि मुख्य मंत्रीजी के पास मिलने के लिए वक्त नहीं था। गोली चलायी गयी थी जो विद्यार्थी गए थे उनके पास उसमें तीन लोग मारे गए थे। आप ढूंढकर निकालिए कि वह किसके आर्डर से हुआ था।

महोदय, मैं राम नरेश यादव जी का बयान पढ़ रहा था। मैं चाहता हूं कि वही बयान दोहराया जाए और इसलिए कह रहा हूं कि पिछले दिनों चीनी की कीमत के बारे में यहां चर्चा हो रही थी और मैंने यह कहा था कि रामकोला के उन किसानों को आज भी पैसा नहीं मिला है। उसके लिए आपकी यह मांग थी कि वहां की भा.ज.पा. की सरकार पेमेंट करे और रामकोला के किसानों का मिल-मालिकों के साथ जो बकाया है, वह दिया जाय। कल्पनाथ राय जी, मंत्री जी यहां थे। उन्होंने हाउस को मिस-लीड किया और कहा गया कि मिल गया। मैंने जब दोबारा संपर्क किया तो बताया गया कि अभी भी वही स्थिति है। तो उस समय राम नरेश यादव जी यह कह रहे थे कि --

"The Kalyan Singh Governfent is at the mercy of the business class, and, therefore, it can do nothing against the sugar lobby."

तो मैं यह कहता हूं कि यह बात आपके बारे में साबित नहीं हो जाए, इसलिए जब तो आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि उन किसानों का बकाया उनको मिले।

श्री राम नरेश यादव : मेरा बयान बिल्कुल सही था और उसी बयान के आधार पर सरकार ने पिछले दिनों बहुत पेमेंट किया है और जनवरी तक का पेमेंट हो गया है नया और पुराना भी। कुछ बकाया पड़ा हुआ है, लेकिन आज भी हमारी सहानुभूति किसानों के साथ है।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : आपकी तो उन्होंने प्रशंसा ही की है। सलीम साहब, जल्दी खत्म कीजिए।

श्री मोहम्मद सलीम : मजदूर जब लखनऊ पहुचे थे तो आपकी प्राइवेटाइजेशन की स्कीम है, वहां सरकार जब वह नीति लागू कर रही थी तो उनके ऊपर गोली चलायी गयी थी। महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। राजस्थान में "टाडा" का प्रयोग हो रहा था। कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया था 1988 के बाद से और राजस्थान की भा.ज.पा की सरकार ने उसको तेजी से लागू किया। उस समय कांग्रेस के साथी बराबर "टाडा" के सवाल को उठाते थे। अपने वायदे को पूरा कीजिए।

महोदय, कुम्हेर का सवाल था, अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर, पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर किस तरह से हमला किया गया इनके जमाने में। आप हिन्दुत्व की बात करते हैं, गौरव की बात करते हैं और यह निचली जाति को दबाना, कुचलना, अपने पैरों तले रोदना क्या है ? मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि अभी आपने जो बैन लगाया उसको सही ढंग से लागू करना चाहिए क्योंकि अब भी सरकार में न होने के बाद भी जो प्रतिबंधित संगठन हैं वह प्रशासन के ऊपर हैं। जब तक आप इसको कम नहीं करेंगे, जब तक इनकी पोलिटिक्स एपांटमेंट एकदम नीचे तक दूर

[श्री मोहम्मद सलीम]

नहीं करेंगे, यह चलेगा । इसके बारे में ज्यादा देरी करने से काम नहीं चलेगा । आपको जरा तेजी से कदम उठाना पड़ेंगे और इस अभियान में जनता के साथ संपर्क करके, जनता के साथ जुड़ कर चलना होगा । जिस तरह से आप सरकार को सुविधा लें, यह न सोचकर आपके दल के लोग वहां यह कोशिश करें ताकि आप जनता के सवाल को लेकर जनता के साथ जुड़ें । मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि यह जो चार राज्य हैं, हमारे नेशनल एवरेज में जो कुछ होता है वह सब कट हो जाता है । यह लोग सांप्रदायिक प्रोपेगंडा के लिए जनसंख्या को बात बड़ी तेजी से गलत और सच से परे होकर प्रचार करते हैं । यह वही राज्य है—मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश । बिहार के साथ हमारी भी नेशनल एवरेज है जनसंख्या का, उसकी ग्रोथ रेट जो है, सब बर्बाद करते हैं ।

उत्तर प्रदेश में उस समय जो पैसा इनको मिला हजारो करोड, सैकडों करोड रुपया, उसको सही ढंग से खर्च नहीं किया गया । आप कुछ कीजिए, अगर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की जनता को लेकर कर सकते है तो । जो आज वहां साक्षरता का सवाल है, जो जनसंख्या वृद्धि को रोकने का सवाल है, इन अभियान में जनता को शामिल करेंगे तो सही मायनों में आप कुछ काम कर पायेंगे और उसका फायदा आपको मिलेगा, देश को तो मिलेगा ही । आपने देश के फायदे वाली नीति नहीं ली, इस लिए ही इन सांप्रदायिक संगठनो को फायदा मिला । अब तो कम से कम आप अपनी नीति के बारे में सोचिए और इस नीति को बदलने की कोशिश कीजिए ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं थोडा सा रेफर करना चाहता हूं कि यह लोग जो हिन्दुत्व की बात करते हैं, राम के नाम पर सरकार चलाते हैं, किस तरह से यह लोग रामभक्तों पर अत्याचार करते हैं, गैर-रामभक्त जो हैं उनकी तो बात अलहदा है, लेकिन हमारे देश में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनकी बात करता हूं । महोदय, सरकारी आंकड़ा है, जो इसी सदन, राज्य सभा के प्रश्न के उत्तर से संकलित है । इनके जमाने में मध्य प्रदेश में 124 अनुसूचित जाति के लोगों का मर्डर हुआ, 88 अनुसूचित जनजाति के लोगों का मर्डर हुआ, किडनेप हुए 65 शैड्यूल्ड कास्ट के लोग और 36 शेडयूल्ड ट्राइवस के लोग, रेप केस हैं 347 जो इनके जमाने में सिर्फ मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के महिलाओं के साथ हुए और अनुसूचित जनजाति की 322 महिलाओं के साथ । यह पूरा नहीं है, छह महीने का आंकडा है । इसी तरह उत्तर प्रदेश में 232 अनुसूचित जाति मारे गए, कत्ल किए गए, मर्डर किए गए, 15 अनुसूचित जनजाति के, 195 अनुसूचित जाति की महिलाओं की इज्जत लूटी गई, रेप किया गया । राजस्थान में 20 अनुसूचित जाति के लोग मारे गए । ...**(समय की घंटी)**... महोदय, में इस लिस्ट को ज्यादा लंबा नही पढना चाहूंगा । अनुसूचित जाति की 86 महिलाओं की इज्जत लूटी गई राजस्थान में । यह यहां राज्यसाभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है । किसी को पकड़ने का काम इन्होंने किया नहीं क्योंकि उनसे तो वह सेवा लेना चाह रहे थे ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना कहता हूं गृह मंत्री जी से कि आपने जो कमेटी बनाने की बात की है, उसे किसी राजनीतिक दृष्टि से न देखें । आप इन

चार राज्यों की स्थिति में कितनी तेजी से सुधार ला सकते हैं, सुधार लायें । आपने सांप्रदायिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाए हैं, उन पर किस हद तक यह प्रतिबंध सही मायनों में लागू कर सकते हैं, वह जरूरी है । सांप्रदायिकता के विरुद्ध जो आपकी लड़ाई है, उसमें पूरे देश की जनता के साथ वहां की जनता को आप किस तरह से जोड़ सकते हैं, जोड़िए । इस ओर जरा आप अपनी तवज्जोह दें ताकि जल्दी से जल्दी वहां की स्थिति को सुधारा जाए और वहां चुनाव हों । वहां की जनता सही मायनों में, किसी भावना से प्रेरित होकर नहीं, सही मायनों में जो सही मुद्दा है, सही सवाल है, जिस पर देश का भविष्य, देश की आर्थिक प्रगति जुड़ी है, उस पर चुनाव में हिस्सा ले सके । सांप्रदायिक संगठन धर्म की आड़ में लोगों की भावना तैयार करके जो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, उस सांप्रदायिकता की आग को बुझाकर उनकी रोटी सेकना बंद करना है और उसमें आपको कामयाब होना है । अगर यह कोशिश सही मायने में आप करेंगे तो पूरा देश, हम सब लोग आपके साथ होंगे । आप अगर वही नीति चलायेंगे जो पूरे 80 के दशक में लागू की थी, जो जनता से कटी हुई थी, जनता का विरोध करने के लिए थी, जनता के विरोध में थी, वह अगर आप लगाते जायंगे चाहे वह आर्थिक दृष्टिकोण से हो चाहे वह राजनीतिक दृष्टिकोण से हो तो फिर ऐसी ताकतें जो बम-विस्फोट करती हैं, जो दंगे-फसाद करती हैं, , जो इस देश के नौजवानों को टेरेरिज्म के रास्ते पर, इस देश के नौजवानों को तलवार और गोली के रास्ते पर, ए. के० 47 और ए.के. 56 के रास्ते पर ले जाती हैं, उन ताकतों को बल मिल जाएगा, इसलिए इस देश को खातिर, अपने राजनीतिक दल के अस्तित्व की खातिर, आप जनता की साथ लेकर के, जनता के सवाल को जरा तवज्जो देकर के ऐसी ताकतें, जो आज देश की लूटने चली हैं, देश को तोडने चली हैं, उन ताकतों के विरोध में आप सही तोर पर कोई रास्ता अख्तियार करेंगे और इस विधेयक से आपको जो ताकत मिल रही है, उस ताकत को आप अपने संकीर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण से विचार न करके, उन राज्यों के लोगों के भविष्य के लिए अगर काम करना चाहेंगे तब यह विधेयक में समझता हूं कि गलत रास्ता होने के बावजूद भी–जो काम, जो बहाना लगाकर के, समय का अभाव दिखाकर के, आप इस विधेयक को पारित कराना चाहते हैं, तो उससे कम से कम . . (**समय की घंटी**) . . में कन्क्लूड कर रहा हूं, इस देश के राष्ट्रपति के ऊपर हमारे देश की जनता का बहुत विश्वास है, लेकिन ऐसा न हो कि आपकी होम मिनिस्ट्री इस पूरी ताकत का इस्तेमाल करे । संसद के जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, सदस्यगण हैं, उनसे मश्विरा लेकर के आपको कदम उठाना पड़ेगा और इसमें जो कहा गया है कि 30 दिन के अंदर आपको, जो भी कानून आप बनायेंगे, उसे पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा और पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है कि इस बारे में चर्चा या विचार-विमश

[श्री मोहम्मद सलीम]

करे और उसके बाद अगर उसमें कोई बदली की जरूरत हो तो वह बदली करने का रजेशन वह दे सके । मैं आपसे फिर यह कह रहा हूं कि यह अच्छा होगा, अगर आप यह समझते हैं कि हम जो समय को बर्बाद करते हैं, उस बर्बादी से समय को निकालकर के आप अगर ब्यूरोक्रेट्स को ताकत नहीं देकर के अगर संसद को पूरा अधिकार देते हैं कि वह इन चार राज्यों के बारे में कानून पास करे और उसके बारे में बहस हो तो यह देश के लिए अच्छा रहेगा ।

شری محمد سلیم (مغربی بنگال)†: مانیہ اپ سبھا ادھیکش جی۔ چار راجیوں کے ودھان منڈل کی راشٹرپتی کے ہاتھ پاور ڈیلیگیشن کا سوال ہے۔ یہ ودھیک یا ایسا ودھیک لوک تنتر کے ہت کے لیے صحیح نہیں ہے۔ نہ تو راشٹرپتی راجیہ کے قانون بنائیں نہ تو سنسد۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنتا کے چنے ہوئے پرتی ندھی جو ودھان منڈل میں چنے جاتے ہیں ان کو یہ ادھیکار ہو۔ لیکن ایک عجیب وغریب استھتی پیدا کی گئی اتر پردیش۔ راجستھان۔ مدھیہ پردیش اور ہماچل پردیش، ان کی جنتا کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ جنتا نے تو رام روٹی اور انصاف کے نام پر سمت رام بھگتوں کو چن لیا۔ رام کے نام پر سرکار بنانے والوں نے پہلے ہی جو چھوٹے چھوٹے مندر تھے رام بھگتوں کے انکو توڑ ڈالا۔ جب رام کو ماننے والے کسان اپنی روٹی کے لیے ملز مالکوں کے پاس ۲۰۰ کروڑ روپے مانگنے گئے تو روٹی کے بدلے بھوک سے ان کسانوں کو گولی سے مارا گیا۔ انصاف کا سوال تو پوچھیے مت۔ اب بھی اس دیش میں لاکھوں کروڑوں انسان یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کس دشا کی اور جا رہے ہیں کیوں کہ ان چاروں راجیوں میں سرکار چلانے والے لوگوں نے قانون۔ سمودھان۔ ودھان منڈل۔ سنسد ان سب کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ کہیں ہم بھاونا سے پریرت ہو کر سرکار چلائیں گے۔ دیش چلائیں گے اور لوگوں کو بھڑکاؤ اور مٹ کاؤ کہ وہ بھاونا یہ کہتے لگے اتنا اونچا پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ کے مینار سے بھی اوپر اور پارلیمنٹ کے مینار سے بھی اوپر۔ اب ہم بھاونا کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کریں گے۔ سنسد میں بھی اس کے بارے میں چرچا نہیں کرنے دیں گے اور وہ استھتی آپ ابھی بھی جانتے ہیں۔ بمبئی میں آج جو ہوا۔ کارن جو کچھ بھی ہو۔ سنگٹھن یا ان کے پیچھے ہاتھ جن کا بھی ہو لیکن ایسے لوگوں کو موقع ملا۔ ہمارے دیش میں جو کہ قانون کا بندوبست ہے اُسے کچھ لوگ دھماکے کے ساتھ توڑ دینا چاہتے ہیں اور اس استھتی میں یہ چار سرکاریں جو پانچ سال کے لیے

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

بنا کر مشورہ لیا جائے گا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ دراصل یہ جو بیورو کریٹس ہیں۔ وہی راشٹرپتی کے نام پر قانون آئے گا۔ لیکن جو ہوم منسٹری ۶ دسمبر کے آگے اور ۶ دسمبر کے بعد پورے دیش کو دکھا گیا کہ وہ کتنے قابل ہیں اُن کے ہاتھ میں اختیار دے رہے ہیں کہ اس میں راشٹرپتی جی کی مہر لگا کر کے وہاں کے لوگوں کا بھاگیہ ٹھیک کرے گا۔

ہماری یہ سمجھ ہے اور میری پارٹی کی یہ سمجھ ہے کہ اتر پردیش، راجستھان ۔ مدھیہ پردیش۔ اور ہماچل پردیش کی جو غلطیاں ہوئی ۔ اُسے سُدھارنے کے لئے جن پرتی ندھیوں کو۔ جنتا کو اچھے ڈھنگ سے جوڑنا چاہیئے تھا۔ اور اس کے بعد سنسد میں ہی آ کر ہم سمے نکال کر اس بارے میں چرچا کرتے تو صحیح رہتا۔ ہم تو ایسے ہیں۔ ہماری پارٹی ۳۵۶ کی دھارا لگا کر کے سرکار خارج کرنے یا ودھان منڈل توڑنے کے پکش میں نہیں ہے۔

چنی گئی تھیں۔ انھیں جانا پڑا۔ یا یہ خود۔ میرا ماننا ہے کہ آپ نے جانے کے لئے راستہ اس طرح سے تیار کیا کہ اور زیادہ دنوں تک ودیارتھیوں کے اوپر۔ کسانوں کے اوپر۔ اور مزدوروں کے اوپر یہ گولیاں چلا کر سرکار چلا نہیں پا رہے تھے۔ اس لئے ایک بندوبست آ کر کھڑے ہو گئے۔ پورے دیش میں ایسا ماحول پیدا کیا جو وشو کا کوئی بھی دیش دسمبر، جنوری یا ۲۱ مارچ کا جو واقعہ ہے اسے اپنے اتیہاس سے جلدی سے بھولنا چاہے گا۔

مانیہ ور ۔ یہ ودھے یک جو بیش کیا گیا تو اس میں کارن دکھاتے ہیں۔ سنسد کو سمے نہیں ملے گا۔ آخر سنسد ہے کس لئے اگر سمے نکلنے کی ضرورت ہے تو اسے بڑھائیے۔ پرتندھیوں کو بیٹھنا چاہیئے۔ یہ چار ہمارے بہت مکھیہ اتیہ ہیں۔ اور جس استھتی میں سرکار دوارا یہاں کے ودھان منڈل کو بھنگ کیا گیا۔ وہاں کی جنتا کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیئے تھا۔ ہم آپس میں وچار وِمرش کر کے جو استھتی وہاں بگاڑی گئی اسے سدھارنے کی کوشش کرتے۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ نہیں سانسدوں کی کمیٹی

[ ]Transliteration in Arabic Script.

یہ کمیٹیڈ ہو تب نا کچھ کریں گے۔ یہاں سریز آف بیان دیتے گئے۔ کہ کلیان سنگھ نے جو کہا ہے۔ اس سے اُسے چور ثابت نہیں کیا جا سکتا۔

بعد میں وہ بولی کہ اُس نے الماری کھول دی ہے۔ اس پر وہ بولے کہ الماری کھولنے سے بھی وہ قانون اتنا تگڑا نہیں ہے کہ اس کو پگڑا جا سکتا ہے۔

پھر وہ کہتی ہے۔ اجی۔ اٹھو۔ وہ سامان نکال کر باندھ رہا ہے۔ وہ بولے کہ جب تک وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ جب تک قانون میں ہم لوگ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ چور ہے۔

جب وہ گھر سے سامان لے کر نکلنے کو چلا تو کہنے لگے ہمارے دماغ میں ایک اچھا آئیڈیا آیا ہے۔ تین دسمبر کو جو انھوں نے یہاں بیان دیا تھا کہ اگر چوری کر کے بھاگ جائے اور گھر چلا جائے۔ ہم پولیس لے کر پہونچتے ہیں تو مال بھی برآمد ہو گا اور قانون جب تک اس کو کھینچے گا نہیں کورٹ میں اس کو ایکدم ثابت کر دیں گے۔ میں دھارا اُپ دھارا میں نہیں جانا چاہتا۔ وہ چوری طماچہ مار کر سامان لے کر چلا گیا اور چلو بھیا لیکن آپ اسی سے گمبھیرتا سمجھ سکتے ہیں کہ کس استھتی میں ان لوگوں نے دیش کو پہونچایا تھا۔ اور ان راجیوں کو اور اس دیش کی جنتا کو کہ ہم چھ دسمبر سے پہلے ہی استھتی کا جائزہ لے کر سرکار سے یہ کہہ رہے تھے کہ جو سرکار سنو دھان نہیں مانتی۔ جس نے سنو دھان کو ایسے سنکٹ میں استھتی میں ڈال دیا۔ سپریم کورٹ میں اپنی ایک بات کہتے ہیں اور کرتے اور ہیں۔ اسے چلنے نہیں دینا چاہیئے تھا۔ لیکن ہمارے یہاں پر مگر یہہ منتری جی۔ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اُن کی حالت تو وہی وکیل کی طرح ہوئی۔

جب میں اسکول میں پڑھتا تھا۔ تو یہ لطیفہ مجھے معلوم تھا۔ ایک وکیل صاحب کے گھر میں چور داخل ہوا۔ اُن کی بیوی کہتی ہیں۔ اجی اُٹھو گھر میں چور آیا ہے۔ وہ کہنے لگے۔ کیسے چور کہتی ہو۔ اس نے تو ابھی تک چوری کی ہی نہیں۔ صرف ایک ٹرلیس پاسر گھر کے اندر آیا ہے۔ پہلے ایکٹ آف تھیفٹ۔

†[] Transliteration in Arabic Script.

چوری بھی کئے اور ایسے اگر آپ وکیل وکالت کریں گے۔ ہمیں چار پانچ دن ۶ دن ہوم منسٹری لگ گیا ...: مداخلت: اس طماچے کو ڈھونڈنے کے لئے۔ سامان بھی گیا۔ چوری بھی ہوئی عزت بھی گنوائی ...: مداخلت: ہماری ہوم منسٹری کی استھتی وہ ہوئی تھی۔ اب دیکھئے یہ بھی سیدھا مان کر طلاق طلاق کرنے لگے ...: مداخلت: تو میں جو بات کہہ رہا تھا مانیہ ور۔ وہ یہ ہے کہ استھتی کو اگر سدھارنا چاہتے ہیں تو جو غلطیاں یہ کئے ہیں۔ یہاں سمان اسے سدھارنا پڑیگا چاہے وہ راجستھان میں ہو۔ اتر پردیش میں ہو۔ مدھیہ پردیش میں ہو یا ہماچل پردیش میں ہو۔ میں اپنے ان ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ہر کھیت میں پانی اور ہر ہاتھ میں کام کا نعرہ دیکر آئے تھے۔ وہ آکے جو کام کئے مدھیہ پردیش میں کیا ہوا۔ پہلے کتنے روپے کا حساب دینا چاہئیے کس کے پیچھے کھیلا گیا۔ ماس ٹرانسفر ایکسٹینشن آف سروس۔ وہ ایسے کر آپس میں لڑنا شروع کر دیئے جو پارٹی اپنے کو سب سے زیادہ ڈسپلنڈ پارٹی کہتی ہے شکشا کے بارے میں پراتھمک شکشا کو ختم کیا گیا۔ بہت یوجنا بدھ طریقہ سے اور سامپردایک سنگٹھن آج جس میں آپ برتی بند لگاتے ہیں۔ ان سے سوئیکرت پریکشا اس کو سرکار انومتی دے۔ لاٹری میں ان دنوں بھوپال بار بار گیا۔ کیونکہ نوجوانوں کے سامنے یہ بڑی سمسیا تھی۔ یہ تو دو کروڑ چھ کروڑ کے ٹھیکے کانٹریکٹ دے دیئے۔ سٹہ والوں کو لاٹری کے کھیل میں لگا دیئے۔ اسٹیٹ گورنمنٹ دن میں چار لاٹری نوجوان اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جو لوگ پرگتی کی بات کرتے ہیں سماج سدھارنے کی بات کرتے ہیں۔ گورو کی بات کرتے ہیں وہاں اسیوسائیڈ کا جو ریٹ ہے وہ بڑھ گیا طلاق جو کہہ رہے تھے جین صاحب۔ وہ بہت بڑھ گیا۔ اس کا اگر سوشیولوجیکل امپلیکیشنس آپ دیکھیں گے تو مدھیہ پردیش میں یہ سرکار دن میں چار چھ لاٹری جس میں روزانہ اخبار کھولنے سے پورا پیج بھاجپا کے نیتاگن اور پٹوا جی کا وہ تصویر دے کر کے۔ دیش کتنا پرگتی میں چلا ہے۔ راجیہ کتنا پرگتی میں چلا ہے دن میں ۶-۶ لاٹری ہو رہا ہے۔ دن میں ۶-۶ کھیپتی بنیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے نوجوان لاٹری کھیلتے کھیلتے فقیر ہو گیا۔ ڈائیورس ہو گیا۔ گھر چھوڑنا شروع کر دیا۔ اور اس لئے وہ طلاق طلاق یہاں کہہ رہے ہیں۔ زمین کے بارے میں کہیں۔ یہ تو سبھی راجیوں میں کامن تھا۔ بنا پیسے میں۔ دان دینا شروع کر دیئے۔ جو بغیر زمین والے کسان تھے۔ جو کھیت مزدور تھے۔ جیسے ہم بھومی سدھار کر کے اسے زمین دینا چاہتے ہیں۔ راجستھان

†[] Transliteration in Arabic Script.

چار راجیوں میں سرکار گھٹانے کے بعد آپنے جو پرتی بندھ لگاتے ہیں سامپرادیک سنگھٹنوں کے اوپرا سے لے کر مذاق ہو رہا ہے چاہے وہ مدھیہ پردیش ہو۔ چاہے اتر پردیش ہو۔ جو اب تک پولیٹیکل امپلائمنٹ دیئے تھے جن لوگوں کو آپ ابھی انہیں چھوئے بھی نہیں۔ اتر پردیش میں وہ کیسے لاگو کریں گے پرتی بندھ۔ بین آرڈر۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس میں اتساہت ہیں جو سامپردائی کرن کیا گیا وہاں کے سماج کو اسے آپ دوبارہ جنتا کے اندر ایکتا قائم کر کے وہ بھاؤنا پیدا کرنا ہے جہاں لوگ پہلے بھی مل جل کر رہتے تھے۔ اب بھی مل جل کر رہیں گے۔ لیکن راشٹرپتی شاسن کے بعد آپ تو دوڑ رہے ہیں۔ کس کو کہاں افسری مل جائے۔ کس کو کہاں کمیٹی مل جائے۔ کس کو چیئرمین شپ مل جائے۔ جس کے پاس لال بتی پہنچ گئی ہے۔ دوسرا چاہتا ہے اس کے پاس بھی پہنچ جائے۔ اس میں ان چار راجیوں کی استھتی سدھارنے کا جو سوال تھا وہ نہ جانے کہاں کھو گیا ہے۔

مہودے۔ تیندو پتے کے بارے میں آج یہاں سدن میں چرچہ ہوئی تھی کہ مدھیہ پردیش میں آدی واسیوں کو لوٹنے کے لئے کس طرح سے بندوبست کیا گیا۔ آپ کی ایک پارٹی کے میں انکی سرکار۔ میں نے اس سنسد میں اس سدن میں بھی اٹھایا۔ وہاں وہ جو انوسوچت جاتی۔ انوسوچت جن جاتی کے جو لوگ تھے ان کو زمین سے اجاڑ کر کے دوبارہ زمینداروں کے ہاتھ میں زمین واپس دینے کی کوشش کی گئی شہر کی جو اچھی اچھی زمین تھی ان کو اپنے خاص لوگ۔ یہ لوگ ماہر ہیں روزانہ دو چار سنگھٹن کے نام پر جھنڈا اور سائن بورڈ لگاتے رہتے ہیں۔ سائن بورڈ بنا کر کے مینا صاحب راجستھان کے ہیں۔ انہیں معلوم ہے لیکن ہمارا افسوس یہ ہے کہ جب ان چار راجیوں میں لوگ کانگریس کو چھوڑ کر کے بی۔ جے۔ پی کو سرکار چلانے دیتے تھے۔ میں بھی اس راجیہ سے آتا ہوں جہاں کہ غیر سرکاری کانگریسی سرکار چلتی ہے تو لوگوں کو اتنی امید رہتی ہے کہ یہ کچھ ہوگا۔ لیکن وہ سب کیا جو آپ غلطی کئے تھے اس کو توڑا۔ ڈگری بڑھا دیئے۔ اسپیڈ بڑھا دیئے۔ آپکی غلطیاں وہ وہی تیزی سے اور زیادہ لاگو کرنے لگ گئے میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں۔ میں ان کی چارج شیٹ نہیں بنا رہا ہوں کہ وہ صرف کیا کئے۔ راشٹرپتی شاسن کے سمے آپ ہوم منسٹری سے یہاں جو سرکار چلا رہے ہیں ان راجیوں میں تو ان کی غلطی کو سدھاریں یا آپ پھر وہی کریں گے جو یہ کئے یا جو آپ کرتے آئے تھے

† ( ) Transliteration in Arabic Script.

لوگ ایک گٹ کے لوگ تھے۔ لیکن دوسرے گٹ کے لوگوں نے اس بارے میں وِرودھ کیا۔ بھلائی میں مزدوروں کا جو "ماس اکر" ہوا۔ راشٹرپتی شاسن کے پورو کانگریس بیچ سے یہ کہا جاتا تھا کہ شنکر نیوگی کے ہتیاروں کو ڈھونڈھ نکالا جائے۔ یہ نہیں نکالیں گے۔ کیوں کہ ان کا بزنس مین کے ساتھ گٹھ جوڑ تھا۔ مہودے افسوس کی بات ہے کہ جب یہ ورودھی پکش میں رہتے ہیں تو دوسری طرح سے بات کرتے ہیں اور اب جبکہ ہاتھ میں باگ ڈور آئی ہے تو آپ کو وہ ٹھیک کرنا چاہیئے۔ ہم امید کریں گے کہ ان کی جو غلطیاں ہیں انہیں آپ ڈھونڈ کر نکالیں اور انہیں سدھار دیں۔

مہودے، یہ جن تنتر کی باتیں کرتے ہیں اور ۲۵ فروری کے سوال کو یہاں کافی زور سے اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن جب "بستر" ضلع میں وہ جنگل کو ٹھیکیدار کے ہاتھوں سے بیچ رہے تھے تب کون سا جن تنتر تھا۔ وہ اس دیش کے گورو کی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں کے پیڑ۔ یہاں کے جنگل کی ٹھیکیدار کے ہاتھوں میں بیچ رہے تھے اور جب بی۔ ڈی۔ شرما نے "بستر" کے آدی واسیوں کے لئے آواز اٹھائی تھی تو ان کے اوپر حملہ کیا گیا۔ تو یہ وہی آر۔ ایس۔ ایس کے لوگ تھے۔ وہ جن جما تھیا کے لوگ تھے۔ تو افسوس اس بات کا ہے۔ اب مہودے منسٹر جی آپکو ادھیکار ملا ہے کہ آپ راجیہ پال کے آنگ رکشکوں کو یہ کہئے کہ انہیں ڈھونڈ کر نکالیں۔ کیوں کہ اس دیش کا جنگل آدی باسیوں کا رہے گا۔ اس دیش کا جنگل اس دیش میں رہے گا اسے ٹھیکیدار کے گودام میں جمع نہیں کیا جا سکتا ان سوالوں کو اٹھانے کے لئے جن کے اوپر مار پڑی تھی وہ کون سے کالے ہاتھ تھے ...

(مداخلت) ... میں تو ابھی مدھیہ پردیش پر ہی آیا ہوں۔ اتر پردیش پر تو ابھی آیا ہی نہیں ہوں۔

مہودے۔ وہ دیش کے ودیارتھیوں سے جڑا سوال تھا۔ ٹیکس بکس کی قیمت بڑھائی گئی۔ گرنٹرہ میں گولی چلائی گئی۔ ودیارتھیوں کو ٹیکس بکس نہیں ملتی تھیں۔ میں خود گیا تھا ان ودیارتھیوں کو لے کر۔ وہ مندر کے لئے لتے ولیست تھے کہ مکھیہ منتری جی کے پاس ملنے کے لئے وقت نہیں تھا۔ گولی چلائی گئی تھی جو ودیارتھی گئے تھے ان کے پاس اس میں تین لوگ مارے گئے تھے۔ آپ ڈھونڈ کر نکالئے کہ وہ کس کے آرڈر سے ہوا تھا۔

مہودے۔ میں رام نریش یادو جی کا بیان پڑھ رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہی بیان دوہرایا جائے اور اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں چینی کی قیمت کے بارے میں یہاں

† ( ). Transliteration in Arabic Script.

جو جیا ہو رہی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ ”رام کولا“ کے ان کسانوں کو آج بھی پیسہ نہیں ملا ہے۔ اس کے لئے آپ کی یہ مانگ تھی کہ وہاں کی بھاجپا کی سرکار پیمنٹ کرے اور رام کولا کے کسانوں کا مل مالکوں کے ساتھ جو بقایا ہے وہ دیا جائے۔ کلپ ناتھ رائے جی منتری جی یہاں تھے۔ انہوں نے ہاؤس کو مس لیڈ کیا اور کہا گیا کہ مل گیا۔ میں نے آج دوبارہ جب سمپرک کیا تو بتایا گیا کہ ابھی بھی وہی استھتی ہے تو اس سے رام نریش یادو جی یہ کہہ رہے تھے کہ...

'(The Kalyan Singh Government is at the mercy of the business class, and, therefore, it can do nothing against the sugar lobby."

تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات آپکے بارے میں ثابت نہیں ہو جائے۔ اس لئے اب تو آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیئے کہ ان کسانوں کا بقایا ان کو ملے۔

श्री राम नरेश यादव : मेरा बयान बिल्कल सही था और उसी बयान के आधार पर सरकार ने पिछले दिनों बहुत पेमेंट किया है और जनवरी तक का पेमेंट हो गया है नया और पुराना भी । कुछ बकाया पड़ा हुआ है, लेकिन आज भी हमारी सहानुभूति किसानों के साथ है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : आपकी तो उन्होंने प्रशंसा ही की है । सलीम साहब, जल्दी खत्म कीजिए।

شری محمد سلیم: مزدور جب لکھنؤ پہنچے تھے تو آپ کی پرائیویٹائزیشن کی اسکیم ہے وہاں سرکار جب وہ نیتی لاگو کر رہی تھی۔ تو ان کے اوپر گولی چلائی گئی تھی۔ بہو سے۔

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

میں زیادہ سمے نہیں لوں گا۔ راجستھان میں ”ٹاڈا“ کا پریوگ ہو رہا تھا۔ کانگریس کی سرکار نے شروع کیا تھا۔ ۱۹۸۸ کے بعد سے اور راجستھان کی بھاجپا کی سرکار نے اس کو تیزی سے لاگو کیا۔ اس سمے کانگریس کے ساتھی برابر ”ٹاڈا“ کے سوال کو اٹھاتے تھے۔

مہودے۔ کشمیر کا سوال تھا۔ انوسوچت جاتی کے لوگوں کے اوپر۔ پچھڑے ورگ کے لوگوں کے اوپر کس طرح سے حملہ کیا گیا۔ ان کے زمانہ میں آپ ہندوتو کی بات کرتے ہیں گورو کی بات کرتے ہیں اور یہ نچلی جاتی کو دبانا کچلنا۔ اپنے پیروں تلے روندنا کیا ہے میں زیادہ لمبی بات کرنا نہیں چاہتا لیکن میں جو کہہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے جو بین لگایا اس کو صحیح ڈھنگ سے لاگو کرنا چاہیئے کیوں کہ اب بھی سرکار میں نہ ہونے کے بعد بھی پرتی بندھت سنگٹھن ہیں وہ پرشاسن کے اوپر ہیں۔ جب تک آپ اس کو کم نہیں کریں گے۔ جب تک ان کی پولیٹیکل اپائنٹمنٹ ایک دم نیچے تک دور نہیں کرینگے یہ چلے گا۔ اس کے بارے میں زیادہ دیری کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کو ذرا تیزی سے قدم اٹھانا پڑیں گے اور اس ابھیان میں جنتا کے ساتھ سمپرک کر کے جنتا کے ساتھ جڑ کر چلنا ہوگا۔ کس طرح سے آپ سرکار کی سودیدھائیں یہ نہ سوچ کر آپ کے دل کے لوگ وہاں یہ کوشش کریں تاکہ آپ

†[] Transliteration in Arabic Script.

جنتا کے سوال کو لے کر جنتا کے ساتھ جڑیں۔ میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چار راجیہ ہیں۔ ہمارے نیشنل ایوریج میں ہیں۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کٹ ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ سامپردایک پروپیگنڈہ کے لئے جن سنکھیا کی بات بڑی تیزی سے غلط اور سچ سے پرے ہو کر پرچار کرتے ہیں۔ یہ وہی راجیہ ہے مدھیہ پردیش۔ راجستھان اور اتر پردیش اور بہار کے ساتھ ہماری جو نیشنل ایوریج ہے۔ جن سنکھیا کا اس کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ سب برباد کرتے ہیں۔

اتر پردیش میں اس سے جو پیسہ انکو ملا ہزاروں کروڑ۔ سینکڑوں کروڑ روپیہ اسے صحیح ڈھنگ سے خرچ نہیں کیا گیا۔ آپ کچھ کیجئے اگر اتر پردیش۔ راجستھان اور مدھیہ پردیش کی جنتا کو لے کر کر سکتے ہیں تو۔ جو آج وہاں ساکشرتا کا سوال ہے جو جن سنکھیا وردھی کو روکنے کا سوال ہے ان ابھیان میں جنتا کو شامل کریں گے تو صحیح معنوں میں آپ کچھ کام کر پائیں اور اس کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ دیش کو تو ملے گا ہی۔ آپ نے دیش کے فائدہ والی نیتی نہیں لی اس لئے بھی ان سامپردایک سنگٹھنوں کو فائدہ ملا۔ اب تو کم سے کم آپ اپنی نیتی کے بارے میں سوچئے اور اس نیتی کو بدلنے کی کوشش کیجئے۔

اپ ادھیکش مہودے۔ میں تھوڑا سا ریفر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہندوتو کی بات کرتے ہیں رام کے نام پر سرکار چلاتے ہیں۔ کس طرح سے یہ لوگ رام بھگتوں پر اتیاچار کرتے ہیں غیر رام بھگت جو ہیں ان کی تو بات علیحدہ ہے لیکن ہمارے دیش میں جو انوسوچت جاتی کے لوگ ہیں یا انوسوچت جن جاتی کے لوگ ہیں ان کی بات کرتا ہوں مہودے۔ سرکاری آنکڑا ہے جو اسی سدن راجیہ سبھا کے پرشن کے اتر سے سنکلت ہے۔ ان کے زمانے میں مدھیہ پردیش میں ۱۲۴ انوسوچت جاتی کے لوگوں کا مرڈر ہوا۔ ۸۸ انوسوچت جن جاتی کے لوگوں کا مرڈر ہوا۔ کڈنیپ ہوئے ۶۵ شیڈولڈ کاسٹ کے لوگ اور ۳۶ شیڈولڈ ٹرائب کے لوگ۔ ریپ کے کیس ہیں ۷۴۳ جو ان کے زمانے میں صرف مدھیہ پردیش میں انوسوچت جاتی کے مہلاؤں کے ساتھ ہوئے اور انوسوچت جن جاتی کی ۲۲۲ مہلاؤں کے ساتھ۔ یہ پورا نہیں ہے۔ چھ مہینہ کا آنکڑا ہے اسی طرح اتر پردیش میں ۲۳۲ انوسوچت مر گئے قتل کئے گئے۔ مرڈر کئے گئے۔ ۱۵ انوسوچت جن جاتی کے ۱۹۵ انوسوچت جاتی کی مہلاؤں کی عزت لوٹی گئی ریپ کیا گیا۔ راجستھان میں

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

۲۰ انوسوچیت جاتی کے لوگ مارے گئے۔ ... سمے کی گھنٹی ... مہودے میں اس لسٹ کو زیادہ لمبا نہیں پڑھنا چاہوں گا۔ انوسوچیت جاتی کی ۸۶ مہلاؤں کی عزت لوٹی گئی راجستھان میں۔ یہ یہاں راجیہ سبھا میں ایک پرشن کے اتر میں بتایا گیا ہے۔ کسی کو پکڑنے کا کام انہوں نے کیا نہیں۔ کیوں کہ ان سے تو وہ سیدا لینا چاہ رہے تھے۔

اُپ ادھیکش مہودے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں۔ گرہ منتری جی سے کہ آپ نے جو کمیٹی بنانے کی بات کی ہے۔ اسے کسی راج نیتک درشٹی سے نہ دیکھیں۔ آپ ان چار راجیوں کی استھتی میں کتنی تیزی سے سدھار لا سکتے ہیں۔ سدھار لائیں ہیں۔ آپ نے سامپردایک سنگٹھنوں پر پابندی لگائے ہیں۔ ان پر کسی حد تک یہ پابندی صحیح معنوں میں لاگو کر سکتے ہیں وہ ضروری ہے سامپردایکتا کے ورودھ جو آپ کی لڑائی ہے۔ اس میں پوری دیش کے ساتھ وہاں کی جنتا کو آپ کس طرح سے جوڑ سکتے ہیں جوڑئیے۔ اس اور ذرا آپ اپنی توجہ دیں تاکہ جلدی سے جلدی وہاں کی استھتی کو سدھارا جاسکے اور وہاں چناؤ ہو۔ وہاں کی جنتا صحیح معنوں میں کسی بھاؤنا سے پریت ہو کر نہیں صحیح معنوں میں جو صحیح مدّا ہے صحیح سوال ہے جس پر دیش کا بھوشیہ دیش کی آرتھک پرگتی جڑی ہے۔ اس پر چناؤ میں جنتا دے سکیں۔ سامپردایک سنگٹھن دھرم کی آڑ میں لوگوں کی بھاؤنا تیار کر کے جو اپنی روٹی سینکنا چاہتے ہیں اس سامپردایکتا کی آگ کو بجھا کر ان کی روٹی سینکنا بند کرنا ہے اور اس میں آپ کو کامیاب ہونا ہے اگر یہ کوشش صحیح معنوں میں آپ کریں گے تو پورا دیش ہم سب لوگ آپکے ساتھ ہونگے۔ آپ اگر وہی نیتی چلائیں گے جو پہلے ۸۰ کے دشک میں لاگو کی تھی جو جنتا سے کٹی ہوئی تھی جنتا کا ورودھ کرنے کے لئے تھی ... جنتا کے ورودھ میں تھی وہ اگر آپ لگاتے جائیں گے چاہے وہ آرتھک درشٹی کون سے ہو چاہے وہ راج نیتک درشٹی کون سے ہو تو پھر ایسی طاقتیں جو بم بسفوٹ کرتی ہیں۔ جو دنگے فساد کرتی ہیں جو اس دیش کے نوجوانوں کو ٹیررزم کے راستہ پر اس دیش کے نوجوانوں کو تلوار اور گولی کے راستے پر لے۔ کے ۴۷ اور ایسے کے ۵۶ کے راستے پر لے جاتی ہے۔ ان طاقتوں کو بل مل جائے گا۔ اس لئے اس دیش کی خاطر اپنے راج نیتک دل کے استھتو کے خاطر آپ جنتا کو ساتھ لے کر کے جنتا کے سوال کو ذرا توجہ دے کر کے ایسی طاقتیں جو آج دیش کو لوٹنے چلی ہیں۔ دیش کو توڑنے چلی ہیں۔

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

ان طاقتوں کے ورودھ میں آپ صحیح طور پر
کوئی راستہ اختیار کریں گے اور اس ودھے یک
سے آپ کو جو طاقت مل رہی ہے۔ اس
طاقت کو آپ اپنے سنکیرن راجنیتک درشٹی
کون سے وچار نہ کر کے ان راجیوں کے
لوگوں کے ہت کے لئے اگر کام کرنا
چاہیں گے تب یہ ودھے یک میں سمجھتا ہوں
کہ غلط راستہ ہونے کے باوجود بھی جو کام
جو بہانہ لگا کر کے۔ سمے کا ابھاو دکھا کر کے
آپ اس ودھے یک کو پارت کرانا چاہتے
ہیں تو اس سے کم سے کم ...: وقت کی
گھنٹی :... میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اس
دیش کے راشٹرپتی کے اوپر ہمارے دیش
کی جنتا کا بہت وشواس ہے لیکن ایسا نہ
ہو کہ آپ کی ہوم منسٹری اس پوری طاقت کا
استعمال کرے سنسد کے جو ہمارے راشٹ
نیتا گن ہیں۔ سدسیہ گن ہیں۔ ان سے
مشورہ سے کر کے آپ کو قدم اٹھانا پڑے گا
اور اس میں جو کہا گیا ہے کہ ۳۰ دن کے اندر
آپ کو جو بھی قانون آپ بنائیں گے۔ اسے
پارلیمنٹ میں لانا پڑے گا اور پارلیمنٹ کو
پورا ادھیکار ہے کہ اس بارے میں چرچا یا وچار
ومرش کرے اور اس کے بعد اگر اس میں کوئی
بدلی کی ضرورت ہو تو وہ بدلی کرنے کا سجیشن
وہ دے سکیں۔ میں آپ سے پھر یہ کہہ رہا
ہوں کہ یہ اچھا ہوگا کہ اگر آپ یہ سمجھتے
ہیں کہ ہم جو سمے کو برباد کرتے ہیں۔ اس
بربادی سے سمے کو نکال کر کے آپ بیوروکریٹس
کو طاقت نہیں دے کر کے اگر سنسد کو
پورا ادھیکار دیتے ہیں کہ وہ ان چار
راجیوں کے بارے میں قانون پاس
کرے اور اس کے بارے میں بحث ہو
تو یہ دیش کے لئے اچھا رہے گا۔
"ختم شد"

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा विधि निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश विधान मंडल की शक्तियां राष्ट्रपति जी को प्रदान करने के लिए जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इन राज्यों में दरअसल जनसेवा के नाम पर जो सरकारें काम कर रही थीं, उनके क्रियाकलापों का यदि विश्लेषण किया जाए तो हम लोग इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि ये सरकारें जो विरोधी सरकारों के नाम पर कुव्याप्त अर्जित कर सकी, इन राज्यों में जो समग्र जन-मानस था, वह त्रस्त था, चुनाव के दौरान इन राज्यों में जो बाद में सत्तारूढ पार्टी बनी, उसमें इस प्रदेश की जनता से जो वायदे किए थे चुनाव के दौरान, वादा पूर्ति की दिशा में इन राज्य सरकारों के द्वारा कोई सामयिक, पर्याप्त और समुचित कदम नहीं उठाए गए। यह तो रही वादा-पूर्ति की दिशा में किए गए प्रयासों की बात, लेकिन विभिन्न घटनाक्रमों और आंकड़ों से यह साबित हो जाता है कि दरअसल ये सरकारें सर्वाधिक ज़ुल्म ढ़ाने वाली सरकारें निरुपति हुई।

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

[श्री सुरश पचौरी]

इन राज्यों में सांप्रदायिकता, कट्टरता का जो विषवमन हुआ, उसका उल्लेख मेरे से पूर्व वक्ताओं ने किया है। अराजकता अनियमितता, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद का एक अंतहीन सिलसिला चला हुआ था जिसकी जितनी व्याख्या की जाए, वह कम है। अब बात यह आती है कि इन राज्यों में क्या हो रहा था और उन सारे घटनाक्रमों को ध्यान थे रखते हुए और उसके बाद छः दिसम्बर, 1992 की लज्जित घटना को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों में किस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई, जब हम उस पर गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि इन राज्यों के राज्यपालों ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसके आधार पर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि आर्टीकल 356 का लागू करना अनिवार्य हो गया था। मान्यवर, आपने आर्टीकल–355 का जिक्र किया, बडी मोजू बात कही कि जब किसी राज्य में ऐसी आंतरिक स्थिति निर्मित हो जाए कि वह नियंत्रण से बाहर हो जाय तो आर्टीकल–355 का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। आर्टीकल-356 का पालन करने के लिए इन राज्यों के राज्यपालों ने रिपोर्ट भेजी। मैं अपनी बात का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से करता हू। उन्होंने छः दिसम्बर को रिपोर्ट भेजी कि संविधान का पालन नहीं किया गया है, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं इसलिए आवश्यक होगा कि यहां की सरकार को भंग कर दिया जाए। मेरे से पूर्व एक वक्ता ने यह बात कही कि उस सरकार को पहले क्यों नहीं भग कर दिया गया। तो मैं माननीय गृह मंत्री जी की उपस्थिति में अपनी जानकारी के आधार पर यह कहना चाहता हूं कि उन्हीं राज्यपाल महोदय ने पहले यह लिखा था, माननीय मंत्री जी अपने बयान में चाहें तो इसका उल्लेख कर सकते हैं यदि यह सही हो। राज्यपाल ने लिखा कि यदि उत्तर प्रदेश की सरकार भंग करदी गई तो कारसेवकों को नियंत्रित नहीं किया जा सकेगा, बाबरी मस्जिद ढांचे की सुरक्षा नहीं की जा सकेगी इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार को भंग करना अनुचित होगा। यह मैं छः दिसम्बर से पहले की बात का जिक्र कर रहा हूं। तो हमारे यहां संविधान में कुछ मान्यतायें हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। बाद की स्थिति का और समय की स्थिति की तो बात अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को पहले भंग करने के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने क्या लिखा था, इस पर भी गौर करना अनिवार्य है। माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा उठाए गए कदमों की बात कहीं जाती है। मैं कोई उनको डिफेंड करने के लिए बात नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो मेरी जानकारी है, उसके हिसाब से दो दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने माननीय गृह मंत्री जी को यह लिखा था कि जो पैरा मिलेट्री फार्सेज है वह वहां के होटल वालों के साथ, वहां के कारसेवकों के साथ दुर्व्यहार कर रही है, उसको वापिस बुला लेना चाहिए। उसके अतिरिक्त 5 दिसम्बर को माननीय गृह मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को आगाह किया था कि उनकी ऐसी आशंका है कि वहां एक्सप्लोसिब्ज का इस्तेमाल हो सकता है, जो विवादित स्ट्रक्चर है उसको डेमेज करने के लिए बम का इस्तेमाल हो सकता है, इनका कुछ शरारती तत्व इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए सी.पी.एम.एफ. का इस्तेमाल राज्य सरकार के लिए अनिवार्य हो गया है, उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन उन सब चीजों को भी नजरअंदाज कर दिया गया। तो यह सारी वह घटनायें थी। जिनको नजरअंदाज करके ऐसी एक स्थिति निर्मित हो गई कि छः दिसम्बर की एक शर्मनाक घटगा घटित हुई और वह घटना दरअसल "रघुपति राघव राजा राम, रघुकुल रीत सदा चली आई" मानने वाले लोगों के मुख पर भी कालिख पोतने वाली घटना हुई। उसके बाद पूरे देश में जो साम्प्रदायिक हिंसा भड़की उससे क्या स्थिति हुई उस पर यह सदन पूर्व में चर्चा कर चुका है। तो मैं राज्यपाल की रिपोर्ट का जिक्र कर रहा था कि छः दिसम्बर को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने जो रिपोर्ट दी उस पर वहां की सरकार भंग हुई। उसके बाद मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने 8 दिसंबर को पहली रिपोर्ट दी जिसमें ला एंड आर्डर सिचुएशन बिगड़ने की बात कही गई। उसके बाद दूसरी रिपोर्ट

उन्होंने 10 दिसम्बर को दी और तीसरी रिपोर्ट 13 दिसम्बर की दी जिसमें उन्होंने एक बात का उल्लेख किया कि आर्टिकल 356 का पालन करना बहुत अनिवार्य हो गया है । ठीक इसी प्रकार की रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भी रिपोर्ट दी कि वहां के बहुत सारे मंत्री और मुख्य मंत्री अपने आपको आर.एस.एस. से सम्बद्ध बताते हैं इसलिए प्रतिबंधित संगठन पर किस प्रकार से रोक लग पाएगी, उनकी गतिविधियों पर कैसे रोक लग पाएगी ? इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि वहां की सरकार को भंग कर दिया जाए ।

महोदय, कुछ इसी प्रकार की रिपोर्ट राजस्थान के गवर्नर ने भी दी कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है । इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू करना बहुत अनिवार्य हो गया है । इन सारे राज्यपालों की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए 15 दिसम्बर, 1992 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया जिसकी पुष्टि 21 दिसंबर को हमारे इस सदन ने और 23 दिसंबर को लोकसभा ने की ।

मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि यह बात कही जाती है कि आर्टिकल 358 का दुरुपयोग किया गया । यह बात कही जाती है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्वाचित सरकारों को भंग कर दिया गया । मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि 1977 में क्या हुआ । 1977 में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्वाचित सरकारों को भंग कर दिया गया, मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता । मैं इस विवाद में भी नहीं जाना चाहता कि आर्टिकल 356 का क्या उस समय पालन किया गया था । क्या राज्यपाल की रिपोर्ट को अनदेखा किया गया था ? लेकिन मैं आपकी अनुमति से इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछली बार चुनावों के समय इन प्रदेशों की जनता से जो वायदे इन राज्य सरकारों ने किए थे, उस दिशा में क्या कदम उठाए गए ?

महोदय, जब 1989 में भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में शासन में थी तो मैं आंकड़े देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में 1989 में 1 लाख 95,183 क्राइम हुए जो 1990 में बढ़कर 2 लाख, 9,556 हो गए । राजस्थान में 1989 में 99,617 क्राईम हुए जो 1990 में बढ़कर 1 लाख 3,228 हो गए । उत्तर प्रदेश में 1989 1 लाख 72,880 क्राइम हुए थे जो 1990 में बढ़कर 1 लाख 93,985 हो गए। हिमाचल प्रदेश में 1989 में जहां 7,168 क्राईम हुए थे, वहां 1990 में 8,316 क्राईम हुए । यानि जो क्राईम की परसेंटेज थी, वह मध्य प्रदेश में एट परसेंट बढ़ी, राजस्थान में चार परसेंट बढ़ीं उत्तर प्रदेश में 12 परसेंट बढ़ी और हिमाचल प्रदेश में 16 परसेंट बढ़ीं।

महोदय, जब हम रायट्स का जिक्र करते हैं, 1989–90 का तो मध्य प्रदेश में 5 परसेंट ज्यादा हुए, यानी 1989 में 4,606 रायटस हुए, जो 1990 में बढ़कर 4,809 हो गए । राजस्थान में 1 लाख, 5,298 हुए, जो बढ़कर 1 लाख, 6,389 हो गए। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में 1989 में 9,818 रायट्स हुए थे, जो 1990 में बढ़कर 11,696 हो गये । इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में हुआ। तो 1990 में 1989 के मुकाबले मध्य प्रदेश में 5 परसेंट रायट्स में बढ़ोत्तरी हुई, राजस्थान में 7 परसेंट बढ़ोत्तरी हुई, 19 परसेंट उत्तर प्रदेश में हुई और 56 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हिमाचल प्रदेश में हुई । तो इस प्रकार यदि हम आल इण्डिया फिगर्स को देखें, तो जो क्राईम की संख्या है, वह मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश ने टाप किया । क्राईम छोटे हों, कम हों, वह भी दुर्भाग्यजनक है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्राईम के आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश ने टाप किया । 1990 में और उत्तर प्रदेश दूसरे नम्बर पर रहा।

[श्री सुरेश पचौरी]

इसी प्रकार हरिजन और आदिवासियों पर जुल्मो-सितम की जहां तक बात है, जैसा मैंने कहा यह जुल्मो-सितम वाली सरकार साबित हुई है। 1991-92 में हरिजनों के ऊपर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 290 मामले हुए और टॉप किया उत्तर प्रदेश ने जबकि मध्य प्रदेश में 95 लोग मरे। राजस्थान में 52 मरे। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में जो शैडल्ड ट्राइब लोगों पर क्राईम हुए, जिसमें लोग मरे, वह हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा मरे। 1991-92 में जिनकी संख्या 50 थी। अगर वीमेन अट्रोसिटीज की बात लें तो 259 मामले शैड्यूल्ड कास्ट के और 163 मामले शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के हुए। मध्य प्रदेश में, यानी हिन्दुस्तान में इनकी संख्या सबसे ज्यादा हुई।

अगर फूड-ग्रेन प्रोडक्शन की बात लें तो फूड प्रोडक्शन इन राज्यों में कम हुआ है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब ज्यादा था और जब बी०जे०पी० की सरकार थी, तो कम हुआ। यदि ट्रायसम योजना के आलीकेशन की बात लें, तो 3.40 लाख रुपए का अलोकेशन हुआ था, उसके मुकाबले में जो ऐक्सपेंडीचर है, वह 349.7 लाख है। इसी प्रकार राजस्थान में 248.80 के मुकाबले में 90.75 का ऐक्सपेंडीचर हुआ। उत्तर प्रदेश में 1287.40 के मुकाबले में 830.2 ऐक्सपेंडीचर हुआ। यानी इन योजनाओं के तहत जो पैसा इन राज्यों में दिया गया था, वह राज्यों में पैसा खर्च भी नहीं किया गया है। इसलिये जो बात मेरे पूर्व वक्ता ने कही थी कि विकास के नाम पर इन राज्यों में खर्च नहीं हुआ तो वाकई विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब क्राइम की बात देखते हैं, तो विनाश के नाम पर बहुत कुछ हुआ।

महोदया, जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जो पैसा दिया गया था, उसका मिस यूटिलाईजेशन भी हुआ। मिनिस्ट्री आफ वैलफेयर से जो डिफरेंट स्कीमों के तहत इन राज्य सरकारों को जितना पैसा दिया गया था, उसका दुरुपयोग हुआ। यह सारी जिम्मेदारी निर्वाचित सरकारों की थी। जिस कार्य का निर्वहन निर्वाचित सरकारों को करना था, उसमें भी कोताही की गई। हम उन बातों में जाना नहीं चाहते हैं। उस समय लोक सभा के चुनाव हुए थे, जिसमें म०प्र० में 27 लोक सभा के सदस्य जीते थे, पहले 8 जीते थे। तो जनमत का आदर करते हुए इस राज्य सरकार को भंग करना चाहिये था, लेकिन हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया और फिर भी इनको मौका दिया। लेकिन उसके बाद भी इन प्रदेशों में क्या स्थिति हुई?

महोदया, यदि हम केवल कम्यूनल इंसिडेंट्स के फिगर्स को लें तो उत्तर प्रदेश में जो इंसिडेन्ट जनवरी 1992 में हुए वह 22 थे और राष्ट्रपति शासन के बाद क्या इन प्रदेशों में स्थिति सुधरी है, यदि हम इसका आक्कलन करें तो देखेंगे कि वहां केवल 9 इंसिडेंट फरवरी, 93 में हुए इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में जनवरी, 1993 में 18 इंसिडेंट हुए। मध्य प्रदेश में जनवरी, 92 में 6 इंसिडेंट हुए जब कि फरवरी, 1993 में केवल 2 इंसिडेंट हुए। राजस्थान में जनवरी 1992 में 10 हुए थे जब कि जनवरी 1993 में 2 इंसिडेंट हुए। तो मैं ये आंकड़े इसलिए मान्यवर दे रहा हूं कि यह भी गौर करना जरूरी है कि इन राज्यों में राष्ट्रपति शासन होने के बाद क्या कम्युनल इंसिडेंट की संख्या बढ़ी है या घटी है तो आंकड़े यह बताते हैं कि इनकी संख्या घटी है। इसलिए जो आज 357 के तहत राष्ट्रपति जी को शक्ति प्रदान करने की बात कही गई है वह एक उचित बात है क्योंकि इन राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। हरिजन और आदिवासी, अल्पसंख्यक और निर्धन वर्ग अपने आपको असहाय और असुरक्षित महसूस कर रहा था; महिलायें आए दिन जुल्मों सितम की शिकार हो रही थीं। यह सारी स्थिति थी। दहेज की वजह से मौतें बराबर बढ़ रही थीं। मध्य प्रदेश में 242 केस पंजीकृत किए गए थे। बलात्कार की संख्या यदि मार्च, 1990 से जनवरी, 1992 तक लें, भा०ज०पा० शासन को लें तो मध्य प्रदेश में इस दौरान 4839 केसेज दर्ज कर

लिए गए थे । नक्सलवाद की गतिविधियां भी बढ़ रहीं थीं । यदि हम पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम की बात को ले तो कोआपरेटिव संस्थाओं को जिसमें आर० एस०एस० के पट्ठे भरे हुए थे राशन की दुकानें आवंटित की गई जिससे लोगों को रोजमर्रा की चीजें मुहैय्या नहीं हो रही थी। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। लेकिन 3 फवरी, 1993 को माननीय गृह मंत्री जी जब भोपाल में गए थे तो हमने एक आरोप पत्र उस राज्य सरकार की पिछली कारगुजारियों के संबंध में दिया था। हम जब इस पर चर्चा कर रहे हैं तो कम से कम इन सारी बातों का उल्लेख करना उचित रहेगा कि किस तरीके से एक रुपए के भाव से लाखों रुपए की जमीन आर०एस०एस० और विश्व हिन्दू परिषद् के पट्ठों को दी गई थी । उनकी जांच करने की बात है कि किस प्रकार जो प्रतिबंधित संगठन हैं उनकी संस्थाओं को यह जमीन दी गई है और शासकीय सेवाओं में हरिजन आदिवासियों के बैकलाग को भी नहीं भरा गया है । भोपाल गैस सिक्टिम के सिलाई सेंटर बंद कर दिए गए थे और कांग्रेसियों पर बदले की भावना से कार्रवाई की गई थी । डा० अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी गई थी । अम्बेडकर भवन का नाम बदल कर मंगल भवन रख दिया गया था। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता । पूरे आरोप पत्र की कापी मेरे पास है कि किस प्रकार से हरिजन आदिवासी महिलाओं को निरवस्त्र करके उनके साथ बलात्कार किया गया । किन-किन स्थानों पर मध्य प्रदेश में यह किया गया था इसके नाम मेरे पास हैं। इनकी 50 से ज्यादा संख्या है । मैं पूरी की पूरी फिर से आरोप पत्र की कापी माननीय गृह मंत्री जी को दे दूंगा । मैं यह कहना चाहता हूं . . .

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : अम्बेडकर भवन का क्या नाम रखा गया ?

श्री सुरेश पचौरी : मंगल भवन । अम्बेडकर जी की मूर्ति तोड़ी गई और जिन लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट हुई वे विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के लोग थे । उस रिपोर्ट की कापी भी मेरे पास हैं ।

श्री कैलाश नारायण सारंग (मध्य प्रदेश) : मंगल भवन अलग से बनाए गए थे। मध्य प्रदेश के 45 जिलों में अम्बेडकर भवन को बदलकर कोई मंगल भवन नहीं बनाया गया । यह नई योजना थी । अपने अनुसूचित जाति भाइयों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण बनाई गई थी मध्य प्रदेश में । कोई यह कहे कि अम्बेडकर भवन का नाम बदल कर मंगल भवन रख दिया यह नितांत भ्रामक और असत्य है ।

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) : यह सच बात हैं (**व्यवधान**)

श्री कैलाश नारायण सारंग : हम इसको चेलेंज करने को तैयार हैं । हमने जिले-जिले में अम्बेडकर भवन को कहीं नहीं बदला, अलग से मंगल भवन बनाए।

श्रीमती सत्या बहिन : मैं खुद गई थी। मैंने देखा है (**व्यवधान**)

श्री कैलाश नारायण सरंग : यह तो बताइए तुमने इन 42 सालों में कितने अम्बेडकर भवन बनाए । आपने एक भी नहीं बनाया ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शकर दयाल सिंह) : आप लोग शांत रहिए । माननीय वक्ता ने जो कहा है गृह मंत्री जी उसका उत्तर देंगे ।

श्री कैलाश नारायण सारंग : एक भी अम्बेडकर भवन इन 42 सालों में नही बनाया गया । (**व्यवधान**)

श्री चतुरानन मिश्र : मैं यह कहना चाहूंगा कि गृह मंत्री जी को चाहिए कि पार्लियामेंट की एक कमेटी को वहां भेजें। वह जांच करे कि सचमुच क्या बात है । यह गम्भीर बात है । (**व्यवधान**)

डा० गिनेन्द्रकुमार जैन (मध्य प्रदेश) : मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं

[डा० जिनेन्द्र कुमार जैन]

क्योंकि इससे भ्रामक और असत्य बात का प्रचार नहीं हो पायेगा । (व्यवधान)

श्री कैलाश नारायण सारंग : मिश्रा जी आप भी उसमें रहें ।

श्री चतुरानन मिश्र : आपको इतना विश्वास है । (व्यवधान)

श्री कैलाश नारायण सारंग : हम तैयार हैं इसको स्वीकार करने के लिए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : यह सुझाव दिया है विचारार्थ रहेगा ।

श्री सुरेश पचौरी : 23-12-90 को भोपाल में, क्योंकि माननीय सदस्य भोपाल से संबंधित हैं इसलिए कह रहा हूं, कि उस दिन डा. अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ा गया था । इसकी नामजद रिपोर्ट वहां के थाने में की गई थी । जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग उसमें थे आज तक कोई कार्यवाई नहीं हुई । इसके अलावा मध्य प्रदेश..

श्री कैलाश नारायण सारंग : विश्व हिन्दू परिषद के माध्यम से नहीं तोड़ी गई थी । किसी और ने तोड़ी जिसको गिरफ्तार भी किया गया था । उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई ।

माननीय सदस्य । क्या हर बात का जवाब यह देंगे ।

श्री कैलाश नारायण सारंग : अगर कोई असत्य बोलेगा तो हम जरूर जवाब देंगे । यह हमारा राइट है कि अगर कोई असत्य बोले तो हम जरूर जवाब देंगे । (व्यवधान)

श्री सुरेश पचौरी : 11 मार्च, 1990 को शिवपुरी जिले के तलैया गांव में सत्या बहिन भी गई थीं वहां पर, एक हरिजन महिला को विवंस्त्र करके घुमाया गया था । जिसने निर्वस्त्र किया था वह सरपंच भारतीय जनता पार्टी से संबंधित था । आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई । हां-कहां क्या-क्या हुआ मैं क्या बताऊं । शिवपुरी के ही गणेश खंडा में नैनां बाई को निर्वस्त्र करके घुमाया था । और पूछिए, उज्जैन जिले में 24-7-90 को पुलिस में एक अनुसूचित जाति की महिला रामाबाई को निरवस्त्र करके घुमाया गया । और पूछिए, 1-7-91 को उज्जैन जिले के ही लोहपुरा में रेशमा को निर्वस्त्र करके घुमाया गया जिसकी रिपोर्ट की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ । 6-7-91 को बस्तर जिले के लोह कुंडा गांव में एक महिला के कपड़े फाड़ कर घुमाया गया जिसकी रिपोर्ट की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई । ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें हरिजनों और आदिवासी महिलाओं पर जुल्म ढाए गए । स्वयं मुख्य मंत्री के जिले मंदसौर के रेस्ट हाउस में कुक्कड़ेश्वर गांव के डाक बंगले में एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ बलात्कार किया गया । यह भावखेड़ी की घटना है । जब डाक बंगले के चौकीदार ने इसकी रिपोर्ट की तो उसको निकाल दिया गया । ऐसी कितनी ही घटनायें हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : पचौरी जी, यह तो आप बता ही देंगे, अब आप समाप्त कीजिए ।

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन : जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, वे सब असत्य बातें हैं ।

श्री सुरेश पचौरी : आप तो मध्य प्रदेश कभी गए भी नहीं हैं । आप नक्शे को ही देखते रहे हैं । ये गांव कहां है और किस दिशा में है, अगर आप यह बता देंगे तो मैं बैठ जाता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : देखिए, संसद का समय बर्बाद मत करिए। जैन साहब, आप भी बैठ जाइये । पचौरी जी, अब आप समाप्त कीजिए ।

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन : ये भ्रामक और असत्य बातें कह रहे हैं । अगर आपमें हिम्मत है तो मध्य प्रदेश में चुनाव कर दीजिए, लोग बता देंगे कि कौन ठीक कहता है और कौन ठीक नहीं कहता है।

श्री सुरेश पचौरी : कम्यूनल आर्गेनाइजेशन्स पर प्रतिबन्ध लगाया गया तो कई राज्यों के मुख्य मंत्रियों का इनसे संबंध था । कई मंत्रियों ने आर०एस०एस० से अपनी प्रतिबद्धता बताई । जो परिचय पुस्तिका विधान सभा भवन में रखी गई है उसमें कई मंत्रियों ने बताया है कि वे आर०एस०एस० और विश्व हिन्दू परिषद से संबद्ध हैं । मुख्य मंत्री पटवा जी ने तो यहां तक कहा कि अब मैं आर०एस०एस० से तलाक नहीं ले सकता । कुछ इसी प्रकार की बात हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने भी कहीं । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बात का आंकलन आवश्यक है कि जब से इन साम्प्रदायिक संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है उन संगठनों की गतिविधियां क्या हैं, उनके क्रियाकलाप क्या हैं, उन पर गौर करना पड़ेगा । जब हम 357 के अंतर्गत राष्ट्रपति जी को शक्तियां प्रदत्त कर रहे हैं तो इन सभी चीजों का हमें उपयोग करना चाहिए । यह जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए । जब राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया है तो हमें निर्बल हरिजनों और आदि वासियों की तरफ ध्यान देना चाहिए और उनके आंसू पूछने का काम किया जाना चाहिए। जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं वे विशेष आशा से हमारी तरफ देख रहे हैं । हम राष्ट्रपति के शासन का मूल्यांकन करते रहें, उसकी समीक्षा आवश्यक ।

जहां तक मध्य प्रदेश का संबंध है, महामहिम राज्यपाल जी ने कई सराहनीय कदम उठाए हैं जो स्तुति और तारीफ के काबिल है । जैसे कि किसानों की भलाई के लिए 15 सौ रुपए प्रति बिजली के पोल लेने का जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया था उस निर्णय को उन्होंने वापस ले लिया है । इसी प्रकार से जो सेवाओं में हरिजनों का बैकलोग चल रहा था उसको भरने का भी निर्णय लिया है । इसी प्रकार से ओला वृष्टि से किसानों को राहत देने की भी घोषणा की गई है । कुछ घोषणायें करना अभी बाकी हैं । इस प्रकार से केंद्रीय सरकार से सम्बल प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि राज्य की जनता की आंकांक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए काम किए जा सके । साथ ही साम्प्रदायिक शक्तियों की कुत्सित चालों को न केवल बेनकाब किया जा सके बल्कि उन साम्प्रदायिक शक्तियों की जो हरकतें ही रही हैं उन पर भी अंकुश लगाया जा सके और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करके उनको दंडित किया जा सके । इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि

[उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) पीठासीन हुए]

क्योंकि उत्तर प्रदेश से यह बात प्रारंभ हुई है । 6 दिसम्बर, 1992 को हमारे देश में एक भयानक घटना हुई । इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं मैं यह कहना चाहूंगा कि उस समय के मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह की कथनी और बयानों का एक हवाइट पेपर निकालना जरूरी है । कथनी, करनी और बयान, 6 दिसम्बर के पहले उनकी कथनी क्या थी और 6 दिसम्बर के बाद उनकी कथनी क्या थी । न केवल एन० आई० सी० और सुप्रीम कोर्ट बल्कि सारी पब्लिक के बीच में उन्होंने क्या कहा ? मैं कुल मिलाकर यही बात कहना चाहता हूं कि 6 दिसम्बर को. . .

श्री चतुरानन मिश्र : अभी भी ह्वाइट पेपर कीजिएगा ? प्रोसीक्यूशन लाज कीजिए । ह्वाइट पेपर ही निकालते ही आप चले जायेंगे । करना है तो मुकदमा कीजिए । ह्वाइट पेपर, ह्वाइट पेपर, कह रहे हैं । केस चलाइए ।

श्री सुरेश पचौरी : मिश्रा जी, उनका पहले पर्दाफाश हो ।

श्री चतुरानन मिश्र : बहुत पर्दाफाश हो गया, अब भीतर साफ करें ।

श्री संघ प्रिय गौतम : आप में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं है । कल्याण सिंह ने डंडे की चोट कर कहा है कि मैंने अपने आदेशों से वहां पर गोली नहीं चलने दी । अगर मुकदमा चलाया जाय तो मुझ पर चलाया जाय, सजा मुझको दी जाए । अगर आपमें हिम्मत हो तो चलाइए मुकदमा दीजिए सजा ।

He is not a hypocrite like you. He has owned the whole responsibility.

श्री सुरेश पचौरी : आपकी वाक-पटुता ... (**व्यवधान**) ...

उपसभाध्यक्ष श्री मोहम्मद सलीम : पचौरी जी, बस आप खत्म कीजिए ।

श्री सुरेश पचौरी : आपकी वाक-पटुता और साफगोई पर मैं आपको धन्यवाद देता हूं –

श्री कैलाश नारायण सारंग : राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र और गजरात में नहीं लगा रहे हैं, यह क्या हो रहा है । महाराष्ट्र अभी भी जल रहा है । दो-दो मुख्य मंत्री बदले हैं... (**व्यवधान**)...यह सत्ता का दुरुपयोग है । ... (**व्यवधान**) ... मैं कहता हूं कि अगर हिम्मत है तो मध्य प्रदेश में चुनाव कराओ ।... (**व्यवधान**) ...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : सत्या बहिन जी आप बैठिए ।

श्री सुरेश पचौरी : मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा था लेकिन बीच में टोकाटाकी हो गयी है । माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं हैं मैं उनको जवाब देना अपना कर्तव्य समझता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) जवाब मंत्री महोदय देंगे, आप अपनी बात रखें ।

श्री सुरेश पचौरी : मैं यह कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में चुनाव की बात कही जा रही है, मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संसद सदस्य अपनी सीट से इस्तीफा दे दें और चुनाव के मैदान में पहुंच जायं, वहां फैसला हो जाएगा ।

श्री कैलाश नारायण सारंग : आपको खुली छूट दे दें । हिम्मत है तो कराओ चुनाव हिम्मत है तो कराओ ... (**व्यवधान**) ...

श्री लखीराम अग्रवाल (मध्य प्रदेश) : पहले विधान सभा का चुनाव तो कराओ ... (**व्यवधान**) ... साथ में लोक सभा का भी कराओ ।

श्री सुरेश पचौरी लोक सभा से प्रारम्भ करवाते हैं ।

श्री लखीराम अग्रवाल : आप दिन रात बात करते थे, कि इन्होंने जनबसमर्थन खो दिया है और अब चुनाव से डर रहे हो । अगर दम तो, है सलोक सभा के भी कराओ और विधान सभा के भी कराओ ... (**व्यवधान**) ...

श्री कैलाश नारायण सारंग : चोर दरवाजे से सत्ता में आ गए हो और अपनी वाह वाह हो रही है । अगर हिम्मत है तो कराओ चुनाव ।

उपसभाध्यक्ष (श्री महोम्मद सलीम) : पचौरी जी, प्लीज कन्क्लड ।

श्री सुरेश पचौरी : मान्यवर, जहां तक अराजकता, अनियमितता और जल्मो-सितम का जो अंतहीन सिलसिला इन राज्यों में चल हुआ था, उसकी वजह से यह आवश्यक हो गया था कि 357 के तहत शक्तियां प्रदान की जायें । मैं कहना चाहता हूं कि जहां कल्याण सिंह जी के पिछले कथनों और बयानों का व्हाइट पेपर बने क्योंकि उन्होंने जो 6 दिसम्बर को कहा और जो 8 दिसम्बर को "इंडिया टूडे" में कहा कि मेरे मध्य

[Shri Kamal Morarka]

मंत्रित्व काल में हमने अपनी पार्टी के लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली है जो लक्ष्य हमारी पार्टी का बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहाने का था। इसके इलावा भोपाल में बैरागढ़ मीटिंग में उन्होंने कहा जहां तक संविधान की उपेक्षा करने बात कही जाती है, मुझे गर्व है कि संविधान की उपेक्षा तो हमने की लेकिन भगवान श्री राम की उपेक्षा नहीं की। इस प्रकार के बयान एक जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा दिए जायें तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही करना आवश्यक हो गया। मान्यवर, जहां तक आर.एस.एस., भारतीय जनता पार्टी के इन राज्यों में क्रियाकलापों की बात है उसका मैंने थोड़ा सा उल्लेख किया लेकिन यह लोग एक तरफ साम्प्रदायिकता फैलाते हैं और दूसरी तरफ दूसरी कौम की कट्टरपंथी शक्तियों से भी समझौता करते हैं। मेरे पास एक कटिंग है जिससे मध्य प्रदेश के तत्कालीन मंत्री बाबू लाल गौड़ और जमायते इस्लामी के सदर बैठे हुए हैं। जमायते इस्लामी ने आर.एस.एस. की तारीफ की है और आर.एस.एस. द्वारा जमायते इस्लामी की तारीफ की गई है। जब हमने आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया है और 357 के तहत राष्ट्रपति जी को शक्तियां प्रदान कर रहे हैं तो इस बात पर विचार करना आवश्यक हो गया है कि जहां हम साम्प्रदायिकता पर अंकुश लगाने की बात कर रहे हैं वहां हम उन कट्टरपंथी शक्तियों से भी निबटने के बारे में कुछ विचार करें, चाहे वह हिन्दू कट्टरपंथी हो, मुस्लिम कट्टरपंथी हो चाहे आर.एस.एस. हो या जमायते इस्लामी हो जिनके साथ बैठ कर यह भोपाल में सम्मेलन कर चुके हैं और एक दूसरे की तारीफ कर चुके हैं। इनकी गतिविधियों पर न केवल अंकुश रखना आवश्यक है बल्कि उनसे संबंद्ध लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करना आवश्यक है। यह तो रही यह बात कि किस प्रकार से इन राज्यों में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रख सकते हैं लेकिन इसके साथ इन राज्यों में पिछले डेढ़ तीन सालों में विकास लीला हुई है जिसके कारण विकास के कार्य अवरुद्ध हो गए थे, यह राज्य प्रगति और विकास के द्वार पर दस्तक नहीं दे पा रहे थे, इसलिए यह आवश्यक है कि जब हम इन्हें यह शक्तियां प्रदान कर रहे हैं तो इन राज्यों में प्रगति हो सके, विकास के कार्य हो सकें और इन राज्यों में ... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मी राम अग्रवाल : 80 लाख रुपए गवर्नर भवन पर खर्च हो रहा है, पांच पांच लाख रुपए गवर्नर के एडवाइजरों के भवनों पर खर्च कर रहे हैं, यह विकास के काम हो रहे हैं (व्यवधान)

(उपसभाध्यक्ष श्री मोहम्मद सलीम) : मंत्री जी जवाब देंगे। काफी समय आप ले चुके हैं। पचौरी जी, खत्म करिए।

श्री सुरेश पचौरी : इन राज्यों में प्रगति और विकास हो सके, इसलिए ऐसी योजनायें बनाना आवश्यक है। इन राज्यों की राशि भेजना आवश्यक। यह माननीय मंत्री जी अपनी तरफ से वित्त मंत्रालय को पहल करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है और साम्प्रदायिक ताकतें किसी भी प्रकार से सर न उठा पायें इसके लिए कार्य योजना बनाना आवश्यक है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय गृह मंत्री जी, जो इन चार राज्यों में आर्टिकल 357 के तहत विधेयक प्रस्तुत कर के राष्ट्रपति जी की पूरी शक्तियां प्रदान करने की बात की है, बाद में उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद

SHRI KAMAL MORARKA (Rajasthan): Sir, the four Bills before this House are for a limited purpose, that is, to delegate to the President of India the powers which Parliament has to enact any legislation in the four States which are under President's Rule.

Sir, at the outset, let me give my views. I think these Bills are wholly unnecessary; there is no urgency of legislation for which we have to empower the President. Parliament is in session and it is likely to remain in session till about the 10th of May. President's Rule in these four States was imposed on the 15th of

[Shri Kama lMorarka]

December and, as of now, it will end on the 15th of June. Therefore, elections have to be held by the end of May or the beginning of June. Parliament will be in session till the beginning of May and there is hardly any period in between for which powers need to be given to the President of India, if at all. In the Statement of Objects and Reasons the only thing that the Government has said is that Parliament will not have enough time to pass legislation which otherwise the State Assemblies would have passed.

Sir, I do not know what that legislation is. Today, in the debate, I have seen, hardly any concentration has been there on this Costitutional aspect and most of the debate has been on political lines. Since many issues were raised, I would 5.00 P.M. like to make my submission only on a few points. There are a few points which can cause serious concern for the future polity of this country. I am one of those who never grudges any party coming to power. In fact, after this incident of 6th of December which no civilised person will ever be able to defend, not eves in the Party which was guilty of not being able to control those incidents—even they were apologetic; I must say, even the RSS Chief had deplored the incident—any right thinking, educated, civilised person will have to say that what happened is wrong. One, according to his political predilections, can try to explain why it happened—it happened because the Government did not act in time; it happened because the Courts did not act in time; this would not have happened if 'x', 'y', and 'z' had happened. Whatever happend is bad. On that, there is unanimity.

Sir, I do not understand other things that have crept in. After all, there are going to be elections again in the country. Democracy is going to flourish for centuries to come, I hope. Many parties will come in and go out of power. My friends in the BJP will surely rule some of the States. What I cannot understand is whether we are going to allow distortions of history. If textbooks are changed, it is a serious matter. If it is true. I do not know because so much of disinformation is floating. Unfortunately, even in this House, just now there was a question of Ambedkar Bhavan. And I got immediately concerned. And I was happy that my friend from this side said that no such thing has taken place. Sir, there is a well-established convention. I stay in Bombay. In the Bombay Municipal Carporation, we have had different parties. But it is a well-established convention that a name once given is never changed by the civic body, whichever may be the ruling party. Similarly, for the textbooks. We have a University Grants Commission for the colleges. Sir, I think, the time has come when we should see whether we should have an autonombus body even for the primary textbooks because we cannot afford to have State Governments changing, and trying to change the textbooks according to their political predilections. I am not only concerned about what my BJP friend might or might not have done, but I am also concerned at the suggestions that are coming. Most of our friends from the Congress benchs do not talk about this Bill. They said what of maladministration took place, how how the communism got a fillip. They have discussed the justification for imposing the President's rule, which I don't think this is the occasion. But they have tried to say that the Central Government in its emergency power should try to correct all the wrongs that might have happened. Sir I think, it is very dangerous because elections are going to come again. Let the elected Assembly do what they want to do, whichever Government may be there. Is the short term, if the Central Govern-

ment in its wisdom thinks that certain major distortions have taken place which need to be corrected, I think, they should come to the Parliament, both the Houses of Parliament, put the facts before the Houses, and say what wrong legislation or Ordinance or anything that the outgoing Governments might have done which needs to be corrected. Let us have a full debate. Let the BJP also participate. Let us understand that democracy must function in its full play. In answer to communalising of democracy, I am very sorry, my friend Dr. J.K. Jain, again propounded a dangerous doctrine. Somebody is giving a list of rapes and he says, let us take a vote. I do not understand how a case of rape can be decided by a vote. It is a most preposterous proposition because he was trying to say that if the Government has done so badly, people will not elect it. It is not correct. I would have expected a response from them that...

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: Will you yield so that I can explain? My purpose was not that an issue of rape can be decided by any electoral process. The atrocity against the weaker sections of the society, including women, has been one of the unfortunate things which have been happening ever since in our land. Now, to mention one or two cases and to attribute that to the BJP was disturbing to me...

SHRI KAMAL MORARKA: That is all right. I am not saying...

DR JINENDRA KUMAR JAIN: That is all.

SHRI KAMAL MORARKA: I have understood your point. If the hon. Member there was detailing a lot of things, they could have said, now there is President's rule, why don't you deal with culprits? That was the right response. I could have understood it. I can understand if you say that BJP is not responsible, atrocities are happening all over the country. But you cannot say, "Are you detailing so many rapes? Let us take vote." So, what I am trying to say is that we in our over-enthusiasm for our respective parties are trying to totally go out of the democratic track. I am not concerned. Tomorrow if there are elections and the BJP comes to power, I am not against it. But let us understand. If somebody is detailing the rape cases being very exceptional and try to point a finger at you, your response cannot be as irresponsible as that. Otherwise, where do we go? That is my problem.

The second problem is which I want to make very clear, on the textbooks issues. This morning I was horrified. My colleague, Kamla Sinhaji raised the issue of Taj Mahal and some puja etc. happening there, and she said as a measure of sarcasm that tomorrow they may lay a claim to Taj Mahal. And to my utter horror, many Members of that party said: Yes, Taj Mahal is under dispute! I am sorry. From childhood we have had certain education, and we owe it to this country. On the one hand this party wants to support this Government in the economic process to take it to the twentyfirst century and on the other hand we want to pull it back to the days of darkness. We want to start challenging whether Taj Mahal was Taj Mahal or not! I think the time has come and I request my friends on that side. Let us draw a line. We have our political differences. Please insist before the people that your State was the best administered State the country has ever had. Please tell all that to the people. Please counter the disinformation, if any, given by them. But let us not distort history. Let us not distort or go away from the basic values that the nation has cherished for centuries. I do not understand how we are going to get out of the Catch-

[Shri Kamal Morarka]

22 situation which has been created after 6th December. Today I see that after 6th December, my friends here leave no opportunity to capitalise on the so-called religious fervour that has suddenly surfaced. I am one of those who believe that getting votes for popularity in the name of religion or caste or community is obscurantist in nature. The whole process is obscurantist. Our Representation of the People Act says that you cannot ask for vote in the name of all this. Today I find they have put their ideologies before the people. They had two seats in the Lok Sabha. Because of many things, they increased it to 85 and now to 120 seats. Please carry on that process. If people in this country want them and they believe that Congress or other parties have failed and you are a better party, they will elect you to power. But having failed in your ideology today, you are telling the people: 'Our programmes are not good. O.K. But we tell you that Rama was a great person. So vote for us.' I do not understand this theory. Rama was a great person. But Rama does not belong to them. Rama was a national hero whom everybody accepts. What I submit to you is that this entire debate shows that we are just slipping back and none of us will be able to control ourselves. I will put it to them. Please re-think on this whole issue.

Mr. Mulayam Singh Yadav was the Chief Minister when for the first time there was a law and order problem in Ayodhya. He ordered firing. Eleven people died. I am sorry to say that there was a hue and cry. Their party which was supporting our Government at that time, the NF Government, opposed it. The Congress Party which was in the Opposition, opposed it. There was a big hue and cry as if Mr. Mulayam Singh Yadav is doing his Constitutional duty of defending that structure had done a cardinal sin by ordering firing. Sir, human death is bad. Even one person dying is uncalled for. But if you have a State, the State will have a structure, and police and the para-military forces are a part of the State structure. They will have to act if people take law into their own hands. On the one hand, eleven people died because of police firing, today they proudly say: 'Our Chief Minister says that he refused to order police firing'. What is the result? Eight hundred people died in December in the riots; another five or six hundred people died in January in Bombay riots and another five hundred died now in Bombay. Is it easy to say that all this has no connection with the 6th December incident? Let us understand it.....

SHRI CHATURANAN MISHRA: And thousands maimed and injured.

SHRI KAMAL MORARKA: We must understand the atmosphere that has been created in this country. We have invited it on ourselves. We are nobody to blame anybody else. There is no use blaming any foreign power. Today if there is a problem in Bombay, we ourselves are to blame, and unless all the political parties, especially the Congress Party which is the largest party in the country and the BJP which is the largest Opposition party, sit together and sort it out, I am afraid we are going to have years of bloodshed in this country. No police, no detective, no IB will help you. You are a country of 85 crore people. You have a coastline which nobody can guard. You are open on all sides. I do not know. There was a big debate on Bombay. What do you expect the police to do? Because of modern technology a bomb of even a small size can blow up an entire building. What do you expect the police to do? Do you expect the police to frisk each and every citizen of the country? What do you expect? Do you think that politicians have no role to play in the country?

Are we coming to this conclusion that politicians have no role to play? I put it to you. If it is so, we must wind up and go.

Today, in Punjab, if you have a problem, let us hand it over to Gill. In Kashmir, if you have a problem, let us hand it over to the Governor. In Assam, if there is a problem, let us hand it over to the police. If there is a problem in Ayodhya, let us hand it over to the Supreme Court. If it is Mandal, which suddenly keeps coming up like a rabbit out of a hat, let us hand it over to the Supreme Court. If the bureaucracy, the police and the courts have to do everything, have we, the politicians, no role to play? Is the democratic system gone? Is that what we want? Let us understand this. I think, already, we have, by our actions, created a lot of scepticism and cynicism in the public mind as to the role of a politician. The time has come. After all, who are politicians? If there is democracy, there have to be politicians. I am one of those who does not believe this—I do not support this that it is the politicians who have let us down. What are the politicians? They are the representatives of the people. Who is stopping others to come and stand for elections?

Sir, we, as organised political parties, whatever our ideologies may be, must sit together and sort out this problem. The country is now standing on the brink of a big catastrophe. What happened in Bombay is not an isolated incident. There is no use going into the history and geography of it. But suffice it to say that as far as this matter of 6th December is concerned, before 6th December, they were jointly guilty of wrong decisions. After 6th December, they are separately guilty of wrong decisions. Both of them are now in the people's dock. They must understand. If the country is in trouble today, both of them really share the blame. Nearly 80 per cent of the blame is on them both. The 20 per cent, may be, all of us are responsible. I do not deny it.

Therefor, the time has come. The Government must not sit back. There is no reason for empowering the President. My humble suggestion is, do not tinker with State legislations unless absolutely necessary. Elections are due. If you do not want elections in May, you will come to Parliament for extension of President's rule for another six months. In fact, that is the right time when you should bring forward this legislation. If you want extension of President's rule for another six months, at that time, you can tell Parliament that you are going to rule for another six months and, therefore, you want to empower the President. But here, President's rule is going to end in June. This is a very funny situation. President's rule is going to end in June and you are asking for this power. Sir, President's rule has been imposed in this country about a hundred times. I have been in Parliament for the last five years. At no time, such a legislation had come. I have checked the records. It was only in 1951, 1956 and 1964 that powers were given to the President. But in the last five years, we had President's rule in many States, but there has been no delegation of power.

I would like to know from the Home Minister. What are the special reasons for empowering the President to pass laws? What are those laws? Why can't Parliament sit extra time and pass those laws? Why can't we debate those laws? What is the urgency of giving this power to the President? In any case, after the President enacts those laws, those laws have to come before Parliament. I want to understand the *raison d'etre* of this kind of legislation. I think the Government

[Shri Kamal Morarka]

is running away from the problem. The Government is now confused. They do not know what to do. Sixth December has blown up in their face. They really do not know what to do. It is time they take saner advice because they are, at the moment, the Government of India. They have all the power of the 85 crore people behind them. Unless they act responsibility, we are all in trouble. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : श्री मूलचन्द मीणा। आपकी पार्टी के लिए 75 मिनट समय था 68 मिनट तीन वक्ता ले चुके हैं, तो आप थोड़े से बोलेंगे, और भी चार वक्ता आपकी पार्टी से हैं। ....(व्यवधान) दो-तीन मिनट में बोलिए। ....(व्यवधान) सात मिनट हैं और चार वक्ता आपकी पार्टी के हैं। आपस में बांट लीजिए।

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, के विधान मण्डल द्वारा कानून बनाने की जो शक्ति है, वह राष्ट्रपति को प्रदत्त करने के लिए जो विधेयक लाया है और जिस पर विचार और पास करने का जो सवाल है, मैं इसका समर्थन करता हूं। इन चारों सरकारों का गठन 1990 के अंदर पाप की भावनाओं को लेकर हुआ था और वह पापी भावनाओं से जब पाप का घड़ा भर गया तो समाप्त हो गयीं उन पापी भावनाओं के अंदर, इस सदन में जनता दल के लोग भी बैठे हैं, वह भी शामिल थे, लेकिन थोड़े समय चलने के बाद उस पाप का इनको पता चला तो ये अलग होगए। इसलिए इस पाप की भागीदारी से जनता दल के लोग भी बच नहीं सकते। महोदय, सरकारों के गठन के साथ ही, इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मंत्री बने तो उनका एक ही काम रहा कि किसी भी प्रकार से आर.एस.एस. और विश्व हिंदू परिषद् के लोगों को ज्यादा-से-ज्यादा प्रशासन में बिठाया जाए और उन्हें सत्ता की ओर से लाभ मिले। आर.एस.एस. और विश्व हिंदू परिषद का जो प्रचार करे उसको इसका फायदा मिले। यही काम रहा इन सरकारों का।

महोदय अभी माथुर साहब ने कहा कि चुनी हुई सरकारों को राष्ट्रपति जी ने धारा 356 का प्रयोग करते हुए भंग कर दिया। प्रजातंत्र का हनन करते हुए भंग कर दिया। मैं माथुर साहब से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर जो ग्राम पंचायतें थीं क्या वह बिना चुनी हुई थीं? क्या जनता ने उनको वोट नहीं दिया था? आपने तो उन पंचायतों को वैसे ही भंग कर दिया था जबकि उनका कोई दोष नहीं था। इन सरकारों का तो दोष है। अभी शंकर दयाल सिंह जी यहां बैठे थे वह भी कह रहे थे कि पंचायतों को भंग कर दिया। अब मैं तो विरोध में था, लेकिन शंकर दयाल जी तो आपके सपोर्टर थे जब ये पंचायतें भंग हुई थीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन सरकारों के गठन के साथ इनके जो कार्यक्रम थे, उनमें चाहे आप शिक्षा विभाग के अंदर शिक्षकों की भरती का लें, उसमें भी आर.एस.एस. के लोगों को भरती किया गया। चिकित्सा के अंदर लें तो चिकित्सालयों के अंदर डाक्टर और वैद्यों की जगह भी आर० एस०एस० से संबंधित लोगों को भरती किया गया यूनिवर्सिटीज के अंदर, यूनिवर्सिटीज के चांसलर और वाइस-चांसलर के पद पर भी आर०एस०एस० के लोगों को बिठाया गया। यहां तक कि "विद्या भारती" के नाम से जो शिक्षा की प्रायवेट संस्था है, उसको इनके शासन के अंदर ज्यादा-से ज्यादा लाभ दिया गया। यह तो मैं उनकी उपलब्धियां गिना रहा हूं, इन्होंने जो किया है वह तो अलग है। इनके शासन में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोगों के साथ बहुत अत्याचार हुए। महोदय, मैं राजस्थान का एक उदाहरण देना चाहता हूं। राजस्थान के अंदर कोई आय०ए० एस० ऑफिसर सस्पेंड किया गया तो एक शेड्यूल्ड ट्राइब के गरीब आदमी को सस्पेंड किया जिस पर कि कोई दोष

साबित नहीं हुआ है। यहां तक कि देश के राष्ट्रपति महोदय ने भी उसको बहाल करने के लिए लिखा, लेकिन वहां के भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मंत्री ने उसको बहाल नहीं किया। महोदय, शेड्यूल्ड कास्ट की महिलाओं की इज्जत लूटी जाये, उनको आंगों में डालकर जलाया जाय, उन पर अत्याचार किए जाएं, लेकिन कोई किसी की सुननेवाला नहीं था उस सरकार के जमाने में। ये सारे पाप होने के बाद 6 दिसंबर की घटना ने, पापों का जो घड़ा खाली था, वह भर दिया।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : एक जानकारी चाहता हूं कि साढ़े 5 बजे जो संगमा जी का वक्तव्य है, वह होगा या नहीं क्योंकि लगता है कि यह डिस्कसन लंबा चलेगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): वह होगा। मीणा जी, आप कनक्लूड कीजिए।

श्री मूलचन्द मीणा : महोदय, मैं एक बात चुनाव के बारे में कहना चाहता हूं। प्रजातंत्र में चुनाव भी होते हैं और कांग्रेस पार्टी इस प्रजातंत्र की सदैव हामी रही है, लेकिन इन राज्यों के अंदर जो साम्प्रदायिकता की आग को आपने लगाया है वह बुझे तो सही। वह आग बुझेगी तभी तो जाकर चुनाव होंगे। गृहमंत्री जी, आज आप किसी भी प्रांत के अंदर चले जाएं इन चारों में से, यहां लोगों में सांप्रदायिकता की आग इस तरीके से भर दी गई है कि कभी भी यह आग ज्यादा बड़ा रूप ले सकती है। इसलिए जब लोगों के अंदर सद्भावना जैसी भावना पैदा हो और जब ऐसा समय आए तभी आप चुनाव कराएं। वैसे ही कांग्रेस पार्टी का यह उसूल रहा है। इस देश के अंदर प्रजातंत्र लाने में जितना सहयोग कांग्रेस पार्टी का रहा है, शायद आज जो चुनावों की बात करते हैं उनका कोई भी सहयोग नहीं रहा होगा। इसलिए मैं इन विधेयक का, जिनके द्वारा राष्ट्रपति जी को शक्तियां प्रदत्त की जा रही हैं, उनका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD SALIM): I have to inform Members that Shri Sitaram Kesri, Minister of Welfare, will make a statement regarding socio-economic criteria for exclusion of creamy layer from other back ward classes, and also lay on the Table, a copy of the report of the Expert Committee today, immediately after the conclusion of the Half-an-Hour Discussion listed on the agenda. Therefore that, I have to take the sense of the House. Now, there are so many speakers left.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): How many?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): There are five more speakers to speak on this topic.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): Sir, I have also got to make a statement...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): If Members cooperate, some may volunteer to withdraw their names from this discussion, because we have already discussed a lot, and the others may take less time. Then only we will be able to conclude this. Then, after the conclusion of this discussion, we can take up the Short Duration Discussion.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: What about Sangmaji's statement? Will the statement be made at 5.30?...(*Interruptions*)...

The statement has to be made at 5.30 P.M.

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): The Labour Minister's statement is at 5.30. That should be taken up.

SHRI MENTAY PADMANABHAM: What about seeking clarifications?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): That is very much there, of ccurse.

SHRI MENTAY PADMANABHAM: If clarifications are there, that means the discussion will be postponed to tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): If Members agree, we can further postpone the Half-an-Hour Discussion which is scheduled to be taken up at six o'clock, and the Minister can make his statement immediately after the conclusion: it is going to be concluded within half an hour. We can take up the reply by the Minister to the discussion tomorrow. So, let the discussion be resumed now.

SHRI S. B. CHAVAN: No, Sir. We will finish all the Bills today itself. Hon. Member, Shri Morarka, has gone away. He was saying, we can pass the Bills here. If this is the difficulty in Rajya Sabha, I can well understand what the difficulty in Lok Sabha is because, there the Demands for Grants are going to be taken up. So, there is hardly any time. So please finish these Bills because I have to go to the Lok Sabha also to take part in that.

AN HON. MEMBER: You withdraw your speakers.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): We have withdrawn all our speakers.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Some Members might like to speak on this.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Sir, my submission is, let Mr. Sangma make his tsatement, with the clarifications in between, and then we can continue the discussion.

SHRI S. B. CHAVAN: Provided you would not ask any clarification.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : क्लैरिफिकेशन होगा।

श्री एस० बी० चव्हाण : यदि होगा तो इसलिए पहले यह कम्पलीट होगा

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD SALIM): Clarifications can be taken up tomorrow.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Why tomorrow? He has already made the statement in Lok Sabha and it cannot be postponed here till tomorrow.

SHRI P. A. SANGMA: My statement can be made tomorrow.

SHRI SUKOMAL SEN: It is scheduled for today. What is the meaning of saying "tomorrow"?

SHRI P. A. SANGMA: I am ready... (*Interruptions*)...

SHRI SUKOMAL SEN: We are prepared to sit late.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: It is a very important statement about the labour... (*Interruptions*).

SHRI CHATURANAN MISHRA: You make the statement at six o'clock.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD SALIM): We can differ the statement for half an hour, and by that time we expect to conclude the discussion, including the reply.

SHRI S. B. CHAVAN: Yes, yes, okay.

SHRI SUKOMAL SEN: Then you withdraw the Members from Congress (I).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD SALIM): They have withdrawn all their Members.

AN HON. MEMBER: From your side also you withdraw your Members.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.D. SALIM): Shri Chaturanan Mishra. You have five minutes in the light of this discussion.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Four States and five minutes!

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. D. SALIM): Yes, four minutes for four States and one minute for conclusion!

SHRI CHATURANAN MISHRA: Sir for this new orientation of democracy, I must thank you.

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुख की बात है कि हम लोग जो कांउसिल आफ स्टेट्स के हैं और उसके सामने जब कभी आए कि किसी चुनी हुई राज्य सरकार को भंग कर दिया गया है और उसके बदले में कोई राज्यपाल का शासन हो या राष्ट्रपति को विधान मंडल का अधिकार दिया जाए तो यह दुख की बात है और मुझे बहुत ज्यादा दुख है कि ऐसी स्थिति में राज्य सभा को आना पड़ा है। इसका मुख्य कारण है हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई। जनता ने इनको राज चलाने को दिया पांच बरस के लिए और ये एक बरस भी नहीं चला सके, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और क्या होगी। अगर इतना ही रहता कि राज नहीं चला सके तब भी मुझे सन्तोष होता लेकिन इसके साथ इन्होंने देश में सांप्रदायिकता की आग लगा दी है जिसमें ये चार ही राज्य नहीं, सारा भारत झुलस कर मरने को तैयार है और एक भयानक स्थिति हो गई है। अब मैं गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि आपने जो यह कहा है कि हम कुछ कानून बनाने के लिए जो यहां पेंडिंग हैं, इसी के लिए राष्ट्रपति को अधिकृत करना चाहते हैं, यही एकमात्र कारण विधेयक के उद्देश्य में है। यह बिल्कुल ही नॉन पालिटिकल एटीट्यूड है आपका और आपकी सरकार का। असल स्थिति क्या है? इनकी सरकारें भंग की गई हैं साम्प्रदायिक दंगों के कारण, साम्प्रदायिक उन्माद के कारण, इसलिए राष्ट्र के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है कि इन चार राज्यों से और सारे देश से यह जो कम्युनल एटमॉसफेयर पैदा हो गया है, उसे जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाना चाहिए, यह आपका टास्क होना चाहिए। लेकिन आपने दिया है कि कुछ कानून में हमें अमेंडमेंट करना है, इसलिए यह कर रहे हैं। यह हास्यपद बात आप क्यों करते हैं और इस तरह से इनके कुकर्मों पर पर्दा डालने की कोशिश क्यों करते हैं, यह हमें समझ में नहीं आता है। इस तरह से आपके कुछ मेम्बर कहते हैं कि आप वाइट पेपर निकालिए कि इन्होंने क्या किया है। अगर इन्होंने क्राइम किया है तो इन पर मुकदमा क्यों नहीं चलाते हैं? हमें तो आप पर अब शक होता है।

श्री शांति त्यागी (उत्तर प्रदेश): जो मुकदमे चल रहे हैं, उनका क्या हुआ?

श्री चतुरानन मिश्र: हम कहते हैं, जितने भी मुकदमे हैं इनके ऊपर आप चलाइए, साबित कीजिए, नहीं तो आप दोषी साबित होंगे। तो इसलिए सिर्फ अधिकार देने की बात चाहते हैं कि कानून में कुछ संशोधन करना है, यह बिल्कुल गलत बात है। आज राष्ट्र के सामने एकमात्र बात है कि जो साम्प्रदायिक एटमासफियर जेनरेट कर दिया है इन्होंने, उसको हम समाप्त करें और इसके बाद हम आम चुनाव करा दें। इनकी सरकार में एक आदमी को नंगा किया और हजार को नंगा किया। जो नंगे हुए हैं, वे इनको नंगा करके अगले चुनाव में निकाल बाहर कर देंगे। यह अभी विषय नहीं है। साम्प्रदायिक तनाव को समाप्त करना एक विषय राष्ट्र के सामने एकमात्र है और इसलिए मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करूंगा कि पुराने तरीके से इन चार राज्यों के बारे में आप निर्णय नहीं लें और संविधान के 356(बी) में जो है:—

"declare that the powers of the Legislature of the State shall be

[श्री चतुरानन मिश्र]

exercisable by or under the authority of Parliament;"

इस पर नए ढंग से सोचिए कि वह अथारिटी कौन सी होगी? दो-चार ब्यूरोक्रेट्स को वहां परामर्श बहाल करके राज चलाने से आपातस्थिति नहीं बदल सकेंगे। अब अगर चार राज्यों में ऐसा किया जाएगा तो क्या देश चलेगा? हमारे भाई मोरारका जी अब नहीं हैं, वे अपील कर सकते हैं कि बी.जे.पी. के साथ बैठिए। वे भी थोड़े दिन बैठे हैं और हमारे प्रधान मंत्री नरसिंह राव जी की भी इनके साथ बैठकर जो दुर्गति हुई है, उसे वही महसूस कर रहे हैं। भाजपा तो निश्चित राय है कि देश चाए चूल्हें में, आग लग जाए, वे साम्प्रदायिकता के आधार पर दिल्ली के तख्त पर कब्जा करना चाहते हैं। मुझे इसमें थोड़ा सा भी शक नहीं है। पांच सौ मरें, हजार मरें, लाख मरें, जो कुछ करना हो, उसके लिए ये करते हैं। इसलिए मैं आप से चाहूंगा कि कोई एक्शन प्लान दीजिए तभी हम आपका समर्थन करना चाहेंगे कि यह साम्प्रदायिकता की जो लहर इन्होंने फैला दी है, इसको आप कैसे रोकेंगे? क्या आप यह नहीं सोच सकते हैं कि इस देश में क्या हो गया है? जिसको गृहस्थ आश्रम में वैराग्य पैदा होता था--राज कुमारों को वैराग्य पैदा होता था तो वह संत बनते थे, अब संतों को वैराग्य पैदा होता है तो वे संसद में आते हैं। यही नई संस्कृति इन्होंने जेनरेट की है। आपको पता है कि क्या हो रहा है? ये मंदिर तोड़ते हैं, खुद तोड़ा है इन्होंने अयोध्या में, फिर भी लोग समझते हैं कि ये राम भक्त हैं और हिन्दुओं के असली प्रतिनिधि हैं। इन्होंने एक मस्जिद को तोड़ दिया, तो बदले में अपने अखबारों में छापते हैं कि सैकड़ों मंदिर तोड़े गए हैं—बंगला देश में तोड़े गए हैं, पाकिस्तान में तोड़े गए हैं, अरब मुल्कों में तोड़े गए हैं, भारत में तोड़े गए। अरब मुल्कों में तोड़े गए हैं। तो अगर एक मस्जिद के लिए सैकड़ों मन्दिर टूट गए तब भी साधारण हिसाब से भी अकल का ठेका रखने वालों से इसका हिसाब नहीं लिया है। आप तो गृह मंत्री जी हैं, आपने वक्तव्य दिया है कि अभी जो बम्बई में अनेक जगह विस्फोट किया गया है और जिसमें अनेक लोग मरे हैं.... (व्यवधान)—(समय की घंटी)—और टाईम दीजिएगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): बम्बई की बात हम लोग कल कर चुके हैं।

श्री चतुरानन मिश्र: बम्बई की बात आप कर चुके हैं लेकिन यह बात नहीं कर चुके हैं कि इन्होंने आग लगाई है इसको कौन बुझाएगा। आप भी बोले हैं, हम सुन रहे थे। आप बता रहे थे कि इनकी सरकार ने क्या-क्या कार्यवाईयां की हैं, गल्तियां की हैं, यह सवाल नहीं है। जितनी गलती करनी है यह कर सकते हैं, इनको अधिकार है और वहां की जनता को ही इनको हटाने का अधिकार है। हम इसीलिए आपसे कहना चाहेंगे कि आपने जब यह महसूस किया है कि विदेशी शक्तियां भी आई हैं और किधर इशारा है आपका यह तो आप जानते हैं और जब तक जांच नही होगी तब तक हम आपको नहीं कहेंगे। अभी भी भाजपा को पश्चाताप नहीं है कि बम्बई जो भारत का इंडस्ट्रियल केपिटल था, वह जल रहा है, मर रहा है, बरबाद हो रहा है। कई हजार करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है लेकिन यह नीरो के लोग वंशी बजा रहे हैं। अब भी वक्त नहीं है इसलिए आप इस भ्रम में मत रहिए। मैं आपसे अपील करूंगा दो-चार मुद्दों को लेकर कि ऐसे काम तुरन्त शुरू कीजिए तभी नई फिजा होगी। दो-तीन महीने के अंदर आप यह काम कीजिए। पहला काम तो हमने आपसे यह कहा कि पुराने तरीके से यहां पर इन चारों राज्यों में राज करने का तरीका सही नहीं है। कंस्टीट्यूशन के जिस प्रावधान का जिक्र हमने किया है, उस पर चलें, जिसमें पोलिटिकल लोग रहें, पार्लियामेंट के लोग रहें और राज्य

चलाइए वर्ना आपसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप कोई अच्छा प्रशासन दे सकें।

श्री एस० बी० चव्हाण : यह भाषण में मैंने कहा । शायद आपने सुना नहीं।

श्री चतुरानन मिश्र : नहीं, हमने सुना है तरीका तो नहीं बताया।

श्री एस० बी० चव्हाण : कंसलटेटिव कमेटीज हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : कंसलटेटिव कमेटीज कश्मीर में भी है, पंजाब में भी थीं। ....(**व्यवधान**) । कंसलटेटिव कमेटीज एक लॉ बनाने के लिए हैं, यह तो बराबर होता है। यह बात नहीं है कि प्रशासन कैसे चला रहे हैं। वह बात सांप्रदायिक वातावरण की है उसको दूर करने में हम सफल होते है या नहीं, वही भविष्य तय करेगा भारत का और दूसरे कुछ भी तय नहीं करेगा। आप हमारी बात को मान लीजिएगा, इतना हम आपसे अनुरोध कर रहे है। इसलिए मैं चाहूंगा कि उसका एक तरीका निकालिए बैठ करके, सब को बैठाइए। भाजपा भी बैठें हमको कोई एतराज नहीं है। आग लगाने वाला भी साथ रहेगा और न, दूसरा बाल्टी लेकर जाएगा। अगर आग ही नहीं लगेगी तो बाल्टी कहां आएगी। तो इसीलिए इनको बैठाइए, हमको एतराज नहीं है। दूसरा काम यह कीजिए कि जितना जल्द हो सके इन चारों राज्यों में पंचायत, नगरपालिका, जिला परिषद और को-आपरेटिव वगैरह का चुनाव करवा लीजिए। जनमानस को दूसरी तरफ मोड़िए, क्योंकि 5–6 महीने बाद लोगों का ध्यान टूटेगा, लोग समझने लगे हैं कि क्या-क्या हुआ है जीर्ण-शीर्ण मस्जिद के चलते। यह मत समझिए कि इस देश का नागरिक नहीं समझता है। उसी तरह मंडल कमीशन को एक्च्युअली लागू कीजिए राज्यों में जाकर। तीसरा काम कीजिए, जिसको इनकी सरकार ने वापिस कर दिया था, कल्याण सिंह ने अपना आदेश रोक दिया था आप ही की सरकार के टाईम में। लेकिन आदेश निकाला इन्होंने कि उत्तर भारत के जो मंदिर हैं उनमें बहुत भी भ्रष्टाचार है इसलिए उसमें सुधार हो। अभी लोग मंदिरों में गांजा पीकर बोलें —बम। दक्षिण के मुकाबले में यहां पर बहुत भयानक स्थिति है और आपको याद होगा कि अकालियों ने इसी महंती के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था और तब उनका गुरुद्वारा ऐसा है। आखिर यह हिन्दु मंदिरों में सुधार लाने की बात है।

शिक्षा के बारे में आपसे अनेक सदस्यों ने कहा, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि जो संघ परिवार के शिशु मंदिर हैं वही साम्प्रदायिक्ता का प्रचार करते हैं, हम आपको बताते हैं, इनको अधिकार है संविधान के अंदर जो मुस्लिम आर्गनाइजेशंस हैं उनको तो विशेष अधिकार हैं अपना मदरसा वगैरह चलाने का। एन०सी०ई०आर०टी० ने उनकी किताबों को भी देखा है जो कम्युनलिज्म से भरी हुई हैं। उनके लिए औरंगजेब आदर्श है, अकबर बहुत खराब है, हम आपको बतादें। मगर आप अभी समय नहीं देंगे, नहीं तो, उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं उनके किताबों से यह सुनाना—कि अल्लाह के करने से ऐसा हुआ कि पहले यहां पर द्रविणियंस आए, फिर आर्य आए, उसके बाद मुस्लिम आए। यह सब अल्लाह मियां ने वहां से फतवा काटा था, तब हुआ था। बताइए, यह सब अगर बच्चों के दिमाग में भरा जाए तो क्या होगा? यह जितनी किताबें निकलती हैं मरकज़ी मकतबा इस्लामी दिल्ली से और मरकज़ी दर्सगाह इस्लामी रामपुर से, आप उनके इतिहासों को देखिए कि इंडियन हिस्ट्री को, सेक्युशलरिज्म को ये बरबाद करते हैं। इसीलिए हम चाहेंगे कि ये दोनों जो घनघोर प्रचार कर रहे हैं सांप्रदायिकता का, इनको रोकिए नहीं तो इसका ये नाजायस फायदा उठाते हैं। आपने शाहबानो का केस देखा और उसका नतीजा क्या हुआ, आपने देख लिया कि क्या-क्या होता है।

[श्री चतुरानन मिश्र]

महोदय, उत्तर प्रदेश का जहां तक ताल्लुक है, मैं चाहूंगा कि उत्तराखंड राज्य बनाने वाली बात जो है, उसको आप जल्दी कर दीजिए। एक बात और आपसे कहना चाहूंगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन एक श्रीमती साध्वी हैं। उन्होंने अयोध्या में मंदिर तोड़ने के बारे में बहुत नाम किया है। उनको 42 एकड़ जमीन, 33 रुपए में दी गई है। यह कौन से हिंदू धर्मशास्त्र से साबित होता है कि अभी के हिसाब से 42 एकड़ जमीन 33 रुपए में दी जाए। इसको आप सदन के सामने रखिए। अब तो आप ही राज चला रहे हैं। वह साध्वी कहलाती है और बाकी लोग भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट लोग ही नहीं लेंगे साध्वी भी भोग ले लेती हैं। इसलिए इन साध्वियों के बारे में ही कहिए।

आखिर में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमने आपको लिस्ट दी थी। हमारी पार्टी के लोगों को, एम०एल०ए० लोगों को मारपीट कर पकड़कर जेल में डाला। आपको लिस्ट दी थी और आपने आदेश दिया था कि छोड़ दिया जाएगा। बताइए कुकर्म करते हैं ये, मार खाते हैं हम। इसका तलब क्या हुआ? प्रशासन में कम्युनल मैंटेलिटी आ गई है। चूंकि कम्युनिस्ट बहुत जोरदार ढंग से साम्प्रदायवाद का विरोध करते हैं, इसलिए उनको पीटते हैं। अगर आप समझना चाहें तो समझिए, नहीं समझना चाहें तो भी हम काम करते रहेंगे। इसलिए फिर दोहराता हूं कि जिन लोगों ने गलत काम किया है, उन पर मुकदमा चलाइए।

महोदय, मैं नहीं समझता कि आप मई महीने में चुनाव करवा सकेंगे। जिस कच्छप गति से आप चल रहे हैं, उसमें आप इतनी जल्दी चुनाव नहीं करवा सकेंगे। जो सेंट्रल टास्क है, उसको आप नहीं कर रहे हैं। वैसे तो मैं इस विधेयक का विरोध करता लेकिन लाचारी है, इसलिए इसका समर्थन कर रहा हूं।

श्री राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, जिन चार राज्यों राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, उसक संसद पहले ही स्वीकार कर चुकी जहां तक मौजूदा विधेयक का प्रश्न कांस्टीटयूशनल कंपलशन्स हैं, मैं ए मिनट में कहना चाहूंगा आपके माध्य से गृह मंत्री जी से कि यह सच कि पिछली भारतीय जनता पार्टी व सरकारों ने, स्पैशली उत्तर प्रदेश व सरकार ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। एकदम नाकारा थी लेकि मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बा जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है, व भारतीय जनता पार्टी की सरकार समय से भी ज्यादा बदतर है औ स्थिति इस हद तक खराब हो गई नौकरशाही इस सीमा तक बेलगाम गई है कि वह मनचाहे तरीके से हिंदुस्त के वर्तमान प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमं और यहां तक कि पंडित जवाहर ल नेहरू जैसे सुनाम धन्य व्यक्तियों खिलाफ भी सार्वजनिक रूप से वक्त देने में नहीं हिचक रही है।

महोदय, मैं गृह मंत्री जी के नोटि में यह बात लाना चाहूंगा कि इटा जनपद में एक आई.पी.एस. अफसर वहां का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उसने एक संगोष्ठी में भूतपूर्व प्रधा मंत्रियों के बारे में क्या कहा, एक अखब की कटिंग से मैं आधे मिनट में आप सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। उन्हों न केवल प्रधानमंत्री बल्कि न्यायपालि के खिलाफ भी कहा है। इसमें लि है—

"एस०एस०पी० का कहना है ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए लोग ब आज इस हद तक गिर गए हैं योजना आयोग के सदस्य वी० कृष्ण मूर्ति शेयर दलाल हर्षद मेहता व्यक्ति के साथी निकले। न्यायपालि के लोग भी इसके शिकार दिख दे रहे हैं। प्रधान मंत्री की कुर्सी बैठे हुए व्यक्ति जब बिहार के माफि सूरज देव सिंह से अपने संबंध बता बदनाम खगोशी और चंद्रस्वामी

हथियार दलालों से अपने संबंधों की बात करें तो देश की जनता किससे प्रेरणा लेकर भ्रष्टाचार से दूर रहे।"

आगे उन्होंने कहा है--

"जवाहर लाल नेहरू के प्रधान मंत्री बनने के बाद देश में आधुनिक विज्ञान का प्रचार-प्रसार हुआ जिससे हमारी सभ्यता को करारा झटका लगा। विज्ञान की प्रगति से भ्रष्टाचार का जन्म हुआ।"

माने विज्ञान को, अगर यहां नेहरू जी ने वैज्ञानिक टेक्नॉलाजी को यहां इंट्रोड्यूस किया तो भ्रष्टाचार के जनक पंडित नेहरू जी हुए। एक हमारे जूनियर आई.पी.एस. अफसर आपके राष्ट्रपति शासन में चंद्रशेखर, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू और संपूर्ण न्यायपालिका पर आक्षेप लगा सकता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी से बेहतर शासन दे रहे हैं आप? मैं एक नमूने के तौर पर यह बात स्टेट कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि टाइम नहीं है, सीनियर लोग बहुत सजेस्शन दे रहे थे, मैं कुछ नहीं सजेस्शन दे सकता हूं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से कि अगर आप शक्ति दे रहे हैं राष्ट्रपति जी को तो अपने कार्यपालिका के जो अधिकारी हैं उन पर अंकुश लगाने का काम करें वरना आपकी स्थिति जो है वह भी खत्म होती जा रही है कालिदास की तरह जिस डाल पर आप बैठे हैं उस डाल को आप लोग काटने का काम कर रहे हैं। अगर सरवाइव करना चाहते हैं तो सावधान हों और तरीके से चलें। जो बी.जे.पी. का तरीका था उसे पोलिटिसाइज कर दिया था, आज सारे सैक्युलर माइंडेड अफसर किनारे पर पड़े हुए हैं, कम्युनल माइंडेड अफसर जिले में कलेक्टर, एस.पी. बने बैठे हुए हैं। बी.जे.पी. सरकार में जिस तरह से शासन चल रहा था उससे भी बदतर तरीके से सांप्रदायिक मानसिकता वाले लोग शासन चला रहे हैं और आप क्या कर सकते हैं। समय बिल्कुल नहीं है, मैंने नमूने के तौर पर कहना चाहा है माननीय गृह मंत्री जी से। मैंने प्रधान मंत्री जी को लिखा भी है, आज उप-गृह मंत्री, रामलाल राही जी को भी पेपर की कटिंग दी थी, मैं चाहूंगा कि कम से कम इस मामले की ही जांच करा लें कि राष्ट्रपति शासन में इतना निरंकुश अधिकारी हो जाएगा कि बड़े-बड़े राजनेताओं के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करे? धन्यवाद।

SHRI MENTAY PADMANABHAM (Andhra Pradesh): Sir, almost, this discussion is centred round the Ayodhya issue. One very important issue was raised by Mr. Kamal Morarka and I totally agree with him that there is no need for this kind of a Bill at this stage. But as I understand, the Home Minister may explain the immediate need for this kind of a Bill in his reply. I think so. But my presumption is that the Government is not prepared to face elections within the statutory period of six months. As a prelude to extend the period for another six months, may be, they are thinking in terms of bringing out this Bill.

Sir, we have been making this plea very often and a number of times, we made this plea in this House that we are opposed to article 356. Federalism is an essential and basic feature of the Indian Constitution and any attempt to subvert the federal principles of the Constitution by any Government—whether it is the Congress Government or the National Front Government or the Chandra Shekhar Government, is nothing but subversion of the Constitution. That has been our view all along. Sir, the Government says that there were peculiar circumstances special circumstances and that there was a background for imposing President's rule on these four States. We all know as a matter of fact, all the non-B.J.P. political parties, the entire country, authorised the Prime

[Shri Mentay Padmanabham]

Minister in the meeting of the National Integration Council to take immediate steps to maintain the *status quo* in Ayodhya, including the dismissal of the State Government of Uttar Pradesh. But the Government failed to take any steps and they simply let it off and on 6th December, when the structure was demolished by the B.J.P., the R.S.S. the V.H.P. and other forces in Ayodhya, the Government was paralysed. They don't know what to do. They have no plan of action. In order to satisfy the rumbling within its own party, in order to silence the Criticisms within its own party, in a panic reaction to what has happened on 6th December the Government imposed the President's Rule in all the other three States—Madhya Pradesh, Himachal Pradesh and Rajasthan. This is only a panic reaction. Therefore, this kind of panic reaction will not help, in any way, either the country or the secular forces.

I hold no brief for the BJP or the VHP or any of the *Hindutva* parties. They behaved in a most uncivilised manner. If I remember correct after the 6th December Vinay Katiyal, the supreme of the Bajrang Dal made a statement and it appeared in *The Economic Times* that after their success in Ayodhya, they would now march towards Mathura, and again to Banaras. This is sheer madness, foolishness. People who have any sense will not talk in such a non-sensical way. Therefore, I am not holding any brief for the BJP, but the Constitutional system as such, is being breached by the Government in a fit of panic. This will not help, in any way, this country. Therefore, Sir, one important thing that the Government promised was—I am not repeating what has already been said—a White Paper on what happened before and after the 6th December incident. At long last and it really took two months for the Government to publish this White Paper. A Cabinet Sub-Committee or a Drafting Committee was also constituted. Mr. Arjun Singh who was one of the Members of the Drafting Committee resigned? Why did he resign? Did he explain it? Did he say what the differences in the Cabinet itself were on preparing this White Paper? There are differences of opinion even in the Cabinet on how to tackle the situation. Therefore, I now request the Government to come out with a categorical statement that they are going to revive the democratic process in these four States within the statutory period of six months.

There was also a suggestion made by Shri Shankar Dayal Singh and other friends, that in the meanwhile an Advisory Council of Members of Parliament for advising the Government with regard to certain legislations concerning these States should be formed. That suggestion should also be considered. Unless the Government now at this stage comes out with a categorical statement whether they are going to hold elections within the statutory period, this Government's credibility, this Government's intentions, will be misunderstood by the people. Therefore, I humbly submit to the Government and to the hon. Home Minister to make such a categorical statement now itself in this House.

श्री संघ प्रिय गौतम : उपसभाध्यक्ष महोदय, आवश्यकता तो नहीं रही थी कि मोरारका भाई के बोलने के बाद मैं बोलूं लेकिन मेरे लायक दोस्तों ने अनेक प्रकार से यहां पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और मुझे दुख है कि हर विषय पर भारतीय जनता पार्टी को आरोपित किया गया है, इसलि मुझे कुछ बातों को कहना आवश्यक हो गया है।

चार विधान मंडलों में भाजपा सरकारें थीं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो अपने आप इस्तीफा दिया था, उसको तो केन्द्रीय सरकार ने भंग नहीं किया, लेकिन तीन राज्य सरकारों को

भंग किया। मेरे लायक दोस्तों ने कांग्रेस के लोगों ने जो कारण बताये कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार हो रहे थे, विकास का काम रुका हुआ था, भ्रष्टाचार बढ़ गया था। मगर राज्यपाल की रिपोर्ट में ये कारण नहीं बताये गये हैं। अगर इन्हीं कारणों से सरकारें भंग की गयीं, तो हम आपकी बात को औचित्यपूर्ण मान सकते हैं। इन्होंने यह भी कहा कि इनका आर एस.एस. से लिंक था। आर.एस.एस. पर 10 तारीख को प्रतिबन्ध लगाया गया था और 15 तारीख को सरकारें भंग की गई थीं। उन्होंने गिरफ्तारियां करना लागू कर दिया था और उसमें कोई कोताई नहीं बरती थी। इसलिये आरोप आपका गलत सिद्ध होता हैं। कानूनी दृष्टि से भी गलत तरीके से भंग किया गया। मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, आप ज्यादा बोलने नहीं देंगे, इसलिए दूसरी बात यह है कि उन्होंने अनर्गल आंकड़े पेश किये हैं। मैं एक छोटी सी बात कहता हू कि हमारी सरकारों ने गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए अन्तोदय कार्यक्रम लागू किया जिसका सीधा संबंध सबसे नीचे श्रेणी के लोगों से है। गांव में पांच आदमियों में से तीन आदमी अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिये रोजी, रोटी और मकान मुहैया किये। इस तरह से सब साधन जुटाये।

दूसरी चीज यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब से कांग्रेस के लोगों का राज आया है, आजादी के बाद, मुझे आप क्षमा करें, राजा महाराजाओं, फिल्म स्टारों, सरकारी अफसरों, बदमाशों और गुण्डों को इन कांग्रेस के लोगों ने पाला। हमारे उत्तर प्रदेश में सारे राजनैतिक माफिये मुलायम सिंह के सहयोग से इंडस्ट्रियलिस्ट्स को परेशान करते थे। इसलिये नौएडा के इन्डस्ट्रिअलिस्ट वहां से भागने लगे थे। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दंगा मुक्त और भय मुक्त समाज का नारा देकर राजनैतिक माफियों को जेल भेज दिया और बहुत से प्रदेश से भाग गये और कुछ आपस में ही लड़कर अल्ला मियां को प्यारे हो गये। एक तो हमने भय मुक्त समाज दिया और जब से हमारी सरकार बनी, तो उस दिन से प्रदेश में एक भी साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ। बनारस में दंगा जनता दल वालों ने करवाया था, लेकिन वह भी दूसरे ही दिन काबू कर लिया गया। एक भी साम्प्रदायिक दगा प्रदेश में नहीं हुआ। ये लोग बात कर रहे थे, अनुचित जातियों और जनजातियों के सामूहिक संहार की बात। हमारे राज्य में हमारे शासन में एक भी हत्या इस प्रकार की नहीं हुई। आपके राज को जुम्मा जुमा आठ दिया भी नहीं हुए, कानपुर में चार व्यक्तियों की हत्या हो चुकी हैं, और होली के दिन 7 तारीख को और शैड्यूल्ड कास्ट के लोग मथुरा में जिन्दा जला दिये गये। आप कुम्मेर की बात करते हैं। पूरे हिन्दुस्तान में कांग्रेस के राज में कितने ही नर संहार हुए हैं। जमशेदपुर में, टाटा नगर में हुए, अहमदाबाद में हुए। इसलिये आपका ये तर्क भी ठीक नहीं।

जहां तक विकास की बात है आपने टेहरी डम नहीं बनने दिया.. (व्यवधान)

श्रीमती सत्या बहिन : क्या आप कभी कम्भेर गये हैं.... (व्यवधान)।

श्री संघप्रिय गौतम: They are interrupting. I don't want any interruption.

मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि टैहरी डेम इन्होंने बनने नहीं दिया, आनापारा के लिये पैसा नहीं दिया इसलिये कोई डेम हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं बन सका, क्योंकि पैसा नहीं दिया गया। इसके अलावा जो विद्यार्थी नकल करते थे उसको रोकने के लिये कानून बनाया। अध्यापक ठेका देते थे, पुलिस वाले कराते थे, गरीबों के पढने वाले बच्चे रह जाते थे। नकल विरोधी अध्यादेश जारी करके नकल बन्द करायी और इस

[श्री संघ प्रिय गौतम]

ठेकेदारी को खत्म किया और गरीब विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने का मौका दिया। मान्यवर, अनुसूचित जाति-जनजातियों का भी एक...(समय की घंटी)..... अध्यापक नियुक्त नहीं किया जाता था। भाजपा सरकार ने 50 प्रतिशत आरक्षण उन अध्यापकों के लिए कराया। इसके बाद अम्बेडकर विश्वविद्यालय की लखनऊ में जो नींव डाली थी। आपने उसके लिये कुछ नहीं दिया उन्होंने 20 करोड़ रूपया दिया। लम्बी बातें न कहकर मैं सुझाव दे रहा हूं क्योंकि मोरारका जी ने और मिश्रा जी ने सुझाव दिये हैं। अगर आपकी चिंता है देश का भला करने की तो यह डा० अंबेडकर शती वर्ष है। तो इस अवसर पर अंबेडकर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तन कीजिए। पहला सुझाव।

दूसरा सुझाव है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति-जन-जातियों पर आरक्षण के संबंध में पाबंदी लगायी है उसको बहाल करो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रद्द करो और शर्मदारी, तुम इसका समर्थन खड़े होकर करो। अगर आपके दिलों में अनुसूचित जाति जन-, जातियों के प्रति जरा भी मुहब्बत है तो ऐसा करें। मैं सुझाव दे रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : आप मंत्री जी को लिखकर भेज दीजिये।

श्री संघ प्रिय गौतम : मान्यवर, अनुसूचित जाति और जन-जातियों पर अत्याचार रोकने के लिये, उन पर जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं उनका मुकाबला करने के लिए आप उनको बंदूकों के लाइसेंस दो और सरकारी बैंक से हथियार दीजिये। आपकी जो आठवीं पंचवर्षीय योजना है, इसमें आबादी के हिसाब से धनराशि उनके लिए अलाट की जाये और वह पूरी धनराशि उस पर ही खर्च की जाये।

मान्यवर, अब मैं आखिरी बात कहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : आखिरी बात, दो मिनट में यह सब कैसे होगा।

श्री संघ प्रिय गौतम : हमारी सरकार ने पंचायतों को भंग नहीं किया, टाउन एरियाज और म्युनिस्पैलिटीज, नगरपालिकायें, और चुने हुए निकाय किसी को भंग नहीं किया। हमने डेमोक्रेसी की इतनी कद्र की। इसलिये मैं कांग्रेस वालों से कहना चाहता हूं कि तुम्हारे एडवाइजर जहां बैठे हुए हैं उनको फ्री काम करने दीजिये। कांग्रेस के लोग उनके काम में अपनी टांग न अड़ायें और उनको काम करने दीजिये। अगर एडवाइजर्स कम हैं तो उनकी संख्या को बढ़ा दीजिये और 6 महीने के अंदर चुनाव करा दीजिये। धन्यवाद।

श्री ईश दत्त यादव : महोदय, मैं केवल तीन मिनट का समय लूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : आपकी पार्टी अपना समय ले चुकी है।

डा० अबरार अहमद : कांग्रेस के तीन सदस्य और बोलना चाहते थे, बोलने के लिये तैयार थे हमने तीन स्पीकर को विदड्रा किया है ताकि यह समय पर हो जाय।

श्री ईश दत्त यादव : महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि मैं तीन मिनट से सवा तीन मिनट का समय भी नहीं लूंगा। मैं केवल अपने सुझाव ही रखना चाहूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : आप समय बरबाद मत कीजिये।

श्री ईश दत्त यादव : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, चर्चा हो चुकी है और राष्ट्रपति महोदय को अनुच्छेद 357 में विधायी शक्तियों को देने का जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मेरा उसमें कोई विरोध नहीं है। मैं केवल दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

आज देश की स्थिति जो भयंकर हो चुकी है और देश के अंदर जो साम्प्रदायिक तनाव बढ़ा इसके लिये वर्तमान केन्द्रीय सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग दोनों समानरूप से दोषी हैं। इसलिये समानरूप से दोषी हैं कि इन०आई०सी० की मीटिंग में, जो 23 नवंबर को हुई, उसमें जब आपको

पूरे अधिकार दे दिये गये थे मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, तो आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्यों कायम रखा, उत्तर प्रदेश के अंदर ? इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है । मान्यवर, हमारी यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने आपसे आकर कहा भी था कि स्थिति गंभीर होती जा रही है । लेकिन आपके मंत्रिमंडल में मतभेद हुआ और इस कमजोर सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करने का साहस नहीं किया ।

दूसरी चीज, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज भी आपके पास शक्ति नहीं है आपके पास साहस नहीं है । आज भारतीय जनता पार्टी जो देश विरोधी गतिविधियां देश के अन्दर कर रही है, जो अग्नि या जहर उगल रही है उनको रोकने की शक्ति आपके पास नहीं है । आपने फर्जी तरीके से आर०एस०एस० पर प्रतिबंध लगाया है । आप प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि राष्ट्रपति शासन में आप अपने अधिकारों का कड़ाई से प्रयोग करें वरन् यह देश अब बचने वाला नहीं है । अंत में, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं अयोध्या मथुरा और काशी यह तीनों उत्तर प्रदेश में हैं । मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप दो महीने के अन्दर केवल उत्तर प्रदेश में चुनाव कराइये, यह लोग अपनी हैसियत पर आ जायेंगे और पूरा देश जलने से, टूटने से बच जाएगा । आपको बहुत बहुत धन्यवाद ।

SHRI S. B. CHAVAN: Mr. Vice-Chairman... (*Interruptions*)

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: I have to move my amendments.

SHRI S. B. CHAVAN: Amendments will be moved at the time of clause-by clause consideration.

Mr. Vice-Chairman, Sir, in fact, there is hardly any scope for a detailed reply. This is the exact reason why the President has been empowered to legislate on issues which Parliament is supposed to do. We do not find time for important work. We have all the time for discussing matters which, in fact, are not meant for parliamentary democracy. But still, I would like to go into that aspect of the question. I do not know why Mr. Morarka is not here. He made a good speech. I do not know whether it is the view of his party. I doubt very much whether it is his party's view. He was asking the Government and the Opposition to come together and sort out issues. If really that is the attitude of Mr. Morarka, then, he has not understood the basic problem wihch is troubling the entire polity of this country. It is good that Mr. Padmanabham has come now. I must point out your observation—the kind of panicky reaction.

If the hon. Member is interested in finding out how many times President has been given this power, I have the whole list which clearly shows that this is not the first time that it is being done and almost 28 times... (*Interruptions*)

SHRI MENTAY PADMANABHAM: That means you are doing it out of habit.

SHRI S. B. CHAVAN: Yes, I can see, this is your new habit. I can understand your habit also. You are making light observations—I am sorry to say this — without understanding the implications. Actually, all these four States have been brought under President's rule and powers have been given to the President. Actually, the whole discussion was relevant at the time of ratification of the President's rule. We have already done that, both in Lok Sabha and in Rajya Sabha. We have ratified the President's rule. Now this only seeks to empower the President to make enactments. If Parliament can find time for this kind of legislation, certainly, I have no objection. But today it is 16th and we have not yet started discussion on the Railway Budget. We have the General Budget, thereafter, demands of

the Ministries. One can well understand the time-frame that is available for discussion. That is why the Speaker and the Chairman are now thinking of devising some other method by which there could be some real control on the working of the Government. But this is an issue into which I would not like to go. Sir, in this particular case, hon. Members were asking me. I have the list. All these are Ordinances issued by the President. Ordinances have to be converted into Bills within a period of six weeks. Four weeks have already passed and within two weeks getting it passed in Lok Sabha is really a problem. I will have to find some solution. It is not that we are not interested in getting the legislations passed through the House. If the House can find time, nothing like it. There are about 10 Ordinances which have to be converted into Bills. Lok Sabha will not be able to find time and I have no hesitation in saying, the way things are going; I do not think there can be any possibility of finding time for this kind of legislations. It is not an unrestricted power. This power has been given to the President and, thereafter, all those Bills or all those Proclamations will be placed on the Table of the House. Thirty days have been allowed. Within thirty days, if Parliament is to either modify or correct, certainly they have the power; not that it is an unrestricted power that we have given to the President. Thereafter we have the Consultative Committee for each State; for Himachal Pradesh, it is a Committee of 15 members; in the rest of the States; it is going to be about 30 people who are going to be the members of the Consultative Committee. All the legislations will have to be done under the guidance of this Committee. I have a large number of points which are, in fact, not really germane to the kind of Bill which is under discussion. I don't want to take the time of the House because if I were to answer all the questions, then, it will take quite a long time and both my friends here are waiting for me to finish the reply. So, on only one or two issues I would like to throw some light, that is, about our basic approach which was taken by all our predecessor Governments and also this Government. There has been a total departure in all the four States which have been taken under President's rule. Are you of the opinion that they are following a right line? If they are following the right line, then, of course, there is nothing to say. There is total communalisation of politics and communalisation of administration. I am one with an hon. Member who said, right from primary education, it is, indoctrination which has been going on. The entire history text-books have been changed. All educational institutions have been handed over to communal organisations and the minorities have suffered the worst under these regimes. And, this is the glimpse of the Hindu regime that they are talking of. The *Hindutva* philosophy and the kind of administration that you can think of is just a glimpse of the thing that they have in mind. And that is why unless all these things are changed and changed positively, I don't think that we can possibly think in terms of holding elections in those areas. I don't propose to dilate any more. One of the hon. Members has raised one point that one of the officers seems to have criticised Pandit Jawaharlal Nehru's policy. In fact, he has given me the paper. I will definitely go into it and see that proper action is taken against the officers concerned. The officers have no business to issue a public statement. He can hold any private opinion but if he has said anything publicly against our revered leader Pandit Jawaharlal Nehru, then, he has no business to be in administration. That is my point of view. Sir, hon. Shri Mishra has also raised a point about some of his colleagues; they have been arrested in Uttar Pradesh. I have written to the Governor there. But I will definitely find out from him as to why it is that

has taken such a long time to release them. But, certainly, we are at it. I don't think that there will be any delay in this matter. Because of the paucity of time, I don't think it will be possible for me to reply to all the points. I will request the House to pass this Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): I shall first put the motion regarding the Uttar Pradesh State Legislature (Delegation of Powers) Bill, 1993 to vote.

The question is:

"That the Bill to confer on the President the Power of the Legislature of the State of Uttar Pradesh to make laws, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): We shall now take up clause-by-clause consderation of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3

Conferment on the President of the power of the State Legislature to make laws.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): There is one amendment by Mr. Jagdish Prasad Mathur.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि :

"पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 9 से 19 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात :—

"(4) संसद का प्रत्येक सदन, उस तारीख से जिसको अधिनियम उपधारा (3) के अधीन उसके समक्ष रखा जाता है, यदि उसका सत्र हो रहा हो तो सात दिन के भीतर और यदि सत्र न हो रहा हो तो उसके समवेत होने के सात दिन के भीतर, पारित संकल्प द्वारा उसका अनुमोदन करेगा ।"

The question was proposed.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: मैं केवल चार-पांच वाक्य कहना चाहूंगा । स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स जो आपने मध्य प्रदेश के विषय में लिखा है । आप लिखते हैं :

"There are a number of amendments to various enactments which are required to be taken up urgently." ऐसे ही दूसरे में आपने कहा है "And they don't find time."

इसमें से मेरे संदेह पुष्ट होते हैं कि आप केवल उन बातों के लिए जिनके आर्डिनेंसें हैं, उनको एक्सटेंड करने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के विषय में कहा गया है कि एनेक्टमेंटस है, जिनको अमेंड करना चाहते हैं । तो यह बिलकुल अनडेमोक्रेटिक है । जो एनेक्टमेंट चुनी हुई सरकारों ने बनाये थे, उनको आपने अलोकतांत्रिक अधिकार से, केन्द्र सरकार संशोधित करे, उन्हें रद्द कर दे, इसका मैं विरोध करता हूं ।

इसी कारण मैंने दो संशोधन दिये हैं जिससे कि लोकतंत्र प्रक्रिया आपके इस ढांचे के होते हुए भी कम से कम प्रभावित हो । मैंने कहा है कि 30 दिन की बजाय सात दिन के अन्दर पेपर ले होने चाहिए । मुझे हानि हो सकती है कि मझे तीस दिन में अमेंडमेंट देने का अधिकार है, लेकिन अब मझे सात दिन रह जायेंगे ।

दूसरे इसमें आपने जो अधिकार दिया है, उसमें यह कहा है कि "पेपर ले किया जाएगा जैसे, जैसे गवर्नमेंट आर्डर्ज ले होते हैं, ले होने के बाद कोई संशोधन देना चाहे तो दे सकता है मैंने यह संशोधन दिया है कि "दैट शुड बी अप्रूव्ड बाई दी हाऊस" यानी सदन के अधिकार की पुष्टि की जाए आज बहस के लिए समय नहीं होगा, लेकिन परिवर्तित कानून को तो आप यहां से अप्रूव कराइये ।

मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहूंगा कि क्या आप अपने अधिकारों का हनन होने देंगे ? चुनी हुई सरकार ने जो कानून बनाये हैं, उनको आप केवल राष्ट्रपति अर्थात् गृह मंत्री, जो वास्तव में इसका उपयोग करते हैं वे अधिकार दे रहे हैं । आप अपने अधिकारों को समाप्त कर रहे हैं ।

मेरा दो बातों का अनुरोध है । नम्बर एक, ... **(व्यवधान)** .....

श्री एस० एस० अहलुवालिया : आप अपनी बात कीजिए ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आपको समझा रहा हूं । वैसे समझते नहीं आप, मैं जानता हूं ।

श्री एस० एस० आलुवालिया : हमको क्या समझा रहे हैं । संविधान का सम्मान करना सीख लीजिए । उसी में समझ जायेंगे ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : उसका भी, अगर समय देंगे, तो मैं जवाब दूंगा ।

मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वह इस बात को स्पष्ट करें कि छह महीने के भीतर चुनाव होंगे कि नहीं ?

नम्बर दो, प्रदेश सरकारों ने जो कानून पास किये हैं, उनको संशोधित करेंगे कि नहीं ? अगर केवल आर्डिनेंस की अवधि बढ़ाने के लिए आप यह कर रहे हैं, तो मुझे स्वीकार है । कानून इलैक्टिड गवर्नमेंट ने बनाये हैं, उनको आप नहीं करेंगे, यह दो आशा तो मुझे चाहिए ।

SHRI S. B. CHAVAN: I cannot accept the amendment moved by Mr. Mathur because of the fact that instead of thirty days, he is asking for seven days. It is there because, in the context of the Proclamation having been laid on the Table of the House, thereafter one month has been given for modification, if required. Instead of in thirty days, in seven days he wants it to be approved by Parliament. If it is to be approved within seven days, then this will mean that the President's Ordinances or Acts will not be able to get the assent within seven days. So, that will be totally nullified. Because of this, I cannot accept the proposition that the honourable Member has made.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : अच्छा, मैं पहला संशोधन वापिस ले लूं । आखिर अप्रूव की बात आप स्वीकार करेंगे । मैं सात दिन की बात छोड़ देता हूं लेकिन आप अप्रूव करायेंगे, क्यों इसको स्वीकार करते हैं ? मैं मान लेता हूं आप तीस दिन रख लीजिए, लेकिन अप्रूव होगा, यह संशोधन मान लीजिए, मैं मानने को तैयार हूं ।

श्री एस० बी० चव्हाण : अमेंडमेंट किसी शर्त पर मंजूर या नामंजूर नहीं होते हैं । .... **(व्यवधान)**

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: चुनाव कब करायेंगे । चुनाव की बात तो कहिए कि आप .... **(व्यवधान)**

श्री एस० बी० चव्हाण : चुनाव के बारे में तो मैंने अभी साफ कहा है कि जब तक वह हालात तब्दील न हों, उस वक्त तक चुनाव नहीं करायेंगे । मैंने यह कहा है कि यह रिकार्ड में है । यह नहीं कि मैं आज बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है । आप रिकार्ड देख लीजिए । यह रिकार्ड में है ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : हां, छह महीने में नहीं करायेंगे ।

श्री एस० बी० चव्हाण : उसके जो माने आप निकालते हैं, निकाल सकते हैं । इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने अमेंडमेंट को बिदड्रा कीजिए, वरना मैं मेम्बर्स से अपील करूंगा कि वह इसको अपोज करें ।

श्री एस० एस० अहलुवालिया : यह तो सीरियस है ही नहीं **(व्यवधान)** अपनी पार्टी को .... **(व्यवधान)**

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मैं तो अपना प्रोटेस्ट करना चाहता हूं । आई वांट टु बी आन रिकार्ड ।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : माथुर जी, आप इस बात को छोड़िये।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Now, I shall put the amendment moved by Mr. Mathur to vote.

The question is:

"That at page 2, *for* lines 6 to 15, the following be *substituted*, namely:— ....

"(4) Each House of Parliament shall, by a resolution passed within seven days from the date on which the Act has been laid before it under sub-section 3, if it is in Session and if not in Session, within seven days from its re-assembly, approve the same."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): I shall now put Clause 3 to vote.

The questions is:

"That the Clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula, and the Title were added to the Bill.

SHRI S. B. CHAVAN: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was proposed.

श्री शंकर दयाल सिंह : जरा सा, उसके पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : नहीं, इस समय कुछ नहीं बोलना। जो पहले बोला था तो उस समय कुछ नहीं बोलना था। इसलिए बैठ जाइये, प्लीज।... **(व्यवधान)**. यू नो द प्रोसीजर, प्लीज।

श्री शंकर दयाल सिंह : देखिए, इनके समय में मैं कैसे बोलता। यह जब अमेंडमेंट मूव कर रहे थे उस समय अगर मैं बोलता तो लगता कि ... **(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : आप दूसरे बिल पर बोलिए।.. **(व्यवधान)**. चारों बिल अलग अलग लिए जा रहे हैं, प्लीज .... **(व्यवधान)**....

The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): I shall now put the motion regarding the Madhya Pradesh State Legislature (Delegation of Powers) Bill, 1993, to vote.

The question is:

"That the Bill to confer on the President the power of the Legislature of the State of Madhya Pradesh to make laws, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Now, we take up Clause 3. There is one amendment by Shri J. P. Mathur. Mr. Mathur, are you moving your amendment?

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Yes, Sir.

Clause 3

Conferment on the President of the power of State Legislature to make laws.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Sir, I beg to move:

"That at page 2, *for* lines 7 to 16, the following be *substituted*, namely:—

'(4) Each House of Parliament shall, by a resolution passed within seven days from the date on which the Act has been laid before it under sub-section (3), if it is in Session and if not in Session, within seven days fom its re-assembly, approve the same.'"

The question was put and the motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): I shall now put clause 3 to vote. The question is:

"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 3 was added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI S. B. CHAVAN: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was proposed.

श्री शंकर दयाल सिंह : इस पर तो आप समय दीजिए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : अब समय चला गया ।

श्री शंकर दयाल सिंह : नहीं, इस पर तो आप समय दे सकते हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : अच्छा बोल दीजिए । हमने आपको बोला था । . . . . **(व्यवधान)** . . . . मैंने आपको वायदा किया था कि दूसरे वाले पर आप बोलेंगे । बोलिए ।

श्री शंकर दयाल सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, जो भी था लोगों ने अपनी बातें उस समय कही थीं, क्योंकि गृह मंत्री जी बहुत जल्दी में हैं और दिन भर बैठे भी रहे । हम लोगों को भी इनको देख करके दया आ रही है कि इनको जल्दी छुट्टी मिले । इसलिये यह भी हड़बड़ी में थे, हम भी हैं । लेकिन हम भी आपके साथ बैठे हैं । जैसा कि मैंने यह कहा आपने भाषण में भी कि सरकार को रचनात्मक रूप से विपक्ष ने खास करके राष्ट्रीय मोर्चा और वामपंथी मोर्चा ने आपका बराबर साथ दिया है । जब भी साम्प्रदायिकता के खिलाफ आप कोई लड़ाई लड़ते रहे, मैं आपसे केवल एक बात जानना चाहता हूं कि चुनाव की बात जो बार-बार कही गई और मैंने भी अपने भाषण में कहा था कि अच्छा होता कि आप चुनाव की तिथि निर्धारित करते । कोई वह भागने की बात नहीं है । अंत में हम लोगों को जनता के पास जाना पड़ेगा । यहां एक बात मैं सरकार से जानना चाहता हूं, केवल एक छोटी सी बात है, चार राज्यों में, अभी पांच राज्यों में राष्ट्रपति शासन है, चार इधर और एक त्रिपुरा में, पांच राज्यों में है, क्या पांचों राज्यों का चुनाव आप एक साथ कराना चाहेंगे या पांचों राज्यों का चुनाव आप अलग-अलग करायेंगे ? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अलग-अलग प्रांत की अलग-अलग स्थिति हो सकती है । मैंने पहले भी कहा है कि चूंकि जिस तरह का उत्तर प्रदेश में कांड हुआ और भा.ज.पा. की सरकार ने वहां पर जिस तरह से काम किया उससे पूरे देश और हमारे इतिहास पर एक कलंक का टीका लगा है, मैं यह कहता हूं और चाहता हूं कि जिन राज्यों की स्थिति ठीक हो, कोई जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन रहे, मैं सरकार से आश्वासन चाहता हूं कि जिन राज्यों में स्थिति अच्छी रहेगी वहां वे चुनाव करायेंगे और कोई जरूरी नहीं है कि सभी प्रांतों में एक-साथ चुनाव कराए जाएं— इन दोनों मुद्दों पर आपकी क्या राय है, इस संबंध में मैं आपकी सरकार का स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री एस०बी० चव्हाण : हर स्टेट की जो हालत रहेगी उसको ध्यान में रखते हुए चुनाव अलग-अलग किए जाएंगे ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): The question is:

"That the Bill to confer on the President the power of the Legislature of the State of Rajasthan to make laws, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Clause 3. There is one amendment by Shri Jagdish Prasad Mathur.

Clause 3

Conferment on the President of the power of the State Legislature to make laws.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Sir, I move:

"That at page 2 *for* lines 4 to 13 the following be *substituted*, namely:—

'(4) Each House of Parliament shall, by a resolution passed within seven days from the date on which the Act has been laid before it under sub-section (3), if it is in session and if not in session, within seven days from its re-assembly, approve the same.'"

The question was put and the motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): I shall now put clause 3 to vote. The question is:

"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula, and the Title were added to the Bill.

SHRI S. B. CHAVAN: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): The question is:

"That the Bill to confer on the President the power of the Legislature of the State of Himachal Pradesh to make laws, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2, was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Clause 3. There is one amendment by Shri Jagdish Prasad Mathur.

Clause 3

Conferment on the President of the power of the State Legislature to make laws.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR (Uttar Pradesh): Sir, I move:

"That at page 2, for lines 4 to 13, the following be *substituted*, namtly:—

"(4) Each House of Parliament shall, by a resolution passed within seven days from the date on which the Act has been laid before it under sub-section (3), if it is in session and if not in session within seven days from its re-assembly, approve the same."

The question was put and the motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): I shall now put clause 3 to vote.

The question is:

"That clause 3 stand part of the Bill." ....

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI S. B. CHAVAN: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

STATEMENT BY MINISTER

Government's decision on revision of rate of Industrial Dearness Allowance and introduction of pension Scheme for subscribers of Employees Provident Fund

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): Mr. Vice-Chairman, Sir, The hon'ble Members of the House may be pleased to learn that pursuant to the recommendations of the tripartite DA Committee, the Government have decided that the rate of Industrial Dearness Allowance (IDA) payable to the employees of the Central public sector enterprises to whom IDA is applicable shall stand enhanced from Rs. 1.65 to Rs. 2.00 per point increase linked to All-India Consumer Price Index (AICPI) 800 points with effect from 1-1-89. Arrears of IDA due for the period from 1-1-89 to 31-12-91 would be credited to the Provident Fund of the employees to the extent of 50 per cent, the balance 50 per cent being disbursed in cash. It is estimated that over 20 lakhs of employees stand to benefit on account of this measure.

The Government has further decided to permit negotiations for revision of wages in the Central public sector enterprises. New wage settlements which are to be concluded shall be valid for a period of 5 years. Guidelines to the enterprises are being issued separately by the Department of Public Enterprises which is working out the details.

Further the Government have decided to introduce with effect from 1st of April, 1993 a Pension Scheme for the Employees' Provident Fund subscribers which will have the following features:—

*The Scheme will not entail any further financial commitment to the employees or the employers.

*Pensions will be payable on monthly basis to—

—employees superannuating at 58 years of age or leaving service earlier with qualifying service of 20 years subject to a minimum of 10 years of membership; pension payable being based on average salary of the last five years of service. ..

—employees sustaining permanent total disablement during service.

—widowed survivor of the subcriber.